खण्ड–22, अंक–03
सोमवार, 29 वैशाख, शक संवत्, 1930
(19 मई, 2008 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 22 में 03 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–36
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	37
प्रदेश में राजकीय पालिटैक्निक संस्थानों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के मानदेय तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र की नदियों से कृषि योग्य भूमि के कटाव के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	38
देहरादून शहर में पालतू पशुओं का गोबर नालियों, सड़कों तथा खाली पड़े प्लाटों में बहाने से गन्दगी से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	38
जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चौड़ाकोट से वर्मा फगवाल तोक में निर्मित मार्ग की मरम्मत तथा ग्राम पंचायत चौड़ाकोट के तोक ककुड़ी से कफलानी पनचक्की खेत के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम– 300 के अन्तर्गत सूचना	39
नगर पालिका मंगलौर, जनपद हरिद्वार में सीवर लाइन बनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	39
डा0 प्रताप सिंह बिष्ट, पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार	39–43
वर्ष 2006–07 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2006–07 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	43
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	43

विषय	पृष्ठ–संख्या

जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कूल्हा का उच्चीकरण एवं पद सृजित करने के सम्बन्ध में श्री लीलाधर जोशी की याचिका (उपस्थापित) 43–44

जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत कोपा, विकास खण्ड गदरपुर में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह की याचिका (उपस्थापित) 44

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) 44–45

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 प्रवर समिति को पुनः सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव (स्वीकृत) 45–60

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित) ... 60–63

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य परामर्श दात्री समिति के सदस्यों को नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव (स्वीकृत) 63–64

राज्य के विकेन्द्रीकरण विकास में सुधार के लिए राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनः परिसीमन किये जाने सम्बन्धी नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) 64–66

दिनाँक 12 मई, 2008 को सदन में घटित हुई घटना के सम्बन्ध में दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं का निस्तारण तथा कतिपय सदस्यों का निलम्बन 66–122

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं 122

सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 122

राष्ट्रगान 123

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डेय
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती आशा
5–श्री ओम गोपाल
6–श्री करन मेहरा
7–सुश्री कैरेन हिल्टन
8–श्री किशोर उपाध्याय
9–श्री केदार सिंह रावत
10–श्री केदार सिंह फोनिया
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गणेश जोशी
14–श्री गोपाल सिंह
15–श्री गोपाल सिंह रावत
16–श्री गोविन्द लाल
17–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19–श्री चन्दन राम दास
20–श्री जोत सिंह गुनसोला
21–हाजी तस्लीम अहमद
22–श्री तिलक राज बेहड़
23–श्री दिनेश अग्रवाल
24–श्री दिवाकर भट्ट
25–श्री दिवान सिंह
26–श्री नारायण पाल
27–काजी मौ0 निजामुद्दीन
28–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
29–श्री प्रकाश पन्त
30–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
31–श्री प्रीतम सिंह
32–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
33–श्री प्रेमानन्द महाजन
34–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
35–श्री बलबीर सिंह नेगी
36–श्री बिशन सिंह चुफाल
37–श्री बंशीधर भगत
38–श्री बृज मोहन कोटवाल
39–श्री भगत सिंह कोश्यारी
40–मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूडी ए0वी0एस0एम0
41–श्री मदन कौशिक
42–श्री मनोज तिवारी
43–श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मदूँ भाई''
44–श्री मातबर सिंह कण्डारी
45–श्री मुन्ना सिंह चौहान
46–श्री यशपाल आर्य
47–चौ0 यशवीर सिंह
48–श्री रणजीत रावत
49–डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
50–श्री राजकुमार
51–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
52–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
53–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
55–श्रीमति वीना महराना
56–श्री शहजाद
57–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59–श्री सुरेन्द्र राकेश
60–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61–श्री सुरेन्द्र चन्द जैन
62–डा0 हरक सिंह रावत
63–श्री हरभजन सिंह चीमा
64–श्री हरिदास
65–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 19 मई, 2008 ई०

(विधान सभा की कार्यवाही सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश के पर्वतीय अंचल में सूखे से फसल नष्ट

**1–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि सम्पूर्ण प्रदेश के पर्वतीय अंचल में सूखा पड़ने से अस्सी प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है? यदि नहीं तो क्यों?

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

राज्य के अधिकांश पर्वतीय एवं असिंचित क्षेत्रों में शीतकाल के दौरान औसत से कम वर्षा होने के फलस्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक 45 तहसीलों में कृषि एवं औद्यानिक फसलों की क्षति का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक होने की सूचना प्राप्त हुयी है।

सभी जिलाधिकारियों को सूखे की स्थिति की नियमित समीक्षा तथा राहत एवं बचाव कार्यों को संपादित कराये जाने सम्बन्धी समुचित दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से किये गये अनुरोध पर भारत सरकार के अन्तर मंत्रालय अध्ययन दल द्वारा सूखे की स्थिति के आंकलन हेतु उत्तराखण्ड का भ्रमण भी किया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय महेन्द्र सिंह माहरा का नाम पुकारे जाने पर उस समय माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे।)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सबसे पहले यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार के अन्तर मंत्रालय अध्ययन दल द्वारा कब तक इसका आंकलन किया जायेगा और इस सूखे के आंकलन के लिए कोई तिथि निर्धारित की गयी है? दूसरा प्रश्न है कि इसमें मुआवजा किस दर से निर्धारित किया गया है?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, सूखे की टीम 26 तारीख को यहां पहुंच रही है। वह टीम दो भागों में यहां आयेगी। पहले भाग में अल्मोड़ा और चम्पावत जिलों का निरीक्षण करेगी तथा दूसरे

भाग में टिहरी और पौड़ी जनपदों के स्थानों को चिन्हित करेगी। मान्यवर, जहाँ तक नार्म्स का सवाल है, यह सी0आर0एफ0 के अनुसार है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, ये नार्म्स क्या हैं?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, इसमें असिंचित भूमि के लिए दो हजार रूपये प्रति नाली है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, दो हजार रू0 प्रति नाली है? (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, 250 रू0 प्रति हैक्टेयर है। सिंचित भूमि के लिए चार हजार रूपये प्रति हे0 है। मान्यवर, प्रति हे0 की जगह प्रति नाली बोलने में गड़बड़ी हो रही है। मान्यवर, इसी तरह बंजर भूमि के लिए जिस पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं है और जो छोटे–मोटे कृषक हैं उनके लिए भी न्यूनतम राहत राशि कम से कम 250 रू0 प्रति कृषक है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, क्या 250 रू0 प्रति कृषक है?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, जी हां।

श्री अध्यक्ष–

कृपया पूरी बात तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, सदाबहार जो फसल है, इसके लिए छः हजार प्रति हे0 है और जो मवेशी हैं, जिनका चारे–वगैरा का नुकसान हुआ है इसके लिए 20 रुपये प्रति दिन के हिसाब से बड़े पशु के लिए है और छोटे पशु के लिए 10 रू0 प्रति पशु है। मान्यवर, जहां तक मवेशियों के शिविरों पर जलापूर्ति, दवा, टीकाकरण आदि से सम्बन्ध है, इसके लिए विभाग से राहत राशि दी जायेगी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने हैक्टेयर भूमि में खेती की जाती है और कितने प्रतिशत असिंचित खेती है तथा कितनी संख्या कृषकों की है?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, वह 53484 वर्ग किलोमीटर अथवा 55.66 लाख हैक्टेयर है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि 9.73 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि योग्य भूमि का 45 प्रतिशत अर्थात् 3.47 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि है। आंशिक रूप से सिंचित भूमि 14.25 प्रतिशत है। प्रभावित जिलों की संख्या लगभग 9 है। प्रभावित तहसीलों की संख्या 45 है और प्रभावित गांवों की संख्या 10482 है। सूखे से अप्रभावित जिलों की संख्या 4 है, इनमें हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी शामिल हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहला प्रश्न पूछा कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने हैक्टेयर जमीन में खेती होती है और दूसरा प्रश्न मेरा है कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूमि असिंचित है?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह इससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य सूखे के बारे में प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, मैं सूखे की ही तो बात कह रहा हूँ। आपने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक फसलों की क्षति हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि आज पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूमि में खेती की जाती है और कितनी भूमि असिंचित है? (व्यवधान) मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषकों की संख्या कितनी है और कितने प्रभावित हुए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, जानकारी पूरे राज्य से सम्बन्धित दी जाएगी। इसको पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बांटने का क्या औचित्य है?

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मूल प्रश्न ही पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी का उत्तर पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, "राज्य के अधिकांश पर्वतीय एवं असिंचित क्षेत्रों में शीतकाल के दौरान औसत से कम वर्षा होने के फलस्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।" इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने हैक्टेयर भूमि पर खेती होती है और कितने प्रतिशत असिंचित खेती है? (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, हमारे राज्य के अन्दर कुल 84 तहसीलें हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सूखे के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी बात आ गयी है। माननीय मंत्री जी, अगर आपके पास जानकारी है तो बता दें, जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि कितनी सिंचित और कितनी असिंचित भूमि है। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह कृषि विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर में से ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसमें लिखा है, "राज्य के अधिकांश पर्वतीय एवं असिंचित क्षेत्रों में शीतकाल के दौरान औसत से कम वर्षा होने के फलस्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।" मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कितना क्षेत्र असिंचित है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं? (व्यवधान)

श्री गुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, कुल क्षेत्र बता दिया, सिंचित क्षेत्र बता दिया अब सिंचित क्षेत्र को घटाकर असिंचित क्षेत्र निकाल लें। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी की जगह पर माननीय सदस्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया इसे स्पष्ट कर दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी,............।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, विभागीय मंत्री जी द्वारा इसका उत्तर दिया जाना चाहिये। इसका मतलब है कि आप विभागीय मंत्री की काबिलियत पर शक करते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो पूरे मंत्रि–मण्डल की कलेक्टिव रिसपांसबिलिटी होती है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, विभागीय मंत्री ही इसका जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे राज्य के अन्दर कृषि योग्य भूमि 9.60 हैक्टेयर है और इसके अन्तर्गत सिंचित भूमि 45 प्रतिशत और आंशिक रूप से सिंचित भूमि 14.25 प्रतिशत है और माननीय सदस्य यदि इसका पूरा विवरण चाहेंगे तो जिलेवार सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महँू भाई''–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि असिंचित भूमि के किसानों को 2000 रूपये प्रति हैक्टेयर और सिंचित में 4000 रूपये प्रति हैक्टेयर मुआवजा दिया जाता है, चूंकि यह मुआवजा आज की दर के हिसाब से बहुत कम है, क्या इसे रिवाइज करने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि सूखे से पहले जो पाला पड़ने से प्रदेश की फसलों को काफी नुकसान हुआ, तो क्या पाले को भी दैवीय आपदा में शामिल किया गया है। पाले के कारण, प्रदेश की बड़ी–बड़ी घाटियों में आम की फसल का बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता था, उनको भी इस क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत दैवीय आपदा में सम्मिलित किया गया है या नहीं?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया और जो माननीय सदस्य ने कहा वह केन्द्रीय सहायता होती है, वह पूरे भारत के लिये होती है और उसके नार्म्स भारत सरकार के होते हैं और उन्हीं नार्म्स के अन्तर्गत यह दिया जा रहा है। जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है....।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महँू भाई''–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

बात तो आने दीजिये, पूरी बात तो आने दीजिये।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने दो प्रश्न और पूछे हैं, उनका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता दिया कि केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यदि केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है तो राज्य सरकार इसके लिये क्या प्रयास कर रही है, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, अवगत करा दें कि क्या प्रयास किये गये हैं।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, पाला दैवीय आपदा के तहत नहीं है। हमने भारत सरकार को कहा है, आग्रह किया है कि इसमें कृषकों की मदद की जा सके। पाले के लिये मैंने पहले भी कहा कि यह सम्मिलित नहीं है, लेकिन इसको भी दैवीय आपदा में सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार को लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, माननीय प्रीतम सिंह जी, अल्पसूचित प्रश्न है, इसलिये संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 45 तहसीलों में सूखे की स्थिति है तो मैं जानना चाहता हूँ कि 45 तहसीलें कितने जनपदों के अन्तर्गत आती हैं। दूसरा, मैं यह जानना चाहूँगा कि आपने उत्तर में दिया है कि "सभी जिलाधिकारियों को सूखे की स्थिति की नियमित समीक्षा तथा राहत एवं बचाव कार्य को संपादित कराये जाने सम्बन्धी समुचित दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं।" तो इन बचाव कार्यों को सम्पादित करने के लिए कितना धन दिया गया है और उसमें से कितना खर्च हुआ है।

तीसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जो भारत सरकार की टीम आनी है, वह कब तक आयेगी और कब तक सर्वे कर लेगी?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह टीम 26 तारीख को यहां आयेगी, इसमें सात सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष विमल कुमार जी हैं। जहां तक आपने यह पूछा कि कितनी तहसीलें हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुल हमारे 9 जिले हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में मान्यवर, नौ जिले हैं। मैं पूरी बात एक बार पहले कह चुका हूँ। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महर्रू भाई"–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, सारे प्रश्नों का जवाब आ गया है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, गेहूँ की फसल बरबाद हो गयी, धान की फसल बरबाद हो गयी, सारा सूख गया, सारे किसान रो रहे हैं। यह सिंचाई मंत्री की जिम्मेदारी हैं। यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। सूखा पड़ा है तो यह सिंचाई मंत्री की जिम्मेदारी है, दैवीय आपदा आयी है तो यह आपदा मंत्री की जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, नौ जिलों में 45 तहसीलें हैं। कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी, यह भी मैं आपको बता सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को बैठा दें, आपसे बुलवा दें। कृपया गलत परम्परा मत डालिये आप। कृपया शान्ति बनाये रखिये।

श्री दिवाकर भट्ट–

कृषि विभाग द्वारा 32 करोड़, (व्यवधान) प्रत्येक विभाग का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए जो धन की आवश्यकता होगी, जो उनको मदद दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मदद दी जानी चाहिए, क्या अभी तक मदद नहीं दी गयी है? इसके लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, पहले तो यह है कि भारत सरकार के संज्ञान में बात तो आये। यह बात भारत सरकार के संज्ञान में लायी गयी। भारत सरकार ने उसको गम्भीरता से लिया। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी तो भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं सुनने में, मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष क्या कहना चाह रहे हैं?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है और यह बहुत गम्भीर विषय है। इसलिए माननीय माहरा जी की, माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी और सब लोगों की जिज्ञासा थी कि सरकार ने इसमें क्या प्रयास किये हैं सूखे से निपटने के लिए? क्योंकि पूरे प्रदेश के कृषक आज बरबाद हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज किसानों के सामने रोजी–रोटी का संकट पैदा हो गया है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन पूरे प्रदेश के किसानों की पीड़ा से इस सदन को जरूर अवगत कराना चाहता हूँ। लेकिन जितने सरकार के द्वारा प्रयास होने चाहिए थे.....।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया हूँ। सूखे के नाम पर 20–20, 40–40 रूपये के चेक वितरित किये गये हैं। मैंने मुख्यमंत्री को ढेरों चेक दिये हैं। सूखे के नाम पर ये बीस–बीस रूपये, चालीस–चालीस रूपये के चेक दिये गये। दो–दो सौ रूपये किसानों ने विकास खण्ड कार्यालय में जाने में खर्च किया और उसके बाद उनको बीस रूपये के चेक दिये गये हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

पहले उत्तर आ जाये, फिर यदि आवश्यकता पड़ी तो चर्चा भी करा ली जायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह माननीय मंत्री जी और सरकार बिल्कुल इस मुद्दे पर गम्भीर नहीं है और जिस तरह के उत्तर आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम संतुष्ट

नहीं हैं और इस मुद्दे पर मैं और मेरा दल बहिर्गमन कर रहा है।

(तत्पश्चात नेता प्रतिपक्ष अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग कर चले गये।)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि यह सिर्फ सूखे का विषय नहीं हैं, न ही यह दैवीय आपदा से सम्बन्धित विषय है, यह उद्यान से सम्बन्धित विषय भी है, कृषि विभाग से सम्बन्धित विषय भी है, सिंचाई विभाग से सम्बन्धित भी है और आपदा से सम्बन्धित भी है। इस बार पाला पड़ने से सारे पेड़ सूख गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, पूरे आम की फसल पाला पड़ने से सूख गई है। क्या इसके लिए भी सरकार ने मुआवजे का प्राविधान किया हुआ है या नहीं?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जो अवगत कराया है, सरकार इस विषय पर अति गम्भीर है। लेकिन सी0आर0एफ0 के जो मानक हैं उसके अनुरूप ही जो राहत सहायता है वह दी जा सकती है और वर्तमान में सरकार ने जो प्रयास किये हैं उसकी जानकारी मैं सम्मानित सदन का देना चाहूँगा। इसमें जो प्राथमिक आकलन है उस आकलन के अनुरूप 241.56 करोड़ का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया, जिसके तहत जो 9 जनपद, जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया, उन 9 जनपदों की 45 तहसीलों के 10482 गाँव जो इससे प्रभावित हुए हैं इसमें केन्द्र सरकार से कृषि उपयोग के लिए चाही गयी राहत सहायता 32.03 करोड़ रूपये, उद्यान हेतु 6.25 करोड़ रूपये, पशुपालन हेतु 26.92 करोड़ रूपये, कमजोर तबके के वृद्ध एवं बच्चों हेतु सहायता 83.13 करोड़, अहेतुक सहायता 60.92 करोड़, अनुपूरक पोषण हेतु 4.86 करोड़ रूपये, पेयजल हेतु 13 करोड़, सिंचाई हेतु 11.40 करोड़, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेतु 3.25 करोड़ रूपये हैं। श्रीमन्, इसके साथ जो माननीय सदस्य पुष्पेश त्रिपाठी जी द्वारा स्पेसिफिक सूचना माँगी गई है, वह द्वाराहाट तहसील से संबधित सूचना है।

मैं इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि द्वाराहाट तहसील में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, कुल बोया हुआ क्षेत्रफल है 5343.805 हेक्टेयर है और जो सूखे से प्रभावित हुआ है वह 2778.778 हेक्टेयर है। यह कुल 52 प्रतिशत है, इसका जो क्षति का आकलन है वह 27.78 लाख रूपये किया गया है। इसके साथ–साथ जो चौखुटिया तहसील की जानकारी चाही गयी है, इसका कुल बोया हुआ क्षेत्रफल 5910.133 हेक्टेयर है और सूखे से प्रभावित क्षेत्र जो है वह 2364.342 हैक्टेयर अर्थात यह 40 प्रतिशत आता है। इस तरह से इसमें प्रभावित गाँव 164 हैं और द्वाराहाट में प्रभावित गाँव 265 हैं और

कुल क्षति का इसमें आकलन किया गया है वह 312.16 लाख रुपये का है। वर्तमान में हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध प्रस्ताव 241.256 करोड़ रुपये का भेजा है, इसमें कहा है कि जो राहत सहायता है वह हमें निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराई जाय।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार का उत्तर आया है उसमें लिखा है कि 45 तहसीलें, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ क्या जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से कम की क्षति हुई है क्या उन क्षेत्रों में भी प्रभावित कृषकों को राहत दिये जाने की कोई योजना है। दूसरा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सी0आर0एफ0 की जो गाइड लाइन है जो क्षेत्र सी0आर0एफ0 की गाइड लाइन से आच्छादित नहीं है, क्या राज्य सरकार राज्य के स्तर से भी उन कृषकों को कोई अतिरिक्त राहत दिये जाने पर विचार करेगी या नहीं?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विषय अति गम्भीर है, क्योंकि इसमें बार–बार यह विषय उठता है।

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि सी0आर0एफ0 के मानक हैं, उनके अनुरूप ही हम कार्य कर पाते हैं। उसके अनुसार 50 प्रतिशत से नीचे राहत दिये जाने का प्राविधान नहीं है। इसलिए 50 प्रतिशत से अधिक जो 45 तहसीलें तथा जो 9 जनपदों का जिक्र मैंने किया है। जिसमें 4 जनपद सूखे से अप्रभावित हैं, 50 प्रतिशत से कम हैं, वे देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और ऊधमसिंह नगर हैं। इसके सम्बन्ध में वर्तमान में सरकार अति गम्भीर है, लेकिन सी0आर0एफ0 में मानकों के अनुरूप ही हमें कार्य करना होगा, यह हमारी बाध्यता है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ यह बताना चाह रहा था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने चाहे किसानों को राहत मिले या न मिले लेकिन आपदा मंत्री जी को राहत दे दी, जवाब अपने हाथ में लेकर।

सरकार द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया तथा भुगतान

**2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पेराई सत्र 07–08 समाप्त होने के उपरान्त सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप किसानों को गन्ने मूल्य का पूर्ण भुगतान न करने के क्या कारण हैं?

वर्तमान में गन्ना मूल्य का कितना बकाया है?

इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

गन्ने मूल्य का पूर्ण भुगतान न करने का मुख्य कारण चीनी का उत्पादन मूल्य एवं बिक्री मूल्य में भारी अन्तर एवं चीनी उद्योग में भारी घाटा होना है।

वर्तमान में दिनांक 08.05.2008 तक गन्ना मूल्य 20180.14 लाख रूपये बकाया है।

यथाशीघ्र।

(नेता प्रतिपक्ष सहित भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस कि समस्त सदस्य सदन में वापस आकर अपने–अपने स्थान में बैठ गये।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि गन्ने मूल्य का पूर्ण भुगतान न करने का मुख्य कारण चीनी का उत्पादन मूल्य और बिक्री मूल्य में भारी अंतर एवं चीनी उद्योग में भारी घाटा होना है। मेरा पहला प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि चीनी का उत्पादन मूल्य क्या है, और आज वर्तमान में चीनी का बिक्री मूल्य क्या है?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्पादन मूल्य और बिक्री मूल्य होता है। जो उत्पादन मूल्य होता है, वह गन्ना मूल्य और अन्य खर्चों का जोड़कर तय होता और जो बिक्री मूल्य होता है यह हर जगह बदलते रहते हैं। इसका पूरा आंकड़ा कि मूल्य आज क्या रहा कल क्या रहा यह बताना पाना सम्भव नहीं है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े खेद का विषय है कि जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, वह वाकई ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी चीनी मिल मालिक ने जवाब लिखा होगा। सरकार की तरफ से लिखा हुआ यह जवाब ही महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि इनको चीनी की अधिक फिक्र है किसानों की नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि जब चीनी के दाम गन्ने के दाम से कहीं ज्यादा थे, तब क्या सरकार ने उस समय फालतू दिलवाया था? दूसरा सवाल यह है कि आज मिलें बंद हो गईं, लेकिन पूरे कृषि सीजन सरकार ने किसी भी चीनी मिल को यह बाधित नहीं किया कि उस पर्ची पर उसका मूल्य लिखे, एक बार भी मूल्य नहीं लिखा गया। मान्यवर, इससे सरकार की मंशा पता लगती है। सरकार यह भुगतान यथाशीघ्र कब तक कर देगी? यथाशीघ्र का हमें जवाब चाहिए।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से सरकार ने जो मूल्य घोषित किया है, उसे सरकार अवश्य दिलायेगी, इसके लिए सरकार संकल्पित है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

पर्ची पर क्यों नहीं दिखलाया आज तक?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य जोर–जोर से बोलकर क्या जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जनता यहाँ पर नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, चीनी उद्योग का घाटा हुआ, इससे किसानों को क्या लेना–देना?

(घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा जायेगा उसका उत्तर माननीय सदस्य नहीं सुनेंगे तो मान्यवर, जब इन्होंने पूछा कि कारण क्या है तो कारण तो बताना पड़ेगा। कारण के बाद जब माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर भी बताना पड़ेगा। मान्यवर, जब हमने मूल्य घोषित किया तो मिल मालिक हाई कोर्ट में चले गये, वे वहाँ मामला हार गये। फिर वह सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ, वह एक अलग विषय है। (घोर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में निर्णय दिया है, माननीय मंत्री जी यह भी बता दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह सरकार किसानों के हितों के प्रति कृतसंकल्प है। इस बात का अंदाजा इसी से लग जायेगा कि हमारे पास आज 200 करोड़ बैलेंस है, उत्तर प्रदेश में तो पिछले साल का ही 200 करोड़ का बैलेंस है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा है क्या? आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं या उत्तराखण्ड के?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे पास दो सौ करोड़ रूपये का बैलेंस है, उत्तर प्रदेश में तो पिछले साल का ही दो सौ करोड़ रूपये का... (घोर व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा है? (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं माननीय श्री पुष्पेश त्रिपाठी अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछला जो दो करोड़ रूपये था, उसमें से हमारी सरकार किसानों को गन्ने का मूल्य रूपये 127 और 132 की दर से भुगतान कर रही है। हम तो किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार से ज्यादा गन्ने का मूल्य भुगतान कर रहे हैं। आज की तारीख में हम किसानों को 127 से 132 रूपये तक का भुगतान कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश मात्र 110 रूपये के मूल्य से किसानों का गन्ने का भुगतान कर रही है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हरियाणा और पंजाब देख लीजिए।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हमने उत्तर प्रदेश के बारे में कोई सवाल नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश का सवाल है?

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री शहजाद जी 'वेल' में आकर तथा बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक--

माननीय अध्यक्ष जी, जब उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो बहुत जोर–जोर से बोलते हैं। (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी, हम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए चिन्तित नहीं हैं बल्कि उत्तराखण्ड के किसानों के बारे में चिन्तित हैं। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को गन्ने का भुगतान 127 और 132 मूल्य की दर से करने के बाद, हमारे पास वर्तमान में गन्ना मूल्य 20180.14 लाख रू0 बकाया है। मान्यवर, हम 127 और 132 की दर से किसानों को गन्ने का भुगतान कर रहे हैं जबकि उत्तर प्रदेश 110 रूपये की दर से गन्ने मूल्य का भुगतान कर रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति क्या है और हमारे प्रदेश में किसानों की जो स्थिति है क्या हमें यह बताना पड़ेगा। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एवं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया यहां के बारे में बता दीजिए। कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बार–बार 127 और 132 की बात कर रहे हैं। यह कौन सी दफा है? (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, विनम्रता पूर्वक माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, ये माननीय खण्डूडी जी की लोकप्रिय सरकार है। किसानों का 127 और 132 की दर से भुगतान किया जा रहा है। वहीं दूसरे राज्य के बारे में बताना चाह रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

मान्यवर, 20 रूपये प्रति कु0 के हिसाब से ज्यादा भुगतान किया जा रहा है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मात्र भाषण देने से काम नहीं चलने वाला है। (व्यवधान के मध्य)

श्री शहजाद--

मान्यवर, इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली जाय। (व्यवधान के मध्य) (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें। अभी 10 तारांकित प्रश्न बाकी हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त में अपना उत्तर दें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में अन्य प्रदेशों से हमारा प्रदेश कम बकाया वाला प्रदेश है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी है।

श्री मदन कौशिक--

हम गन्ने का भुगतान यथाशीघ्र करेंगे।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपे माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ किन-किन चीनी मिलों में कितना घाटा है और जैसाकि माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश ने अपने प्रश्न में पूछा है कि वर्तमान में गन्ना मूल्य का कितना बकाया है। और इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष--

यह अल्पसूचित प्रश्न है, इसलिए संक्षिप्त में जितना उत्तर आ सकता है, उतना बताएं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, किच्छा शुगर मिल जिस पर रू0 54.24 लाख देनदारी थी, जिसमें से रू0 4029.8....। (व्यवधान) जो बैलेंस रहेगा, वही तो घाटा है। जिस मिल ने जो पैसा नही दिया, वही घाटा है। मान्यवर, हम हर मिल के बारे में अलग-अलग बता रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

घाटा निकालना बड़ा विस्तृत प्रश्न है, इसलिए कृपया संक्षिप्त में बात कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देशानुसार किस मिल पर कितना बैलेंस है, मैं बता रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, बैलेंस हमारे पास भी है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, किस मिल को कितना घाटा हुआ है, यह तो मिल वाले बतायेंगे। मान्यवर, इनका मूल प्रश्न है कि किस पर कितना बकाया है, तो वह मैं बता रहा हूँ, एक–एक मिल का निश्चित रूप से बता रहा हूँ और घाटा तथा मुनाफा की बात है तो मिल वाले बतायेंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, चीनी उद्योग में घाटा हुआ है तो कितना घाटा हुआ है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, प्रश्न बकाया का पूछा गया है तो बकाया बता दें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इन्होंने बताया कि बकाया इसलिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकारी घाटा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह उत्तर मिल मालिक के पास से आया है तो हम 127 की पर्ची दे रहे हैं अगर वे 110 की पर्ची दे रहे हैं तो वह किससे लिखवा रहे होंगे? मान्यवर, यह सरकार 127 पर भुगतान कर रही है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो मिल मालिकों ने बैलेंस शीट सामने रख दी है क्या उसको सही मान लिया है? क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सभी मिलों में घाटा तब होता है जब सारा माल बिक जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय सदस्यगण, प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि माननीय मंत्री जी से जो बकाये के बारे में पूछा गया है तो वे बता रहे हैं। अगर कोई माननीय सदस्य चर्चा कराना चाहते हैं तो तर्कसंगत जो भी नियम है, उसके अन्तर्गत यदि नोटिस देंगे, हम देख लेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आज ही चर्चा कर लेते हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ रहा है। तारांकित प्रश्न संख्या–1....

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा महसूस होता है कि सरकार किसान के प्रति गम्भीर नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हर प्रश्न के उत्तर में उत्तर प्रदेश की बात लेकर चिन्हित किया जाता है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं आ रहा है। यह किसान विरोधी सरकार है, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया)

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–31(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न

*1–श्री करन मेहरा–

अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ती चोरी डकैती की वारदातों पर अंकुश

*1—श्री सुरेन्द्र राकेश—

क्या गृह मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड प्रदेश में चोरी—डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं?

यदि हाँ, तो सरकार वारदातों पर अंकुश लगाये जाने हेतु क्या उपाय कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी—

चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। डकैती की घटनाओं में कमी आयी है।

डकैती, चोरी, लूट नकबजनी के अपराधों की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जानी रही हैं—

1—जनवरी, 2008 से दिनांक 31—3—08 तक विशेष अपराध निरोधक अभियान चलाया गया।

2—बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों के सत्यापन कराये जा रहे हैं।

3—पूर्व में प्रकाश में आये अपराधियों के सक्रिय पाये जाने पर उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

4—तीन या तीन से अधिक बार नकबजनी/चोरी में प्रकाश में आये अभियुक्तों की सूची राज्य के समस्त जनपदों को प्रेषित की गई है और निर्देश दिये गये हैं कि उन पर निगरानी रखें तथा सक्रिय पाये जाने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये।

प्रश्न नहीं उठता।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश सदन में आ गये।)

श्री सुरेन्द्र राकेश—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो प्रश्न मेरे द्वारा किया गया था, इसका उत्तर दिया गया है कि "चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है।" इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत केसों की वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में आ गये।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि सरकार ने स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार किया है कि चोरी की घटनाओं में आंशिक वृद्धि हुई है। मान्यवर, वर्ष 2006 में जो चोरी की घटनाएं हुई वे 191 थी, वर्ष 2007 में 187 थीं और वर्ष 2008 में 229 घटनाऐं हुई हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि डकैती के बारे में भी बताने का कष्ट करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, डकैती की घटनाएं वर्ष 2006 में 05, वर्ष 2007 में 03 और वर्ष 2008 में एक भी घटना नहीं हुई है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, चोरी और डकैती की घटना होने के बाद कितनी घटनाओ में वर्कआउट कर लिया गया और कुल कितनी घटनाओं में से कितनी घटनाओं में वर्कआउट करके जेल भेजे गये और कितनों में फाईनल रिपोर्ट लग गयी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 229 चोरी की जो घटनाएं हैं, इसमें कुल 85 अभियोगों का सफलतापूर्वक अनावरण किया जा चुका है। इसके फलस्वरूप जो चोरी की धनराशि है, वह 11980765 है, इसमें से 4508017 की सम्पत्ति पकड़ी गयी है, जोकि 37.63 प्रतिशत है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितनी घटनाएं घटित हुई हैं और इनमें कितनों को वर्कआउट करके जेल भेजे गये और कितने में फाईनल रिपोर्ट लगा दी गयी है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, गृहभेदन की 74 घटनाएं हुई हैं, इसमें से वर्ष 2007 में 51 अभियोग पंजीकृत हुए थे और इन 74 घटनाओं में से 27 घटनाओ का सफलतापूर्वक अनावरण किया जा चुका है। मान्यवर, चोरी की गयी 38,83,707 रुपये की सम्पत्ति में से 7,72,760 रूपये की सम्पत्ति बरामद की जा चुकी है। इसी तरह से लूट की कुल 13 घटना हुई हैं, इनमें से 5 अभियोगों का सफलतापूर्वक अनावरण किया जा चुका है और लूटी गयी 17,71,510 रूपये की सम्पत्ति में से 7,65,510 रूपये की सम्पत्ति बरामद की जा चुकी है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनवरी, 2008 से 31–03–2008 तक विशेष अपराध निरोधक अभियान में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं? दूसरा, बाहरी राज्यों से आये कितने व्यक्तियों का सत्यापन किया जा चुका है और पूर्व में प्रकाश में आये अपराधियों की संख्या कितनी है तथा कितने अपराधियों पर अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गयी है? मान्यवर, बांग्लादेश से आये व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी दे पाएं तो वह भी दे दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बाहरी राज्यों से जितने भी लोग इस राज्य में आते हैं, उनके लिए हमने यह प्रक्रिया बनायी है कि एक बार उनका सत्यापन हो जाए, जिससे की सत्यापन के माध्यम से उनकी जानकारी सम्बन्धित थानों में मौजूद रहे। जो विशेष अपराध निरोधक अभियान चलाया गया, इसमें हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, उनको उचित रूप से निर्देशन देना तथा इसके साथ–साथ घटनाओं की समीक्षा नियमित रूप से किया जाना, इस अभियान का हिस्सा है। जहां तक आपने पूछा कि संख्या क्या है, तो संख्या की एग्जेक्ट जानकारी इस समय दे पाना सम्भव नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विशेष अभियान जो चलाया गया, वह सिर्फ पुलिस महकमें को दुरूस्त करने के लिए चलाया गया। इसमें कोई उपलब्धि हमें हासिल नहीं हुई है। आपने समय अवधि दी है कि जनवरी, 2008 से 31–03–2008 तक आपने जो विशेष अपराध निरोधक अभियान चलाया है, इसमें माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि पुलिस के जो हमारे अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनको ही ट्रेनिंग दी गयी है। (व्यवधान) मान्यवर, मैंने दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा कि बाहरी राज्यों से आये हुए व्यक्तियों में से कितनों का सत्यापन आपने किया? हम यह नहीं कहते कि सबका कर दिया होगा, जितनों का सत्यापन कर दिया है, उनकी संख्या बता दें। मैंने पूछा कि पूर्व में प्रकाश में आये अपराधियों की कुल संख्या कितनी है और कितने अपराधियों पर सरकार अभी तक कार्रवाई कर चुकी है? यह बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह जो विशेष अभियान चलाया है, इसमें प्रत्येक जनपद मुख्यालय तथा नगरीय क्षेत्र के जो थाने और कोतवाली हैं, इन सभी जगह पर उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नागरिक हैं, उनके बीच में सामंजस्य बैठाना तथा उनमें जनजागरण करना इस अभियान का हिस्सा था। इसके साथ–साथ मा0 सदस्य जो जानकारियां चाह रहे हैं कि हमें आंकड़ों से अवगत कराया जाए तो मैं आपको आंकड़े उपलब्ध करा दूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने बांग्लादेशियों के सम्बन्ध में भी पूछा था।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने सिर्फ बांग्लादेशियों का नहीं पूछा। जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसमें आपने कहा है कि बाहरी राज्यों से जो लोग आए हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब तक कितने लोगों का सत्यापन किया जा चुका है? हजार लोगों का किया होगा, 2 हजार लोगों का किया होगा। कुछ तो आंकड़े होंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, हम कुछ उपाय कर रहे हैं, उन उपायों के बारे में यहां पर जानकारी दी है और सत्यापन किये जाने की प्रक्रिया निरन्तर चल रही है। यहां पर जो भी बाहरी व्यक्ति आता है, उसके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। आंकड़े बाद में बता देंगे। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न और पूछा था। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि पूर्व में प्रकाश में आये अपराधियों की संख्या कितनी है और कितने अपराधियों पर क्या कार्रवाई की गयी? यह बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, पूरे प्रदेश के अपराधियों की संख्या समय–समय पर घटती–बढ़ती रहती है, थानों में अपराध ही पंजीकृत किये जाते हैं। जहां तक आप निश्चित संख्या की बात कह रहे हैं तो उसकी कोई कट ऑफ डेट बता दीजिये मैं आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उत्तर में दिया है कि "पूर्व में प्रकाश में आये अपराधियों के सक्रिय पाये जाने पर उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।" तो इसकी जानकारी मुझे दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

मानीय मंत्री ने कहा कि वह बता देंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इग्जैक्ट फिगर दिया जाना सम्भव नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और सरकार इसे इतने हल्के ढंग से ले रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, 12 तारीख से इनकी संख्या बढ़ गई है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उसका संदर्भ लिया है कि "बाहरी राज्यों से आये व्यक्तियों के सत्यापन कराये जा रहे हैं।" श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि......।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की पूरी बात तो आने दीजिये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जहां पर इनकी मदद की आवश्यकता होगी, हम इनसे पूछ लेंगे। श्रीमन्, बाहर से आने वाले व्यक्तियों के सत्यापन के बारे में सरकार ने कहा, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों की परिभाषा क्या है? रोजमर्रा पर्यटक आते हैं, उनको हम कहां से आने वाले कहेंगे, खेतिहर मजदूर आते हैं, उनको हम कहां से आने वाला कहेंगे? क्या बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार का परिचय पत्र या पहचान पत्र देने का कार्यक्रम है या बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एंट्री प्वाइंट पर कोई रजिस्टर या इन्ट्री कराने की कोई व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यही है कि आखिरकार बाहर से आने वाले व्यक्तियों से तात्पर्य क्या है? खेतिहर मजदूर हैं, पर्यटक हैं?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, मैं यही प्रश्न कर रहा हूँ कि सरकार उनको किसी प्रकार का परिचय पत्र देने पर विचार कर रही है? क्या इस प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन किया गया है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य से बाहर के व्यक्ति, जो यहां पर व्यवसाय के प्रयोजन से आयेंगे या अस्थाई रूप से निवास के प्रयोजन से आयेंगे या यहां अस्थाई व्यवसाय के प्रयोजन से आयेंगे, तो उनका सत्यापन सम्बन्धित थानों के माध्यम से किया जाता है और वह प्रक्रिया निरन्तर चलती है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था कि कितने लोगों का सत्यापन किया जा चुका है, यह तो बता दें। आज तक कितने लोगों का सत्यापन किया गया है, अब तक क्या हुआ, क्या एक भी व्यक्ति का सत्यापन नहीं हुआ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रक्रिया, चूंकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, राज्य में कानून व्यवस्था सुव्यस्थित हो, चोरी, डकैती और नकबजनी, इस तरह के अपराध न हों, इसको दृष्टिगत रखते हुये यह कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। इनकी जानकारी हमने दी है और अगर इग्जेक्ट जानकारी फीगर के साथ चाहेंगे तो मैंने विनम्रतापूर्वक आग्रह किया है कि मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों की कार्यप्रणाली के विरुद्ध कार्यवाही

***2–श्री सुरेन्द्र राकेश–**

क्या उद्योग मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड में स्थापित उद्योगों में मात्र असेम्बलिंग का कार्य हो रहा है?

क्या सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को चिन्हित किया गया है? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है?

क्या सरकार इस प्रकार के उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित उद्योगों में से अब तक 55 इकाईयों को असेम्बलिंग श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा एसेम्बलिंग गतिविधियों/क्रियाकलापों को विनिर्माणक (मैन्यूफैक्चरिंग) उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भी असेम्बिलिंग का कार्य मैन्यूफैक्चरिंग के रूप में परिभाषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि विशेष पैकेज के अन्तर्गत जो उद्योग मात्र एसेम्बलिंग के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या इन उद्योगों को विशेष पैकेज के अन्तर्गत मात्र छूट लेने की दृष्टि से उद्योग स्थापित किये गये हैं? दूसरा, क्या अधिकतम उद्योगों द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग दूसरे प्रदेशों में की जा रही है तथा उत्पादन उत्तराखण्ड में दर्शाया जा रहा है? ऐसे उद्योगों से उत्तराखण्ड को क्या कोई फायदा हो रहा है? मान्यवर, यदि नहीं को क्या सरकार ऐसे उद्योगों पर अंकुश लगायेगी?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज प्राप्त हुआ है श्रीमन्, उस औद्योगिक पैकेज के अंतर्गत असेम्बलिंग भी एक उद्योग के अंतर्गत आता है और इसके तहत 55 उद्योग वर्तमान में स्थापित हैं। श्रीमन्, वर्तमान में जिस प्रक्रिया के तहत जो भी छूटें उद्योगों को दी जा रही हैं, वह इन्हें भी मिलेंगी।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, असेम्बलिंग की कोई न कोई परिभाषा उसमें होगी नियमों में। सिडकुल हरिद्वार या जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां पर कोई न कोई यूनिट्स ऐसे हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्टॉनिक्स का सामान जिन फैक्ट्रियों में यू0पी0 या उत्तराखण्ड के बाहर से बनाते हैं और यहां पर लेकर आते हैं और लाने के बाद सिर्फ मेड इन उत्तराखण्ड की मोहर उन पर लग रही है और मेड इन उत्तराखण्ड की मोहर लगने के बाद जिस लॉरी से वो आते हैं, उसी लॉरी से वापस जाते हैं, फिर वो असेम्बलिंग यूनिट कहते हैं। मान्यवर, क्या असेम्बलिंग यूनिट की कोई परिभाषा है या नहीं ? सिर्फ एक मुहर मारने के लिए यहां पर वो लाया जाता है ताकि उसे टैक्स में छूट फैक्ट्रियों को मिल सके।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अभी भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ 18 जनवरी, 2008 को। इस नोटिफिकेशन के अन्तर्गत, जो कुछ इसमें कहा है इस नोटिफिकेशन में कि "नोटिफिकेशन शैल नॉट अप्लाई टू सच गुड्स व्हिच हैव बीन सब्जेक्टेड टू ओनली आन ऑर मोर द फालोईंग प्रोसेसेस, नेमली," इन चीजों में यह एप्लीकेबुल नहीं होगा। ये इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा है और जिसमें कहा है कि "प्रिवेंशन ड्यूरिंग स्टोरेज, क्लीनिंग ऑपरेशन्स, पैकिंग ऑर रिपैकिंग ऑफ सच गुड्स इन एन यूनिट कन्टेनर ऑर लेबलिंग ऑर रि–लेबलिंग ऑफ कन्टेनर्स, स्टोरिंग डिक्लेरेशन आल्टरेशन ऑर रिटेल सेल प्राईज एण्ड हैव नॉट बीन सब्जेक्टेड टू ऐनी अदर प्रोसेस ऑर प्रोसेसेस मैन्यूफैक्चर इन द स्टेट्स ऑफ उत्तराखण्ड ऑर हिमाचल प्रदेश।"

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए इसे हिन्दी में बता दें।

श्री अध्यक्ष–

अनुवाद कर दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पैकिंग और रिपैकिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो इन पैकेज के अन्तर्गत नहीं हो सकती है। इसके साथ–साथ जो आपने कहा कि असेम्बलिंग, असेम्बलिंग को उन्होंने मैन्यूफैक्चरिंग के रूप में परिभाषित किया है। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यदाकदा नियम बदले जाते हैं। भारत सरकार के जो नियम यहाँ लागू हैं। (व्यवधान) यहाँ पर उद्योग स्थापित करने का जो मकसद था, जो मंशा थी, वह यह नहीं थी कि उद्योगपति यहाँ आयें और टैक्स हॉलीडे लेकर चले जाएं। यहाँ नवनिर्मित राज्य में उद्योग स्थापित करने की जो जरूरत महसूस की गयी, वह थी यहाँ बेरोजगारी दूर करना। एक एल0जी0 कम्पनी का नाम मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसी कम्पनी, जिससे उम्मीद की जाती है कि वह यहाँ आये और आने के बाद हजारों की तादाद में लोगों को यहाँ रोजगार दे। वह यहाँ आती है किस नाम से, पी0जी0 इन्टरनेशनल के नाम से वो यहाँ असेम्बलिंग करती है। सब कुछ वो फिट करके लाती है और यहां सिर्फ और सिर्फ मोहर लगाने का काम करती है। तो क्या भारत सरकार से कोई ऐसा निवेदन उत्तराखण्ड सरकार करेगी कि असेम्बलिंग की भी परिभाषा थोड़ी–बहुत बदली जाये या सिर्फ मेड इन उत्तराखण्ड की मोहर लगाकर यहाँ के बेरोजगार नवयुवकों को ये फैक्ट्रियां छलने का काम करेंगी?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बड़े उद्योग हैं, उन उद्योगों में असेम्बलिंग का काम साथ–साथ चलता है। जैसे कार बनती है, कार में कुछ उपकरण किसी जगह से आये, कुछ कहीं से आये और उनकी असेम्बलिंग हुई यूनिट के रूप में इसका दर्जा प्राप्त है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के अन्दर वर्तमान में लगभग–लगभग 3600 उद्योग स्थापित हैं और मात्र 55 उद्योग असेम्बलिंग का कार्य कर रहे हैं। यह कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या 55 के लिए छूट है?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

मान्यवर, जिस बात को माननीय विधायक जी यहां पर उठा रहे हैं। मैं स्वयं इस बात से बहुत चिंतित हूँ और शुरू में, जो आप बात कर रहे हैं, हमने आंकड़े लिये थे। मेरा मानना यह है कि जो एक्साईज की छूट 2003 में दी गयी वो इसलिए दी गयी कि यहां उसका प्रोडक्शन हो, मैन्यूफैक्चर उत्तराखण्ड में हो।

मान्यवर, उत्तराखण्ड से बाहर कहीं मैन्यूफैक्चर नहीं कर रहे हैं। आपने बताया सही है, बाहर से पार्ट्स लाते थे यहाँ असेम्बलिंग करते थे, इस प्रकार के जितने भी उद्योग थे हमने उनको वार्निंग दी है और कहा कि ऐसा होगा तो हम उन्हें कैन्सिल करेंगे। अगर कहीं पर कोई कमी रह गई है तो हमें इसमें केन्द्र सरकार के पास जाने में कोई झिझक नहीं है।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया और बहुत ही संतोष का उत्तर है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि 600 यूनिट लगी हैं और 55 यूनिट असेम्बलिंग कर रही है। मैं निश्चित रूप से आपको यह बताना चाहता हूँ कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ऐसे ही इन्डस्ट्रियाँ लगी थीं और भीमताल में भी ऐसी ही यूनिट लगी थी वह भी छोड़कर चली गई है, उसका यहाँ पर कोई नामोनिशान नहीं है।

स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राज्य का निर्धारित बजट का प्रतिवर्ष उपयोग

*3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2005–06, वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राज्य का प्रति वर्ष कितना बजट निर्धारित है?

क्या स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्धारित बजट का प्रति वर्ष उपयोग किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके क्या कारण हैं?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

वित्तीय वर्ष 2005–06, वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (अनुसूचित जाति उप योजना) के अन्तर्गत राज्य का प्रति वर्ष का बजट निम्नवत् है–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत राज्य हेतु कुल निर्धारित बजट (रू.लाख में)
01	2005–06	30664.14
02	2006–07	82547.60
03	2007–08	66060.61

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, इस सम्बन्ध में मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि एस0सी0पी0 बजट का निर्धारण करने के क्या माप–दण्ड है ? वर्ष 2005–2006 में 30664.14 लाख, वर्ष 2006–2007 में 82547.60 लाख और वर्ष 2007–2008 में 66060.61 लाख का बजट है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके मापदण्ड क्या हैं और वर्ष 2007–2008 में यह क्यों कम किया गया?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2004–2005 से पूर्व यह नियोजन विभाग के माध्यम से एस0सी0एस0पी0 का कार्य चला करता था। वर्ष 2004–2005 में यह समाज कल्याण विभाग को हस्तानान्तरित हुआ। इससे पूर्व विभिन्न विभागों द्वारा एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत मात्राकरण की धारणा प्रचलित थी। इसमें जनसंख्या के अनुपात में अधिकांश विभागों द्वारा मात्राकृत धनराशि एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाता था। जबकि इनमें से अनेक योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्गों को नहीं मिलता था। समाज कल्याण विभाग को यह योजना जब प्राप्त हुई, उन्होंने मात्राकरण के स्थान पर उद्‌देश्यपरक कार्यक्रमों का समावेश इन योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने के निर्देश जारी किये। इससे लक्षित वर्गों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके ऐसे प्रयास

प्रारम्भ हुए। परन्तु विभागों द्वारा नई योजना बनाये जाने के स्थान पर पूर्व में चल रही योजनाओं को ही एस0सी0पी0 के अन्तर्गत लिये जाने के कारण, इसमें कोई विशेष रूचि नहीं प्रस्तुत किये जाने के कारण मानकों के अनुरूप लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों को कम देखा गया। इस पर सुधार जारी करते हुए, हमारी वर्तमान सरकार ने इसे बड़ी गम्भीरता से लिया और इसके तहत मैं कहना चाहूँगा कि बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत जहाँ वर्ष 2006–2007 में 44.67 प्रतिशत था, वहीं 2007–2008 में बढ़कर 53.01 प्रतिशत हो गया। हमारी सरकार का प्रयास है कि सभी विभागों के माध्यम से इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया जाय जिसका अधिकतम लाभ लक्षित वर्ग के उद्देश्यपरक कार्यों में हो, ऐसा प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से हुआ है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान लागू करने के लिए भारत सरकार के योजना आयोग के कोई दिशा–निर्देश हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उन दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह योजना तो भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही चलती है, उसी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है।

जनपद नैनीताल की मृतप्राय झीलों का पुनर्जीवीकरण

*4–श्री यशपाल आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल की मृतप्राय झीलों के पुनर्जीवीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो वे कौन–2 सी झीलें हैं तथा कार्ययोजना का स्वरूप क्या है? और कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री मे0ज0 (अ0प्र0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बहुत गम्भीर विषय है। मेरे पूर्व प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है, पहले इसका उत्तर आने दें। अनुसूचित जाति, जनजाति से जुड़ा हुआ विषय है। इसका उत्तर आने दें। माननीय मंत्री जी का जवाब ठीक से नहीं आया है। पहले पूर्व प्रश्न का पूरा जवाब आने दें। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उत्तर नहीं आया।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार की स्पष्ट गाईड लाईन है कि जनसंख्या के आधार पर बजट का आवंटन होना चाहिए। इसकी स्पैसिफिक गाईड लाईन है। किन्तु सरकार द्वारा सरासर अनदेखी की जा रही है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। किन्तु सरकार द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन का पालन नहीं किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास इस सम्बन्ध में भारत सरकार की जो गाईड लाईन है, उसके दिशा–निर्देश हैं, उसका विवरण है जिसे मैं आपके पटल पर रखना चाहता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

बता दें कि सरकार द्वारा किन दिशा–निर्देशों का पालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आ गया था। आप स्पैसिफिक बताइये कि क्या नहीं हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, इसके दिशा–निर्देश में लिखा है कि, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो बजट निर्धारण किया जाता है भारत सरकार के द्वारा वह नॉन डायवर्ट और नॉन लैप्सबल होता है। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया पिछले वर्ष का बजट लैप्स कर दिया गया। (घोर व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, भारत सरकार के स्पष्ट दिशा–निर्देश हैं कि जनसंख्या के आधार पर बजट का आवंटन होना चाहिए। जो बजट निर्धारित किया जाता है, वह बजट न तो लैप्स हो सकता है और न ही डाइवर्ट हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति, जनजाति का मामला है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता तो रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करते हुए 'वेल' में आ गये और अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें, इस पत्र को मेरे पास भिजवा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी, यह आपका अन्तिम अनुपूरक प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मात्र इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है। उसमें जो दिशा-निर्देश दिये गये हैं और जो बजट निर्धारण किया गया है, उन दिशा-निर्देशों के अनुसार इंजीनियरिंग कालेजों की उसमें व्यवस्था है, पॉलीटैक्निक में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए व्यवस्था है, उसका निर्माण किया जाये। अन्य जो भी इसमें दिशा-निर्देश दिये गये हैं, उनके अनुसार इसमें बजट का निर्धारण किया जाये और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, मैंने पूर्व में भी अवगत कराया है कि जो प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है, उसका स्पेसिफिक उत्तर पूर्व में दिया गया है और चूंकि गाइड लाईन भारत

सरकार की है और भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुरूप ही राज्य सरकार काम करती है। उद्देश्यपरक कार्यक्रम हों, जिनका लाभ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बात पूरी आने दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, भारत सरकार की जो गाइड लाईन है, उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं उसके बारे में बतायें। इस वर्ष बजट में कटौती की गयी है। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय यशपाल जी, पूरी बात आने दीजिए। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार की गाईड लाईन है, उन्हीं के अनुरूप कार्य हो रहा है। अगर कतिपय उदाहरण माननीय सदस्य को मालूम हों तो मेरे संज्ञान में लायें। सरकार उसका संज्ञान लेगी। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, जनसंख्या के आधार पर बजट का आवंटन किया जा रहा है या नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, आप स्पेसिफिक कोई उदाहरण दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जिन इंजीनियरिंग कालेजों एवं पॉलिटेक्निक निर्माण के लिए बजट दिया गया उनका निर्माण किया गया या नहीं?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर इस उद्देश्य से कार्य किया जाता है कि इन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले। मैंने कहा कि अनेकों विभागों में इनके लिए बजट आवंटित किया जाता है। विभाग उस बजट के अनुरूप और मानकों के अनुरूप कार्य करता है। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा सदन को गुमराह किया जा रहा है और सरकार दलित समुदाय के लोगों के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है। इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

ऊधमसिंह नगर में कार्यरत बिल्डरों को आवंटित भूमि एवं निर्माण के मानक

*5–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 60, पन्तनगर–ऊधमसिंह नगर में कितने बिल्डर कार्यरत् हैं तथा प्रत्येक बिल्डर के पास कितनी–कितनी भूमि है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बिल्डरों को भूमि आवंटन के समय किन औपचारिकताओं को पूर्ण कराया जाता है तथा शहरी आवास निर्माण के लिये क्या मानक हैं?

मे0ज0 (अ0प्र0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

60, पन्तनगर–गदरपुर विधान सभा क्षेत्र, जनपद ऊधमसिंह नगर में विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 13 बिल्डर/निर्माण कम्पनियाँ कार्यरत् हैं। इन कम्पनियों के पास स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप उपलब्ध भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं0	कम्पनी का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)
1.	गुरूचरण सिंह आदि एलाइन्स निर्माण लि0	7.2558
2.	श्रीमती महेन्द्र कौर आदि एलाइन्स निर्माण लि0	55.3197
3.	श्री दीपक जैन आदि स्वागत इन्कलेव	1.846
4.	श्री संजीव वर्मा आदि हिल व्यू सिटी	4.4830
5.	श्री मुल्कराज गाबा वैलटैक बिल्डर्स	5.7136
6.	सामिया इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा0 लि0	49.9696
7.	श्री बलदेव राज आदि	2.1180
8.	श्री अर्जुन गुप्ता प्रणाम बिल्डर्स रायलग्रीन	3.0948
9.	एच0सी0एल0 सोवती बिल्डिवल लि0	5.9947
10.	प्रबन्धक कोरस इण्डिया लि0	2.4288
11.	श्रीमती सरोज अग्रवाल	0.9340
12	प्रोग्रेसिव एस्टेट एण्ड प्रमोटर्स प्रा0 लि0	3.8620
13.	मै0 पियुष कालोनाईजर प्रा0 लि0 आर0 एच0 डी0 60	2.1407

नोट–तारांकित प्रश्न सं0–4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

12 सितम्बर 2003 के उपरांत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 एवं 2007 तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 एवं 2007 के अनुसार ही भूमि क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें सम्पादित करते हुए राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है। आवास विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–1942/V/आ0–2008 15 (आ)/2006, दिनांकः 17 अगस्त, 2006 के मार्गनिर्देशों के अनुसार पंजीकृत बिल्डर हेतु भूमि क्रय की संस्तुति दी जाती है तथा शहरी आवास निर्माण के लिये विस्तृत मानक आवास विभाग के शासनादेश दिनांक 6–11–2007 द्वारा निर्धारित किये गये हैं। इनमें पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र की परिभाषा, भवन की ऊंचाई, अधिकतम भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0, ऊंचाई सम्बन्धी अन्य प्राविधान, एफ0ए0आर0 व ऊंचाई में छूट, भूकम्प अग्नि इत्यादि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान, ग्रुप हाउसिंग–मानक, भू–गेह (बेसमेंट) पार्किंग–मानक, सेट बैक–मानक, सामुदायिक सुविधायें–मानक, वर्षा जल संग्रहण–मानक, निर्माण कार्य की पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में मानक निर्धारित किये गये हैं।

प्रदेश में भेषज कृषिकरण के अन्तर्गत कृषकों का पंजीकरण

*6–श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भेषज विकास इकाई उत्तराखण्ड के गठन के पश्चात् प्रदेश में भेषज कृषिकरण के अन्तर्गत कितने कृषकों का पंजीकरण किया गया है?

इन कृषकों को कितनी राज सहायता दी गयी है?

पंजीकृत कृषकों द्वारा कितना भेषज उत्पादित किया गया व सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0ज0(अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

भेषज विकास इकाई द्वारा प्रदेश में भेषज कृषिकरण के अन्तर्गत कृषकों के पंजीकरण का कार्य नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान विभाग में सीमान्त जनपदों हेतु सृजित पदों की अपेक्षा असीमान्त जनपदों में कर्मिकों की तैनाती

*7–श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उद्यान विभाग के अधीन कार्यरत वर्गीकरण पर्यवेक्षक व वर्गीकरण सहायक के पद शासन द्वारा सीमान्त जनपदों उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ व चमोली हेतु सृजित किये गये थे?

यदि हाँ, तो उक्त कार्मिकों को असीमान्त जनपदों में किसके द्वारा तैनात किया गया है?

क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

वर्गीकरण पर्यवेक्षक एवं वर्गीकरण सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को कार्य की आवश्यकतानुसार असीमान्त जनपदों में तैनात किये जाने की कार्यवाही निबन्धक/अपर निबन्धक, सहकारिता विभाग द्वारा की गयी है। कालान्तर में सहकारी जड़ी–बूटी योजना, सहकारिता विभाग से उद्यान विभाग के अन्तर्गत भेषज विकास इकाई के रूप में समाहित होने के उपरान्त इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी उक्त कर्मिकों की तैनाती यथाआवश्यकता असीमान्त जनपदों में की गयी है, किन्तु उन्हें उसके मूल स्थानों पर वापस भेज दिया जायेगा।

जी नहीं। राज्य के विभिन्न जनपदों में कार्य की आवश्यकता एवं कर्मचारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक स्थानान्तरण कर्मचारियों द्वारा दिए गये विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लक्सर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लो0नि0वि की राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य

*कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्रश्नकर्ता के द्वारा पत्र सं0–क–519, दिनांक 18–12–2007 के माध्यम से लक्सर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लो.नि.वि. की राज्य सैक्टर

योजना, सन् 2008–09 अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त निर्माण कार्यों के प्राक्कलन (विस्तृत) विभागीय प्रभारी अधिकारीगण द्वारा शासन को प्रेषित कर दिए गए हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लोकहित में अविलम्ब उक्त का शासनादेश जारी करने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0ज0(अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी हाँ।

जी हाँ।

शासनादेश सं0–917/111(2)/08–24(एम.एल.ए.)/07, दि0 31 मार्च, 2008 एवं संख्या–918/111(2)/08–24 (एम.एल.ए.)/07, दिनांक 31 मार्च, 2008 के द्वारा उक्त पत्र में उल्लिखित कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

टिहरी के लो0नि0वि0 अस्थाई खण्ड, घनसाली द्वारा छतियारा–भलेटी बैण्ड मोटर मार्ग निर्माण

1–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के लो.नि.वि. अस्थाई खण्ड, घनसाली में छतियारा–भलेटी बैण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कितने कि.मी. तक हो चुका है?

क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे0ज0(अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

छतियारा से भलेटी बैण्ड तक मार्ग की कुल लम्बाई 19.92 कि.मी. है, जिसमें छतियारा की ओर से 11.920 कि.मी. लम्बाई का मोटर मार्ग निर्मित हो चुका है तथा भटेली बैण्ड की ओर से 3.00 कि.मी.। इस प्रकार कुल 14.920 कि.मी. लम्बाई से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जी हाँ।

कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 10/2009

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान विभाग के अन्तर्गत जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक व वर्गीकरण पर्यवेक्षकों के वेतन विसंगति पर विचार

2–श्री केदार सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उद्यान विभाग के अन्तर्गत जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक व वर्गीकरण पर्यवेक्षकों का कार्य समान होते हुए भी वेतन में विसंगति है?

क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरण वेतन विसंगति निस्तारण समिति के समक्ष रखा गया है?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त विसंगति को दूर करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

मे०ज० (अ०प्रा०) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भेषज विकास इकाई द्वारा वर्गीकरण पर्यवेक्षक (वेतनमान–3050–4590) का वेतनमान–3200–4900 किये जाने तथा जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक (वेतनमान–3200–4900) का वेतनमान–4500–7000 किये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

*श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि सरकार द्वारा जो आन्सर सीट दी गयी है, उसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी लिखा गया है और लास्ट में दूसरे प्रश्न के उत्तर में उनका नाम मेजर जनरल (अवकाश प्राप्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी लिखा गया है।

*मे०ज० (अ०प्रा०) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, मैं इस गलती के लिए आपसे क्षमा माँगता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री गोविन्द सिंह बिष्ट तथा काजी मौ० निजामुद्दीन की कुल 5 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इन पाँचों सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

प्रदेश के राजकीय पालिटैक्निक संस्थानों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के मानदेय तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपाल सिंह रावत–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थानों में विगत कई वर्षों से अध्यापन कार्य को सुदृढ़ करने हेतु लोक सेवा आयोग के मानकों के अनुरूप संविदा/विजिटिंग, प्रवक्ता/अनुदेशक नियुक्त किये गये हैं। कई वर्षों के कार्यानुभव व परीक्षाफल के संतोषजनक होने के बावजूद इन्हें सत्र प्रारम्भ होने के समय पुनः वार्षिक साक्षात्कार को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत् संविदा/विजिटिंग प्रवक्ता को अधिकतम रू0 10,000 (दस हजार) प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा/विजिटिंग प्रवक्ताओं को अधिकतम रू0 15,000 (पन्द्रह हजार) मानदेय दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सैकड़ों संविदा/विजिटिंग प्रवक्ताओं को लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में आयु सीमा में छूट दिया जाना तथा साक्षात्कार में आमंत्रित किया जाना सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है, जबकि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत् सैकड़ों संविदा/विजिटिंग प्रवक्ताओं को उपरोक्त सुविधा से वंचित किया गया है।

राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थानों में कार्यरत् सैकड़ों संविदा/विजिटिंग प्रवक्ताओं व अनुदेशकों में दोहरी व्यवस्था होने के कारण भारी रोष व्याप्त है तथा शिक्षण कार्य के प्रति उत्साह कम होने के साथ–साथ अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं।

अतः समस्त राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थानों में कार्यरत् संविदा/विजिटिंग प्रवक्ता/अनुदेशकों को राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा/विजिटिंग प्रवक्ताओं की भांति मानदेय तथा अन्य सुविधायें दिये जाने के लिए कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर में धाड़ क्षेत्र की नदियों से कृषि योग्य भूमि के कटाव के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के ब्लाक भगवानपुर धाड़ क्षेत्र होने के कारण प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में नदियों द्वारा कृषि योग्य भूमि को कटाव के कारण नष्ट कर दिया जाता है। गत वर्ष में हजारों बीघे जमीन कटाव के कारण नष्ट हो चुकी है। इस सम्बन्ध में स्थानीय किसानों ने जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी ने समस्या को गम्भीर समझते हुए अधिशासी अभियन्ता बाढ़ सुरक्षा से सर्वे करवाया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कृषि योग्य भूमि के बचाव के समाधान हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेज दी गयी है। लेकिन शासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाही हेतु धन आवंटित नहीं किया गया है, बरसात आने वाली है। यदि अतिशीघ्र इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गयी तो भगवानपुर ब्लाक के अधिकतम छोटे किसान भूमिहीन हो जायेंगे, हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो जायेगी, जिससे प्रदेश की उपज पर गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाने की सम्भावना उत्पन्न हो जायेगी। इस कारण से प्रदेश में खाद्यान्न का संकट भी उत्पन्न होगा। इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए तथा ब्लाक भगवानपुर में तैयार प्रोजेक्ट के अनुसार धन आवंटित कर सुरक्षा (बाढ) का कार्य अतिशीघ्र करने हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

देहरादून शहर में पालतू पशुओं का गोबर नालियों, सड़कों तथा खाली पड़े प्लाटों में बहाने से गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, देहरादून शहर में पालतू पशुओं का गोबर नालियों, सड़कों तथा खाली पड़े प्लाटों में बहाने में गन्दगी का माहौल व्याप्त है। इससे राह चलने वालों को जहाँ असुविधा होती है, वहीं गन्दगी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं इस सम्बन्ध में देहरादून के विजय पार्क एक्सटेशन रकबा नं० 99/01 के समीप हरियाणा डेयरी का उदाहरण देना चाहती हूँ। यहां पर डेयरी द्वारा गोबर आदि की गन्दगी प्लाट नं. 99/01 में बहायी जा रही है और वह आगे सड़क में फैल रही है। यही स्थिति शहर के अन्य भागों में भी है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूँ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चौड़ाकोट से वर्मा फगवाल तोक में निर्मित मार्ग की मरम्मत तथा ग्राम पंचायत चौड़ाकोट के तोक ककुडी से कफलानी पनचक्की खेत के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, चम्पावत के विकास खण्ड पाटी के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट ग्राम चौड़ाकोट के तोक से वर्मा फगवाल तोक में निर्मित मार्ग की मरम्मत तथा ग्राम पंचायत चौड़ाकोट से वर्मा फगवाल तोक में निर्मित मार्ग की मरम्मत तथा ग्राम पंचायत चौड़ाकोट के तोक ककुड़ी से सफलानी पंचक्की खेत मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में गांववासी सन् 2005 से बराबर जिला पंचायत, जिलाधिकारी तथा शासन से अनुरोध करते आ रहे हैं, इसके आगणन भी जिला पंचायत ने तैयार किये परन्तु स्वीकृति के अभाव में इन दोनों पैदल मार्गों में मरम्मत/निर्माण कार्य नहीं हुआ।

मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस जिले का यह सुदूर ग्रामीण अंचल है यातायात की कोई सुविधा नहीं है जिससे ग्रामवासियों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः लोक महत्व के इस प्रकरण पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।

नगर पालिका मंगलौर, जनपद हरिद्वार में सीवर लाइन बनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

[मान्यवर, नगर पालिका मंगलौर, जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मल–मूत्र के निस्तारण के लिए नागरिकों के पास सेप्टिक टैंक के अलावा कोई चारा नहीं है। एक घर में एक सेप्टिक टैंक और किसी–किसी घर में इससे ज्यादा होते हैं। जो लोग सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते वो खुले में ही शौचालय बनाते हैं। इससे नगरीय क्षेत्र में हर प्रकार का प्रदूषण बढ़ रहा है। इस स्थिति में नगरीय क्षेत्र मंगलौर में सीवर लाईन की आवश्यकता है। अतः इस विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

डा0 प्रताप सिंह बिष्ट, पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार

मुख्यमंत्री [मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी और अपने दल की तरफ से डा0 प्रताप सिंह बिष्ट जी के निधन पर दुःख प्रकट करता हूँ और अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ और आपसे

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रार्थना करता हूँ कि मेरी शोक संवेदना को उनके परिवार तक पहुँचा दें। डा0 बिष्ट का राजनीतिक एवं प्रशासनिक जीवन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। दिनांक 20 जून, 1961 को उनका जन्म अल्मोड़ा जिले में हुआ था। भिकियासैंण तहसील में और उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा में एल.एल.बी. किया, पी.एच.डी. किया और राजनीतिक क्षेत्र में वे उत्तराखण्ड आन्दोलन से जुड़े रहे। उसके बाद राज्य प्राप्ति के बाद उन्होंने एक शोध ा ग्रन्थ भी लिखा ''उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आंदोलन का ऐतिहासिक अध्ययन''।

मान्यवर, वे पहले उत्तराखण्ड क्रान्ति दल में थे और बाद में कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गये थे। वर्ष 2012 में आम चुनाव में उन्होंने कॉंग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और विधायक हुए। डा0 बिष्ट कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के भी अध्यक्ष रहे और पार्टी के अन्दर भी प्रदेश के महामंत्री का दायित्व उन्होंने सम्भाला। मुझे दुःख है कि 47 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनके परिवार तक शोक संवेदना पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन जी ने डा0 प्रताप बिष्ट जी के निधन पर जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने आप को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आज इस सदन ने और पूरे प्रदेश की जनता ने एक होनहार, एक जुझारू और एक संघर्षशील व्यक्तित्व खोया है। मान्यवर, 20 जून, 1961 को उनका जन्म अल्मोड़ा जनपद में हुआ। मैं सोचता हूँ कि इतनी कम उम्र में उनका निधन निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के लिए बहुत बड़े दुःख का कारण है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज भी याद है कि जब मेरी पहली बार वर्ष 1994 में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। वे गढ़वाल का दौरा करते हुए श्रीनगर में मेरे घर पर आये थे और पहली बार की मुलाकात में उत्तराखण्ड के प्रति जो पीड़ा थी, जो शराब का प्रचलन हमारे देश प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहा है उसके प्रति जो पीड़ा थी, गरीबों के प्रति उनके मन में जो पीड़ा थी, निश्चित रूप से उस दिन मुझे लगा कि यह नौजवान आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से उस समय चूँकि हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष में योगदान का प्रहरी बनेगा, योगदान का सिपाही बनेगा और वह सौभाग्य मिला कि उत्तराखण्ड क्रान्ति दल से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले डा0 प्रताप सिंह बिष्ट संघर्ष करते–करते उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद कॉंग्रेस में सम्मिलित हुये। कॉंग्रेस ने उनकी योग्यता, प्रतिभा और उनके जुझारूपन को देखते हुये उनको भिकियासैंण विधान सभा से अपना प्रत्याशी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाया और उत्तराखण्ड आंदोलन में उत्तराखण्ड जनता के प्रति संघर्ष का प्रतिफल था कि जनता ने उनको हाथों–हाथ लिया और इस सम्मानित सदन में सदस्य के रूप में हम सब लोगों के बीच में पिछले 5 वर्षों तक अनेक अवसरों पर सवालों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपने सुझावों के माध्यम से। मान्यवर, केवल इस सदन का ही नहीं पूरे उत्तराखण्ड के लिए मार्गदर्शन करते रहे और समय–समय पर उनके सुझाव एवं उनका सहयोग उत्तराखण्ड के नौजवानों के विकास के लिए उपयोगी रहा।

माननीय अध्यक्ष जी, स्व० डा० प्रताप बिष्ट जी से हमें और भी उम्मीदें थीं। यदि वे हमारे बीच में रहते तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इस उत्तराखण्ड को उनके अनुभव का और लाभ मिलता। मान्यवर, कुमाऊँ मण्डल के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तमाम विदेशी दौरे भी किये थे। इन दौरों से जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ था शायद उत्तराखण्ड के पर्यटन के विकास में, उस अनुभव का लाभ हमें मिलता, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से अपने और अपने दल की ओर से आग्रह करना चाहता हूँ कि उनके दुःखी परिवार तक हमारी संवेदना को, उनके इस दुःख में, उनके परिवार के इस दुःख में कांग्रेस विधान मण्डल दल और ये सदन, उनकी पीड़ा के साथ खड़ा है, यह मैं आपके माध्यम से अनुरोध और आग्रह करना चाहता हूँ।

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से अपने आप को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए, डा० प्रताप सिंह बिष्ट जो हमारे साथ पिछले पांच साल विधायक रहे हैं। मान्यवर, मेरे साथ तो वे प्राक्कलन समिति में भी सदस्य थे। वे बहुत ही सरल स्वभाव वाले थे। और अपने आप में वे बहुत अच्छे इंसान भी थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं शायद कुदरत को यही मंजूर था, लेकिन उत्तराखण्ड आंदोलन में उन्होंने अपने आप को आंदोलन से जोड़े रखा। अगर वे हमारे बीच में रहते तो निश्चित रूप से उनके अनुभवों का हमारे प्रदेश को लाभ मिलता। अंत में मैं अपनी तरफ से और अपने दल की ओर से उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

यदि किसी माननीय सदस्य को अपने विचार रखने हैं तो वे रख सकते हैं।

*श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय डा० प्रताप सिंह बिष्ट हमारे दल के सदस्य भी रहे हैं। मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विचारों से सम्बद्ध होते हुए अपनी और अपने दल की ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुःख सहने की शक्ति मिले।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी और माननीय सदस्य, यू0के0डी0, द्वारा जो दिवंगत डा0 प्रताप सिंह बिष्ट जी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये गये हैं, उससे मैं भी अपने आप को सम्बद्ध करते हुए उनके जीवन परिचय के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि डा0 प्रताप सिंह बिष्ट का जन्म 20 जून, 1961 को अल्मोड़ा जिले की भिकियासैंण तहसील के ग्राम इण्डा में हुआ था। डा0 प्रताप सिंह बिष्ट के पिता का नाम श्री हीरा सिंह बिष्ट था। डा0 प्रताप सिंह बिष्ट की प्रारम्भिक शिक्षा इण्डा तथा थलीसैंण से हुई। डी0एस0बी0 कालेज, नैनीताल से स्नातक तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त अल्मोड़ा डिग्री कालेज से एल0एल0बी0 की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात श्री बिष्ट ने पी0एच0डी0 भी की।

डा0 प्रताप सिंह बिष्ट उत्तराखण्ड आन्दोलन से जुड़े रहे तथा वन अधिनियम के विरोध में जन आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल भी गये। डा0 बिष्ट का शोध ग्रन्थ "उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलन का ऐतिहासिक अध्ययन" भी प्रकाशित हुआ। आप वर्ष 1998 तक उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के महासचिव रहे। वर्ष, 1999 में आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वर्ष 2002 के आम चुनाव में डा0 बिष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर भिकियासैंण विधान सभा क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। डा0 प्रताप सिंह बिष्ट कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2002 से 2007 के मध्य डा0 बिष्ट उत्तराखण्ड विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। डा0 बिष्ट दिसम्बर, 2007 को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के महासचिव चुने गये। दिनांक 19 मार्च, 2008 को रामनगर में हृदय गति रूक जाने से डा0 प्रताप बिष्ट का असामयिक निधन हो गया। डा0 बिष्ट अपने पीछे 85 वर्षीय माता श्रीमती रूक्पा देवी, पत्नी श्रीमती गंगा बिष्ट, 45 वर्ष तथा पुत्र आशु बिष्ट, 14 वर्ष छोड़ गये हैं। मैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सदन के समक्ष यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन स्वर्गीय प्रताप सिंह बिष्ट के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है और परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिवाजनों को इस दुःख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि कृपया खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

(दो मिनट का मौन रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

*

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम–300 के तहत दी जाने वाली सूचनाओं का जवाब कई–कई महीनों तक माननीय सदस्यों को नहीं दिया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी थी कि सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण किये गये विषय पर शासन द्वारा वक्तव्य 15 दिनों के अन्दर सदन में दे दिया जाना चाहिए। यहां पर कई–कई महीनों तक माननीय सदस्यों के पास सूचना नहीं आ रही है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, आपसे इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहिए। कोई जवाब आ भी रहा है तो उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न भी है। आज उस पर विनिश्चय आना है।

वर्ष 2006–07 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2006–07 का सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से लेखा–परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2006–07 का सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का छठा अधिनियम बन गया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कूल्हा का उच्चीकरण एवं पद सृजित करने के सम्बन्ध में श्री लीलाधर जोशी की याचिका

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कूल्हा का उच्चीकरण एवं पद सृजित करने के सम्बन्ध में,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लीलाधर जोशी एवं अन्य निवासीगण, कूल्हा, पोस्ट मजरा आनन्द सिंह, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत कोपा, विकास खण्ड गदरपुर में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह की याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत कोपा, विकास खण्ड गदरपुर में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में, श्री गोविन्द सिंह एवं अन्य निवासीगण, कोपा कृपाली, पोस्ट गूलरभोज, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी का मद संख्या–9 पर नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी का मद संख्या–10 पर नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत का मद संख्या–11 पर नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–12 पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि पहले मद संख्या–17, 18, 19, एवं 20 को ले लिया जाये और शेष मदों को भोजनावकाश के बाद ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मई, 2008 की बैठक में दिनांक 19 मई, 2008 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

दिनांक 19 मई, 2008 (सोमवार)

1. उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक–2008 जैसा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, पर विचार एवं पारण। (दो घण्टा)

2. उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के पुनः संशोधित रूप पर विचार एवं पारण। (पन्द्रह मिनट)

3. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2008 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा (एक घण्टा) :-

"राज्य के विकेन्द्रीकृत विकास में सुधार के लिये राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनः परिसीमन कराया जाए।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन को दी गई, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008, प्रवर समिति को पुनः सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008, जैसा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया, पर विचार किया जाए।

श्रीमन्, इस सम्मानित सदन में 14 मार्च, 2008 को उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया गया था और इस विधेयक पर 17 मार्च, 2008 को चर्चा और पारण होना था। लेकिन चूंकि, यह विधेयक अति महत्वपूर्ण था और इसको देखते हुये सरकार ने विचार किया और सम्मानित सदन के समक्ष यह अनुरोध प्रस्तुत किया था कि इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और सम्मानित सदन ने कृपापूर्वक सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया और इसे दिनांक 17 मार्च, 2008 को विधान सभा सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया और इस प्रवर समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। दिनांक 26 मार्च, 2008 को इसकी पहली बैठक हुई। उसके पश्चात् सात बैठकें इस समिति की हुई। श्रीमन्, जिसमें सभी माननीय सदस्यगणों के सुझाव और उसके अनुरूप इस विधेयक पर संशोधन किये गये और उन संशोधनों के आधार पर यह प्रतिवेदन तैयार किया गया श्रीमन्, इस प्रतिवेदन में प्रवर समिति के किसी भी माननीय सदस्य की विमति की टिप्पणी नहीं लगी और जिन प्रमुख विषयों को इस विधेयक में संशोधित किया गया श्रीमन्, उनमें विश्वविद्यालय के क्षेत्र, जिनके अन्तर्गत राज्य की सीमा अन्तर्गत स्थापित सभी राज्य विश्वविद्यालयों पर इस अधिनियम के उपबंध लागू करने का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, कार्य परिषद्, सभा को मिलाकर एक निगमित निकाय के नाम से गठित करने की संस्तुति

की गयी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों को रोजगार बाजार में प्रवेश करने, उनमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नैतिक चरित्र निर्माण तथा क्षमता की दिशा में कार्य करने के विभिन्न प्रावधान किये गये।

श्रीमन्, विश्वविद्यालय के अधिकारी व कृतकारी की श्रेणी में कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि को सम्मिलित किया गया। श्रीमन्, विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित ऐसी समस्त शक्तियां कुलाधिपति को प्रदान की गयीं, जिसके माध्यम से महामहिम श्री राज्यपाल विश्वविद्यालय की व्यवस्था सम्बन्धी कोई भी जानकारी या अभिलेख कुलपति से मांग सकेंगे। श्रीमन्, कुलपति के चयन के लिए धारा–11 में प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत कुलपति पद पर रहने की अवधि में अन्य पद धारण नही करेंगे। इसके साथ–साथ कुलपति की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की संस्तुति पर ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिसे सर्च कमेटी द्वारा चयन किया गया हो। सर्च कमेटी में पाँच सदस्य होंगे, जिनमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद्, कुलाधिपति का एक नामिति तथा कार्य परिषद् द्वारा निर्दिष्ट एक सदस्य, सदस्य सचिव के रूप में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा होंगे। सर्च कमेटी वर्णाक्षर क्रम में शैक्षणिक और प्रशासनिक विशिष्टायें दर्शाते हुये संक्षिप्त विवरण के साथ पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव वाले कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त तीन से पाँच प्रख्यात शिक्षाविदों की नामिका राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और राज्य सरकार द्वारा यह नामिका कुलाधिपति को प्रेषित की जायेगी।

श्रीमन्, कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि राज्य सरकार उनके कार्य के निष्पादन से संतुष्ट हो तो कार्यकाल दो वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। कोई भी कुलपति एक विश्वविद्यालय में एक से अधिक कार्यकाल के लिए कुलपति नहीं होगा। इसके साथ–साथ धारा–14 में प्रति–कुलपति की नियुक्ति का प्राविधान किया गया है, जिसमें कुलाधिपति और राज्य सरकार की संस्तुति से आचार्यों में से प्रति–कुलपति की नियुक्ति की जानी है। प्रति–कुलपति का कार्यकाल भी तीन वर्ष होगा और अधिकतम दो अधिक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। प्रति–कुलपति, कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। धारा–16 में कुल–सचिव की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के प्राविधान किये गये हैं। कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा और उनके स्थानांतरण और तैनाती के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। इसी की भांति परीक्षा नियंत्रक, कुलपति की संस्तुति पर राज्य सरकार और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया जायेगा,

परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुये परीक्षाओं के संचालन करने की
ारी दी गयी है। धारा–28 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्राविधानित किये गये हैं,
अन्तर्गत कार्य परिषद्, सभा, शैक्षिक परिषद्, वित्त समिति, संकाय परिषद्, प्रवेश
, परीक्षा समिति तथा अध्ययन परिषद्, शोध विकास परिषद् के गठन का प्राविधान
गया है।

मान्यवर, अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में धारा–41 में
ीं नियुक्ति प्रक्रिया की व्यवस्था की गयी है। विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक की
त के लिये चयन समिति में कुलपति की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, किसी
ं, उपाचार्य की दशा में 03 विशेषज्ञ और अन्य दशा में 02 विशेषज्ञ राज्य सरकार
निर्दिष्ट किये जायेंगे। किसी संस्थान, संगठन, महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति
शा में संस्थान का निदेशक अथवा परिषद् निदेशक, सदस्य होगा। श्रीमन्,
विद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा–42 में
ान किये गये हैं। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बनाये रखने की दृष्टि से
सरकार समस्त राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का विश्वविद्यालय
लन करेगा। चयन तथा नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से
41 में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं। इसी तरह से धारा–64 में परीक्षा समिति को
ओं के संचालन की जिम्मेदारी दी गयी है। इसके बाद विश्वविद्यालय विधेयक के
केन्द्र सरकार द्वारा मॉडल विधेयक तथा शिक्षाविदों की क्षमता को दृष्टिगत रखते
ुलपति की आयु सीमा को 65 वर्ष किया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग के
को भी सुरक्षित रखते हुए ऐसे महाविद्यालय, जो उनके प्रवेश आदि में उदासीनता
, उसे एक लाख रूपये तक दण्ड तथा छः मास की कारावास की व्यवस्था उपबन्धित
ई है। यह व्यवस्था इसी एक्ट में प्राविधानित की गई है। विश्वविद्यालयों के प्रत्येक
और कर्मचारी, जो नियमित पूर्ण वैतनिक रूप से नियुक्त हैं, को विश्वविद्यालय
तों को संरक्षित करने का प्रयास उनके माध्यम से हो ऐसा इसमें प्राविधान किया गया
स विधेयक में 100 धारायें समाविष्ट की गयी हैं। राज्य में शैक्षणिक कार्यों का सुगम
ान, शोध एवं अनुसंधानात्मक कार्यों, रोजगारपरक शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार
बदलते वैश्विक परिवेश में छात्रों के व्यक्तित्व विकास से सम्बन्धित प्रावधान इसमें
गये हैं। लेकिन जिस दिन से यह विधेयक प्रवर समिति के प्रतिवेदन के माध्यम से
प्रस्तुत किया गया है इसमें भी कतिपय सुझाव प्राप्त होते रहे हैं और उन सुझावों
धार पर मैं सम्मानित सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि हम सदन के
न से यह कहना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से इस विधेयक को एक ऐसे विधेयक
प में, एक ऐसे कानून के रूप में देखना चाहती है, जो अपने आप में एक आदर्श कानून
ौर राज्य की उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए एक समर्थवान

तरीके से यह आ पाये, ऐसा प्रयास हमारे माध्यम से होगा। इस प्रयास के लिए सदन के समक्ष इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत इस विधेयक का प्रारूप जो सम्मानित सदन के है, इस प्रारूप में आपके महत्वपूर्ण सुझाव आ पायेंगे और हम प्रयास करेंगे महत्वपूर्ण सुझावों को अंगीकृत किया जा सके।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक 2008, जो दि मार्च, 2008 को इस सदन के द्वारा प्रवर समिति को निर्देशित किया गया था। सामने प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। मैं प्रवर समिति के माननीय श्री प्रकाश पंत जी, माननीय सदस्य श्री सुरेश चन्द जैन, माननीय सदस्य श्रीमती बड़थ्वाल जी, माननीय सदस्य श्री खजान दास जी, माननीय सदस्य श्री ओम गोप माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी, माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगणों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रवर स प्रदेश के शिक्षाविदों, प्रदेश के कुलपतियों और तमाम ऐसे लोगों के सुझाव इस प्र में सम्मिलित करके प्रस्तुत किये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, उनके द्वारा इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मेहनत की गई है इसके लिए निश्चित रूप से मैं उनका आभार व्यक्त करना चा लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी संसदीय क जी ने उल्लेख किया, कुछ बिन्दुओं पर अपनी बात को रखना चाहता हूँ विश्वविद्यालयों से मुझे जुड़े रहने का बहुत सौभाग्य मिला है। मुझे आज भी याद 1973 का वह दिन जब मैं स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के गाँव के स्कूल में 8वीं का छात्र था। पूरे गढ़वाल मण्डल और पूरे उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड विश्वव की लड़ाई चल रही थी। एक अबोध बच्चे को यह मालूम नहीं था कि विश्वविद्याल होता है। लेकिन हमारे मानस पटल पर एक सवाल जरूर था। हमारे बुजुर्ग, हमा नेता जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वह लड़ाई उत्तराखड के नौजवानों के भविष्य लड़ाई है। मुझे आज भी वह दिन याद है। देवलगढ से श्रीनगर लगभग 14 कि0मी है, तब मोटर मार्ग नहीं बना था। मैं अपने देवलगढ़ जूनियर हाईस्कूल का छ जूनियर हाईस्कूल के छात्रों को लेकर गाँव–गाँव होते हुए श्रीनगर हम पहुँचे। हमने एक नारा दिया था आज दो अभी दो, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय दो। बाद माँग उठी कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रख कुमाऊँ विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों अंचलों के लिए अर्थात मण्डलों के लिए अलग से विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। उसी सम याद है स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे बरेली पर थे। चौधरी नरेन्द्र सिंह जी बरेली कालेज के प्रोफेसर थे। उनके नेतृत्व

हेमवती नन्दन जी का घेराव हुआ और रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना भी उसी दौर में बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मैं मान्यवर, इन बातों को ए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे दोनों विश्वविद्यालय गढ़वाल और कुमाऊँ विद्यालय, पन्तनगर विश्वविद्यालय, गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई राज्य बनने के बाद तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मान्यवर, यह खण्ड के विकास में मील का पत्थर साबित हुई हैं और होंगी।

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी समाज के, किसी भी देश के और किसी भी प्रदेश गर विकास के मानक मानने चाहिए तो उस देश और समाज की अर्थव्यवस्था मानक हो सकती है। किसी समाज के और देश के विकास का मानक तो उस समाज की देश की और उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला था। मैंने कहा जस तरह से हम देश के मामले में कहते हैं कि हमें देश को अगर तरक्की के रास्ते जाना है तो क्योंकि 80 प्रतिशत भारत गाँव में बसता है, अगर हम भारत के विकास ात सोचते है, तो हमें देश के 80 प्रतिशत गाँवों में रहने वाले लोगों के विकास ात सोचनी होगी। उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखण्ड वकास की बात सोचनी है। मान्यवर, हमें उत्तराखण्ड के दोनों विश्वविद्यालय के स के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने के लिए हैं, बी0ए0 या एम0ए0, बी0कॉम0 या एम0कॉम0 और बी0एससी0 या एम0एससी0 की डिग्री बाटने के लिए नहीं हैं, केवल किताबी कीड़ा बनाने के लिए नहीं है। विद्यालय का काम है प्रदेश व देश के नौजवानों का सर्वांगीण विकास करना और व्यक्तित्व का विकास करना। विश्वविद्यालय में शोध का कार्य होता है चाहे वनस्पति न, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हो। पुस्तकें लिखी जाती हैं इतिहास भी लिखा जाता है तथा भूगोल भी लिखा जाता है। देश व प्रदेश का सही ल, इतिहास और राजनीतिक निरीक्षण होते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, देश में जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो नालन्दा विश्वविद्यालय जो राजा-महाराजा के खजानों से संचालित होता था लेकिन उस न्दा जैसे विश्वविद्यालय पर भी राजा महाराज का अंकुश नहीं होता था। चूंकि उनका श्य यह था कि शिक्षाविदों को अगर आप किसी सीमा में बांधेंगे तो सही शोध नहीं कता, सही विचार नहीं हो सकते हैं। किसी समाज और देश के लिए यह आवश्यक क स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र राजनैतिक विश्लेषण होना चाहिए। जोकि समाज के विकास लिए और राष्ट्र के विकास के लिए तथा प्रदेश के विकास के लिए वे स्वतंत्र विचार विकास में ईंट का काम करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय ये विधेयक के सामने प्रवर समिति को सौंपा गया और मैं कितनी बार इस प्रवर समिति को बार धन्यवाद दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि निरीक्षण और जांच कि अध्याय-3 में इस प्रवर समिति ने सदन के सामने प्रस्तुत किया, हमें इस पर त्ति है।

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि निरीक्षण और जांच के नाम पर, विश्वविद्यालय में ये सरकार निरीक्षण और जांच के नाम पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। जहां कु की नियुक्ति के लिए जो सर्च कमेटी के गठन करने का प्राविधान किया गया। नियम के "क" में माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय एक्ट 197 विश्वविद्यालय के एक्ट में जो संशोधन हुए हैं, उसमें जो सर्च कमेटी के गठन करने जो प्रावधान किया गया था वो सरकार के बजाय महामहिम राज्यपाल जो विश्ववि के कुलाधिपति होते हैं, उनके अधीनस्थ होता था। लेकिन इस प्रवर समिति के मा से जो प्रतिवेदन आया है, इसमें जो सर्च करने वाले कमेटी का अधिकार है वो सरकार में निहित है। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, जो पूर्व में सर्च कमेटी थी, उ महामहिम राज्यपाल जी के प्रतिनिधि, श्री राज्यपाल द्वारा नामित शिक्षाविद्, उच्च न्याया के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कार्य परिषद् द्वारा चुने गये प्रतिनिधि और सरकार के शिक्षा सचिव उस सर्च कमेटी के सदस्य होते थे। लेकिन वर्तमान में उ राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया है। कार्य परिषद् के द्वारा नामित स पूर्व में भी था अब भी है। हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व में भी था, आज भी वही व्यवस्था लेकिन शिक्षाविद् को नामित करने का अधिकार पहले महामहिम राज्यपाल का था अब अधिकार प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि विश्वविद्यालय जो कार्य परिषद् होती है उसके द्वारा जो सदस्य नामित होता है उसको भी राज्य सर ने अपने हाथ में अधिकार ले लिया है कि परन्तु यदि कार्य परिषद् खण्ड–1 के अनु किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम निर्देशन में असफल रहती है तो राज्य सरकार परिषद् के प्रतिनिधि के बदले एक व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट कर सकती है। इससे भी रा सरकार के अधिकार और बढ़ गये हैं। मान्यवर, सर्च कमेटी में 5 में से 2 सदस्य प ही राज्य सरकार के ही हैं, कार्य परिषद् के सदस्य को भी समय के अनुसार अगर रा सरकार ने नामित कर दिया तो सर्च कमेटी में 5 में से 3 सदस्य प्रदेश सरकार के ना होंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, पहले सर्च कमेटी जैसाकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि देश से, विदेशों से शिक्षाविदों के जो प्रत्यावेदन आते हैं और मुझे अवसरों पर देखने का अवसर मिला है, क्योंकि मुझे कई विश्वविद्यालयों में नौकरी क का अवसर मिला है। मैं आगरा विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा, रुहेलखण्ड विश्वविद्या का छात्र रहा। गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और शिक्षक हूँ। इसमें कुछ अ विश्वविद्यालयों में कुलपति के नियुक्ति के समय यह अवसर देखने को मिला है कि सर्च कमेटी के सामने कोई प्रत्यावेदन नहीं भी आया, कोई बायोडाटा नहीं भी आ लेकिन सर्च कमेटी को यह भी लगा कि अमुक व्यक्ति वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, को प्रोफेसर, कोई भूगोलवेत्ता, कोई साहित्यकार कोई इस तरह का व्यक्ति है कि जि

विद्यालय में उसको कुलपति बनाया जाना चाहिये तो बिना उसके प्रत्यावेदन के, बिना बायोडाटा के सर्च कमेटी ने उसके नाम को अपने पैनल में सम्मिलित किया है और तियों की नियुक्तियाँ हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, पहले सर्च कमेटी महामहिम राज्यपाल जी को अपना पैनल 5 लोगों का बनाकर भेजती थी, उस पैनल में से एक महान परम्परा उत्तर प्रदेश रियाणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली प्रदेश में एक परम्परा रही है, कोई नहीं था लेकिन परम्परा रही है कि महामहित राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति करने ले सर्च कमेटी का जो पैनल आया है, मुख्यमंत्री से सलाह लेकर किसी एक व्यक्ति कुलपति नियुक्त करते रहे। लेकिन ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखण्ड ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई कि जब महामहिम राज्यपालों ने अपने अधिकारों का प्रयोग हुए बिना मुख्यमंत्री की सलाह पर कुलपतियों की नियुक्ति की है।

माननीय अध्यक्ष जी, चाहे विधान सभा हो, समाज हो, देश हो, नियमों से चलता किन कभी कभी हमने उत्तर प्रदेश के सदन के इतिहास को भी देखा कि नियम नहीं लेकिन परम्पराएँ, परम्पराओं से भी सदन चलता है। परम्पराओं से भी लोकसभा है और परम्पराओं से हमारे सर्वोच्च न्यायालय, प्रशासनिक कार्यपालिका, विधायिका निर्णय लेती रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस सर्च कमेटी में जो बदलाव किया गया कि सर्च कमेटी पैनल महामहिम राज्यपाल को देने के बजाए सरकार को देगी और सरकार उस को माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि सर्च कमेटी का 3 या 5 लोगों नल राज्य सरकार को जायेगा तो सरकार को यह अधिकार होगा कि अगर सरकार पैनल पर सहमत नहीं है तो वह उस पैनल को निरस्त कर सकती है या उसमें वन कर सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, यहीं से राजनीतिक बू आती है और सरकार शा में खोट नजर आता है।

माननीय अध्यक्ष जी, सर्च कमेटी नाम भेजेगी, सर्च कमेटी को यह अधिकार, राज्य र को सर्च कमेटी के पैनल को निरस्त करने का जो अधिकार, इस प्रतिवेदन के म से दिया गया है, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि कार्यवाहक कुलपति की माँग, जिस तरह अभी गढ़वाल विद्यालय में 8 मई को कुलपति कार्यकाल समाप्त हुआ और महामहिम राज्यपाल जी लाधिपति के अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रो0 एम0एस0 रावत जो हमारे रसायन न के प्रोफेसर हैं, समय–समय पर कुलसचिव का कार्य देखते रहे हैं, साईस के डीन , उनको कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया है। इस प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा है कि तक कि उपधारा–1 या उपधारा–4 या उपधारा–7 के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पर कार्यभार ग्रहण न कर ले तो तब तक राज्य सरकार कुलपति के कर्त्तव्यों के

निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति को कुलपति अथवा प्रति कुलपति उसी विश्वविद्याल वरिष्ठ प्राध्यापकों में से नियुक्त कर सकती है जैसा वह उचित समझे, यह इस प्रति में कमी दिखाई देती है। अभी तक कुलाधिपति को यह अधिकार था, अब यह अ राज्य सरकार ने अपने पास ले लिया है, इस पर भी मुझे घोर आपत्ति है

माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से प्रति कुलपति की बात है, मैंने जैसे प् भी निवेदन किया था कि मैं विश्वविद्यालय में छात्र रहा, आगरा विश्वविद्यालय में ले रहा, फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय में रीडर हो गया, पूरा जीवन विश्वविद्यालयों से रहा। पहले प्रति कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत कम हिन्दुस्तान के विश्ववि में होती थी, जो केन्द्र विश्वविद्यालय बी0एच0यू0 बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जे0एन है, कुछ विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया होती थी। जब मैं 198 में गढ़वाल में शिक्षक संघ का सेक्रेटरी था तो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय शिक्षक के अध्यक्ष प्रो0 नरेन्द्र सिंह गौर थे, जो बाद में शिक्षा मंत्री भी बने। हमने, पूरे दे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी। मान्यवर, पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, मुझे याद है कि जब मैं रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में अ कर रहा था तो रूहेलखण्ड में 32 डिग्री कॉलेज थे, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्या की संख्या बढ़ती चली गई, आज गढ़वाल विश्वविद्यालय से 50 से अधिक महाविद्य जुड़े हैं, एक सौ से अधिक महाविद्यालय रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय से जुड़े। इसी त कुमाऊँ विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, तो हमने मांग की कि कुलपति को तमाम दुनि सेमिनार में महामहिम राज्यपाल की मीटिंगों में, शिक्षा की गुणवत्ता में जो तमाम होती हैं उसमें जाना होता है और चूँकि तमाम अधिकार कुलपति के पास होते हैं, स्थिति में विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए और उत्तर सरकार ने और देश में विश्वविद्यालय शिक्षकों की मांग पर, विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रति कुलपति की जो पूर्व व्यवस्था थी, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय एक्ट के द्वारा और समय-समय पर विश्वविद्यालय एक्ट में जो सं हुये उसके द्वारा कि प्रति कुलपति की नियुक्ति जो विश्वविद्यालय के डीन होते थे, डीन में से किसी एक प्रोफेसर को, किसी डीन को कुलपति नियुक्त करते थे औ पूर्णतया कुलपति के प्रति जिम्मेदार होता था। कुलपति जब अपने मुख्यालय से बाहर थे या कुलपति जो काम प्रति कुलपति को देना चाहते थे, उस कर्त्तव्य का वह नि करता था। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा इस प्रतिवेदन में उल्लेख भी है कि मान्यवर, "प्रति कुलपति", राज्य सरकार की सं पर कुलाधिपति द्वारा आचार्यों में से ऐसी रीति से और ऐसी सेवा शर्तों और निब पर नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनु करेगा, जैसा विहित किया जाये"

माननीय अध्यक्ष जी, अब प्रतिकुलपति की नियुक्ति करने का अधि राज्य सरकार अपने पास ले लेगी तो ऐसी स्थिति बन जायेगी विश्वविद्यालय मे

कुलपति विश्वविद्यालय का एक पावर सेंटर होगा और प्रतिकुलपति दूसरा पावर सेंटर विश्वविद्यालय में बन जायेगा और इससे ऐसे अवसर आयेंगे, व्यवहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जायेंगी माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि प्रतिकुलपति को मालूम है कि यदि एक बार कुलपति ने संस्तुति कर दी और कभी–कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि वर्तमान कुलपति ने यदि किसी प्रतिकुलपति की संस्तुति कर दी और जब कुलपति का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा, लेकिन उस स्थिति में प्रतिकुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं होगा और नया कुलपति जब विश्वविद्यालय में आयेगा। यह ऐसी परिस्थितियां हैं जब प्रतिकुलपति सरकार के प्रति ज्यादा वचनबद्ध होगा, ज्यादा निष्ठ होगा और कुलपति के प्रति नहीं होगा और ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों की जो स्थिति बनेगी उसकी कल्पना आप कर सकते हैं।

मान्यवर, प्रतिकुलपति को हटाने का अधिकार भी राज्य सरकार को होगा। यह बात ठीक है कि कुलपति की संस्तुति पर किया जायेगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जो राज्य सरकार की संस्तुति पर, राज्य सरकार एक ही नाम भेजेगी। जिस तरह से कुलपति के मामले में पैनल भेजा जा रहा है और प्रति कुलपति के मामले में किसी एक प्रोफेसर/आचार्य का एक ही नाम भेजा जायेगा और महामहिम राज्यपाल को एक रबर स्टैम्प की तरह उस नाम का अनुमोदन करना होगा। मान्यवर, इससे सरकार की नीयत निश्चित रूप से अच्छी नहीं लगती है। मान्यवर, जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम तो शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता चाहते हैं, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता चाहते हैं। लेकिन इससे विश्वविद्यालय में राजनीति और सरकार की दखलंदाजी इतनी बढ़ जायेगी कि उससे विश्वविद्यालय को अराजकता के माहौल में जाने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती।

मान्यवर, इस प्रतिवेदन में एक और जो खामी है, वह है परीक्षा नियंत्रक की। परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक, वैतनिक अधिकारी होगा।" इस धारा के बिन्दु दो में लिखा है "परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।" मान्यवर, अब तक विश्वविद्यालयों में परीक्षा की जो स्थिति है सहायक कुलसचिव, एग्जामनेशन कंट्रोलर होता है, कुलसचिव इसको पूरी तरह से देखता है। कुलपति विश्वविद्यालय के किसी डीन को या किसी प्रोफेसर को परीक्षा नियंत्रक निर्धारित कर देते हैं। इसका मानदेय उनको मिलता है, लेकिन वह शिक्षक अपना जो उनका मूल कार्य है, यदि किसी प्रोफेसर को नियुक्त कर दिया तो उसको अपने विभाग में भी पढ़ाना होता है और साथ–साथ में खाली समय में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्य भी करना पड़ता है। लेकिन अब अलग से कुलपति की संस्तुति पर राज्य सरकार परीक्षा नियंत्रक नियुक्त करेगी। इससे एक और पावर सेंटर बन जायेगा। अब देखिए विश्वविद्यालय में कितने पावर सेंटर बन गये हैं।

कुलपति, प्रतिकुलपति, परीक्षा नियंत्रक, फाईनेंस ऑफिसर, कुल सचिव। मान्यवर, अब इतने माई बाप हो गये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं 1991 में मंत्री बना था कहना तो नहीं चाहिए। हम तो राज्य मंत्री थे और मंत्रीगण थे। [XXX]

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हमें आपत्ति है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं वापस ले रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो सफाई देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उनके नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन शब्दों को मैंने उदाहरण के रूप में वहाँ पर उल्लेख किया है, उन्हें कार्यवाही से निकल दिया जाय, लेकिन मैंने अपनी बात को कह तो दिया ही है।

माननीय अध्यक्ष जी, अब विश्वविद्यालयों के कितने माई बाप हो जाएंगे? कुलपति, प्रतिकुलपति, इग्जामिनेशन कन्ट्रोलर और कुलसचिव। अब तक जो व्यवस्था थी, उसमें कुलपति, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का नियंत्रण महामहिम राज्यपाल, कुलाधिपति के नियंत्रणाधीन होता था। इस नियमावली की धारा–68 के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई डिस्प्युट होता था और कुलपति कोई निर्णय लेते थे तो उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट में नहीं जा सकते थे। धारा–68 में आप कुलाधिपति के यहां प्रतिवेदन दे सकते थे। कुलाधिपति को धारा–68 में अधिकार हुआ करता था। अब ये सारे अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं। इस स्थिति में कुलपति अपना राज चलाएगा, प्रतिकुलपति अपना राज चलाएगा, एग्जामिनेशन कन्ट्रोलर अपना राज चलाएगा। कुलसचिव, सहायक कुलसचिव और फाइनेंस कन्ट्रोलर, ये तीनों ही अधिकारी पहले से राज्य सरकार के क्लास–2, क्लास–1 स्तर के और फाइनेंस के अधिकारी होते थे। अब इग्जामिनेशन कन्ट्रोलर भी राज्य सरकार का होगा, प्रतिकुलपति भी राज्य सरकार का होगा और जैसा कि अभी मैंने कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया, उसके अनुसार कुलपति भी अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का होगा।

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें मेहनत हुई है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बैठक लेकर और माननीय सदस्यों ने अपनी ऊर्जा का, शारीरिक ऊर्जा का भी प्रयोग

नोटः– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करके इस प्रतिवेदन को बनाया है, उसके लिए मैं पहले ही धन्यवाद दे चुका हूँ। लेकिन कहना चाहता हूँ कि अभी इसे पास कराना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल छात्रों को डिग्री बांटने के केन्द्र नहीं होने चाहिए, न हैं। विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड के विकास में मील के पत्थर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। उत्तराखण्ड का विकास इन विश्वविद्यालयों के विकास पर, इनकी सोच पर, इनके शोध पर, इनके लेखन पर निर्भर करेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर और अध्ययन की आवश्यकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय किस तरह संचालित हो रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो देश को प्रशासनिक अधिकार देने का एक कीर्तिमान स्थापित करता रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। सेन्ट्रल विश्वविद्यालयों को छोड़कर, जैसे जे0एन0यू0 और बी0एच0यू0 तो सेन्ट्रल विश्वविद्यालय हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार का विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इस प्रकार जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, सागर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में है और भी तमाम सारे विश्वविद्यालय इस देश के अन्दर हैं। बैंगलोर में है, जिसने हिन्दुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को चाहे साफ्टवेयर इंजीनियर हों, कम्प्यूटर इंजीनियर हों, आई0टी0 क्षेत्र में हों, विज्ञान के क्षेत्र में हों, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे शोधार्थी दिये हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी दिये हैं, ऐसे शिक्षक दिये हैं, जो विश्व विख्यात हैं। उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि वहां क्या व्यवस्था है। मैं सोचता हूँ, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विश्वविद्यालय का एक्ट बन रहा है। भविष्य में भी संशोधन होंगे, जैसा कि कहा गया कि भविष्य में भी संशोधन हो सकते हैं लेकिन जो जन्म है, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है जन्म के समय उसका जो स्वरूप बन जाता है, उसके रंग रूप में आप थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। उसको अच्छे कपड़े पहना कर थोड़ा सुसज्जित तो कर सकते हैं लेकिन उसके रूप में, उसके स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आप नहीं कर सकते। आज यह जो कानून आप बनाने जा रहे हैं, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का, इसमें संशोधन होंगे लेकिन ऐसा तो नही है कि पूरा का पूरा संशोधन कर देंगे। किसी एक बिन्दु पर संशोधन हो सकता है, दो बिन्दुओं पर हो सकता है लेकिन इसके पूरे स्वरूप पर संशोधन नहीं कर सकते हैं।

इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, यह जो कानून इस प्रदेश के लिये बनने जा रहा है, दुनिया यह न देखे और यह संदेश दुनिया के शिक्षाविदों में नहीं जाना चाहिए, दुनिया के शोधार्थियों में यह संदेश नहीं जाना चाहिए, दुनिया के इंजीनियरों में, दुनिया के साइंटिस्टों में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालय, उन्होंने अपनी सीमायें सीमित कर दी हैं, उन्होंने अपनी सीमाओं को इतना संकुचित कर दिया है। कल एक संशोधन हो जायेगा कि हमारे विश्वविद्यालयों में उत्तराखण्ड के बाहर के विद्यार्थी नहीं पढ़ सकते, कल एक संशोधन आप कर देंगे कि उत्तराखण्ड के

के विश्वविद्यालयों में बाहर के प्रोफेसर नहीं आ सकते, यहीं के लोगों की नियुक्ति होगी। तो मान्यवर, यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम अपने विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय न रखकर एक महाविद्यालय, एक इण्टर कालेज के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए, दुनिया के अन्दर। आपको आपत्ति है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी हँसी-मजाक में कह रहे थे कि रावत जी, आप तो इसलिये विरोध कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लोगों की बात आप मुझसे कह रहे हैं, इसमें आपत्ति थी कि आप विश्वविद्यालय में शिक्षक हो, इसलिये आप इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे गर्व है कि मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हमें किसी मामले में जानकारी है, तो जानकारी होना कोई गलत बात नहीं है। जहां तक नियमों की बात है, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, यह बात बहुत बार उठी है कि विश्वविद्यालय में शिक्षक होते हुये मैंने दो वेतन लिये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालय एक्ट, 1973 की धारा-16 के 10 और 11 के अनुसार यह अधिकार है विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, कि वह विधायक का भी और विश्वविद्यालय से भी वेतन ले सकते हैं।

मान्यवर, एक बार माननीय निशंक जी गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के मेंबर थे, एक जाँच समिति गठित हुई, उस जाँच समिति में मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई, मुझको निलम्बित किया गया विश्वविद्यालय से, कि मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश की विधान सभा से वेतन लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने निलम्बन की कार्रवाई के खिलाफ कोई प्रत्यावेदन नहीं दिया और जिस दिन महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, माननीय सूरजभान जी थे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैंने महामहिम राज्यपाल जी को प्रत्यावेदन दिया और नियमों का उल्लेख किया और एक महीने के अन्दर महामहिम कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया कि विश्वविद्यालय की नियमावली के तहत, आप 16 (10) और 16 (11) के तहत वेतन ले सकते हैं। इसलिये मान्यवर, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जो टिप्पणी कर रहे हैं और जो नैतिकता का पाठ हरक सिंह रावत को समझाने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनको वह पाठ पहले अपने उन राजनेताओं को समझाना चाहिए, [XXX] चूँकि वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं, इसलिये मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ।

***चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'')-**

श्रीमन, उल्लेख तो इन्होंने कई बार कर ही दिया है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा हो, चाहे दिल्ली में बैठे रहने के बारे में कहा हो।.....(व्यवधान)

नोट-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यदि कोई टीका–टिप्पणी करेगा..........।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, जिन सदस्यों का या जिन व्यक्तियों का उल्लेख आप यहां पर करना चाहते हैं और वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं।......

डा० हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ठीक है, मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

जो पदों के बारे में उल्लेख यहां पर किया गया है, उसको भी कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय सिर–आंखो पर, सिर–माथे पर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि नैतिकता की दुहाई देने वाले लोगों को पहले अपने गिरेहबान में झांकना चाहिए, जिनके घर माननीय अध्यक्ष जी, काँच के होते हैं, उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। दूसरे के घर पर पत्थर डालने से पहले अपने कॉच के घर को देख लेना चाहिए।

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ..........।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूँ। आपको भी मौका दिया जायेगा, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे किसी सम्मानित सदस्य ने टीका–टिप्पणी की, इसलिये मैंने उस बात का उल्लेख करना जरूरी समझा। मेरी यह मंशा नहीं थी कि मैं किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को खंडित करूं। उनकी भावनाओं को दुःख पहुँचाऊँ, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालय के शिक्षक होने के नाते हमारे मन में एक पीड़ा है उत्तराखण्ड के शिक्षकों की, हमारे मन में पीड़ा है उत्तराखण्ड के नौजवानों की, हमारे मन में पीड़ा है उत्तराखण्ड के कर्मचारियों की। हमारे मन में पीड़ा है, इस उत्तराखण्ड की जनता की पीड़ा है और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड की जनता की पीड़ा को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रवर समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाय और मैं पूर्व में भी आपसे अनुरोध कर चुका था माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई आपकी शक्तियों पर, कोई आपके अधिकारों पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, कहीं पर कोई भूल तो हुई है और हमें लगता है कि विपक्ष की आवाज विश्वविद्यालय एक्ट पर कमजोर जरूर दिखाई पड़ी है। प्रवर समिति में सात सदस्यों की जो समिति गठित की गयी उसमें भारतीय जनता पार्टी के चार सदस्य सम्मिलित किये गये, कांग्रेस का एक सदस्य सम्मिलित किया गया, बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य आपके द्वारा सम्मिलित किया गया, यू0के0डी0 का एक सदस्य सम्मिलित कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपनी पीड़ा को आपसे कहा है और आपने स्वयं भी महसूस किया है कि हमारी पीड़ा जायज है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए भी प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पीड़ा, हमारा प्रतिनिधित्व उस समिति में समुचित रूप से नहीं आ पाया क्योंकि आप दयालू हैं, और विश्वविद्यालय और उत्तराखण्ड की जनता के प्रति आपकी सोच, इस पीठ की सोच बहुत सकारात्मक है। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाय। उसमें विपक्ष के हमारे सदस्यों को भी समुचित प्रतिनिधित्व दें। ये हमें आप पर पूरा भरोसा है कि समय-समय पर जो भी समितियाँ बनी हैं, आपने विपक्ष की आवाज को, विपक्ष को समुचित प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन इसमें कुछ भूल हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ओर से हमारे प्रति पूरा न्याय होगा, उत्तराखण्ड की जनता, शिक्षकों और छात्रों के प्रति न्याय होगा। इतना ही निवेदन और प्रस्ताव आपसे करना चाहता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, चूँकि सन्दर्भ दिया गया है तो स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपको मौका दिया जायेगा। दो घंटे की चर्चा है। अभी तो बहुत टाईम बाकी है।

श्री नारायण पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालय विधेयक जो यहां रखा गया था और विभिन्न तरीके से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये तो शुरूआती गलती तो मैं सोचता हूँ कि यह है कि इसमें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, यदि आप किसी बिन्दु पर कोई स्पष्टीकरण चाहते हों तो कृपया पूछ लें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो तीन–चार मिनट ही लूँगा। तो इसमें प्रवर समिति के माध्यम से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

फिलहाल आप जो कुछ स्पष्टीकरण चाहते हों तो बता दीजिए।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह विश्वविद्यालय विधेयक यहां प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी तो इसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात आ गयी है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, अगर हमारी बात नेता प्रतिपक्ष ही कह देंगे तो फिर तो बेकार ही है अध्यक्ष जी। इतना विवाद इस विषय पर हो रहा है। मेरे ख्याल से इस पर तो सभी लोगों को बुलवाना चाहिए।

श्री शहजाद–

मान्यवर, टाईम बढ़ा दें, बाद में चर्चा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, मैं चर्चा नहीं कर रहा था, मैं चर्चा के लिए नहीं उठा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है। प्रस्ताव आ रहा है। प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। चर्चा नहीं हो रही है।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, 16(10)

और 16(11) की बात की गई है, मैं उसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा नाम भी संदर्भित हुआ है, जितनी मेरी जानकारी है, उस पर बता दूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बाद में आ जायेगा।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही उदारतापूर्वक इस विषय पर सदन में विचार रखने का अवसर दिया। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने सम्बोधन में कहा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उदारतापूर्वक आपने सर्वदलीय समिति पहले भी गठित की और पहले भी जो प्रवर समिति थी उसमें जितने भी संसाधन हो सकते थे सभी से सुझाव लेने का प्रयास किया। लेकिन निश्चित रूप से विश्वविद्यालय जैसे अधिनियम पर और व्यापकता से चर्चा हो इसमें संशय की गुंजाइश न बने, ऐसा सरकार का भी मत है और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का भी मत है। इसलिए श्रीमन्, सरकार के इस उदारतापूर्वक रवैये के लिए कृपापूर्वक आप सबने इस पर विचार किया। श्रीमन्, मैं प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली के नियम–134(2) के तहत आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, को पुनः प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न है कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 को पुनः प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम भोजनावकाश के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 03 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

*पंचायती राज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2008 के पुनः संशोधित रूप पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद–243(घ) में त्रिस्तरीय जो

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायतें हैं, उनके आरक्षण और पद के लिए आरक्षित हैं। जो अनुच्छेद–243(घ) के खण्ड–2 और खण्ड–3 में महिलाओं के लिए आरक्षित है। संयुक्त प्रान्त का जो हमारा अधिनियम है, 1947 का, उसकी धारा–11 और धारा–12 में पंचायतों के और क्षेत्र पंचायतों के लि; आरक्षित है। मान्यवर, जो उत्तराखण्ड संशोधन विधेयक, 2008 था, वह विधेयक सदन में रखा गया और सदन द्वारा उत्तराखण्ड पुनः पंचायती विधेयक था, वह विधेयक, 12 मार्च, 2008 को पारित किया गया। जिसमें पंचायतों, हमारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम है, उसे अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, प्रधान और धारा–12 में ग्राम पंचायत के सदस्य और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत जो अधिनियम है, उस अधिनियम के अन्तर्गत धारा–6 क में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का और धारा–11 के खण्ड, जो हमारा–7 है, उसके अन्तर्गत क्षेत्र प्रमुख और धारा–18 क के अन्तर्गत जिला पंचायत के सदस्य और 19–क के अन्तर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष। इनका जो कार्यकाल है वह एक साल के लिए और आरक्षित किया गया। लेकिन जो हमारी धारा–12 की उपधारा–4 के अन्तर्गत ग्राम प्रधान के एक बार के कार्यकाल के लिए आरक्षित था, ग्राम प्रधान, धारा–12 की उप धारा–4 में, जिसमें कि आज संशोधन होना है। इसलिए कि जो प्रधान का कार्यकाल था, इसमें आज दो बार संशोधन के रूप में सदन के सामने रखा गया है और मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे सदन से क्योंकि त्रुटिवश छूट गया। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख और ग्राम सदस्य के, जितना भी उनका कार्यकाल था एक बार का और एक बार के लिए आरक्षित था। केवल ग्राम प्रधान का, ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल है वह एक बार के लिए पूरे सदन के सामने पटल पर रखा है, इसे पारित किया जाए।

*श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन सदन के पटल पर रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, 12 मार्च, 2008 को जब विधेयक पारित हुआ उसमें शायद सम्भवतः त्रुटिवश जो ग्राम प्रधान का कार्यकाल था वह दो बार के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उस समय जो पारित हुआ था वह एक बार के लिए हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार कितनी गम्भीर है। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी ने पुनः संशोधन के लिए वापस भेजा है और आज सरकार इस विधेयक को सदन में लाकर के पारित कराना चाहती है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार महिला आरक्षण की बात तो करती है, लेकिन कितनी गम्भीर है। यह कोई छोटी त्रुटि नहीं है। सदन में प्रस्ताव पास हुआ।

मान्यवर, आपने त्रुटिवश कह दिया तो त्रुटिवश बात है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस प्रकार से न हो और हमें अब इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम भविष्य में ऐसा नहीं चाहेंगे कि जब कभी भी कोई विधेयक महामहिम राज्यपाल को भेजा जाय, तो उसको पूरे अच्छे तरीके से, सिरीयसली यानी नॉन सीरियस एप्रोच नहीं होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के पुनः संशोधित रूप पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 3, संशोधित खण्ड–4 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन विधेयक), 2008

(विधेयक संख्या वर्ष 2008)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय–दो

भाग–1

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947

धारा–11क की उपधारा (3) एवं (4) का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (समय समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–11क में–

''उपधारा (3) एवं (4) में आए शब्द ''एक तिहाई से अन्यून'' के स्थान पर शब्द –''आधे से अन्यून'' रख दिए जायेंगे।''

धारा–12 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) एवं (ग) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा–12 में–

''उपधारा (5) के खण्ड (ग) में आए शब्द ''एक तिहाई से अन्यून'' के स्थान पर शब्द ''आधे से अन्यून'' रख दिए जायेंगे।''

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961

धारा 6क, 7क, 18क तथा 19क की उपधारा (2) एवं (3) का संशोधन

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961(समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 6क, 7क, 18क तथा 19क की उपधारा (2) एवं (3) में आये शब्द "एक तिहाई से अन्यून" के स्थान पर शब्द "आधे से अन्यून" रख दिये जायेंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के खण्ड–4 को शीर्षक सहित निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाये–

धारा "6क", "7क", "18क", तथा "19क", उप धारा (2) एवं (3) का संशोधन

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6क, 7क, 18क तथा 19क में–उपधारा (2) एवं (3) में आये शब्द "एक तिहाई से अन्यून" के स्थान पर शब्द "आधे से अन्यून" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 3, संशोधित खण्ड–4 तथा खण्ड एक प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुनः संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुनः संशोधित रूप में पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य परामर्श दात्री समिति में सदस्यों को नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा

शर्त विनियमन) अधिनियम, 1966 की धारा–4 उपधारा (2) के खण्ड (ए) के अनुसरण में यह सदन राज्य परामर्श दात्री समिति में दो माननीय विधान सभा सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

राज्य के विकेन्द्रीकरण विकास में सुधार के लिए राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनः परिसीमन किये जाने सम्बन्धी नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्बन्धित प्रस्ताव मेरे द्वारा दिनांक 12 मई को सदन में लाया गया था, परन्तु श्रीमन्, उस समय विपक्ष द्वारा सदन में किये गये घोर व्यवधान के कारण मेरा वक्तव्य विधान सभा की कार्यवाही में सही तरीके से अंकित नहीं हो सका। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसके प्रति दिनांक 12 मई को विधान सभा में मेरे द्वारा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री चीमा जी, यह बात कहाँ से आ गई है?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

यह मेरा प्रस्ताव शुरू से लिया जाये मेरी यह भावना है।

श्री अध्यक्ष–

आप चर्चा शुरू करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस अति आवश्यक विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए आपको आभार व्यक्त करते हुए मेरे द्वारा रखे गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि यह सर्वविदित है कि हमारा यह उत्तराखण्ड प्रदेश उत्तर प्रदेश से विभक्त होकर बना था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, यह एक परिपाटी भी है, परम्परा भी है कि आप भाषण पढ़ेंगे नहीं।

(व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि हमारा यह प्रदेश उत्तर प्रदेश से विभक्त होकर एक छोटा राज्य सुसज्जित किया गया था। आखिर यह विचाराधीन विषय है कि एक छोटे राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह 13 जिलों का छोटा राज्य क्योंकि उत्तर प्रदेश के समय में विकास के क्षेत्र में पिछड़ गया और इसके साथ–साथ चूँकि यह दो बड़े देशों की सीमाओं से मिलता हुआ प्रदेश है। इसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के विषय में भी इसको एक अलग से प्रदेश के रूप में सुसज्जित किये जाने की केन्द्र सरकार द्वारा इसकी आवश्यकता महसूस की गयी। इसलिए एक छोटे प्रदेश का निर्माण हुआ। श्रीमन्, यहाँ के निवासियों ने जब महसूस किया कि यह 13 जिले विकास के क्षेत्र में पिछड़ गये और यहाँ की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही थी तो यहाँ के लोगों ने इस प्रदेश की अलग मांग की। उस समय बी0जे0पी0 सरकार ऐसे क्षेत्र, जिसकी सीमाएँ दो बड़े देशों चीन और नेपाल की साथ लगी थी और जिसकी एक प्रदेश की सीमाओं और आंतरिक भाग को अधिक सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। उस समय प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन का संज्ञान लेते हुए इस छोटे प्रदेश का गठन किया गया।

श्रीमन्, इस तथ्य के प्रति भी कोई दो राय नहीं कि पूर्व में देश में गठित हुए छोटे राज्यों का विकास इतनी गति से हुआ कि जो देश में छोटे प्रदेशों का गठन किये जाने के लिए एक प्रमाण बना। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ–जहाँ भी छोटे प्रदेशों का गठन हुआ वहाँ विकास की गति तेज हुयी और वहाँ की कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि उन छोटे प्रदेशों ने कौन सी प्रक्रिया की जिससे विकास की गति में तेजी आई और उनके कानून व्यवस्था में सुधार आया। आप विदित है कि पंजाब, हरियाणा और छोटे–छोटे राज्य उन्होंने अपने राज्य के गठन के बाद अपनी प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया। पंजाब में तो जब आतंकवाद का समय आया तो उस समय, आप और हम सब वाकिफ हैं कि पंजाब में अलग से छोटे–छोटे जिलों का सीमांकन किया गया जिससे वह इतने बड़े आतंकवाद जिसकी पूरे देश में लहर चल रही थी उस पर काबू पाने में पंजाब सफल हुआ।

माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू–कश्मीर आदि ऐसे राज्यों ने भी कानून व्यवस्था की पकड़ मजबूत करने हेतु समय–समय पर प्रशासनिक ढाँचों का पुनर्गठन किया। यह भी सर्वविदित है कि बिना इसके पुनर्गठन किये न तो यहाँ की कानून व्यवस्था में सुधार होगा और न ही इस प्रदेश का संतुलित विकास होगा।

इस प्रदेश में जहाँ 13 जिलों में 3 जिले मैदानी जिले हैं और मैदानी जिलों का बहुत बड़ा भू–भाग तराई और भावर के नाम से जाना जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मुगल शासन काल में भी और अंग्रेजों के शासन काल में भी यह तराई और भावर क्षेत्र

की भौगोलिक रूप में अलग पहचान रही है। इस प्रदेश में यह पहचान धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस पहचान का इस क्षेत्र से लुप्त होना हमारे इस प्रदेश के विकास के लिए घातक होगा एवं बदकिस्मती होगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जहां मात्र दो मण्डल हैं एक कुमाऊं मण्डल और दूसरा गढ़वाल मण्डल के नाम से जाना जाता है और यह तराई भावर का क्षेत्र जिसमें प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता यहाँ बसती है, खेती का इलाका है, उद्योगों का इलाका है और यही ऐसा क्षेत्र है जहाँ से प्रदेश को रेवेन्यू मिलता है, जहाँ से इस प्रदेश को खाद्य मिलता है ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि एक न एक दिन इस प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन होना ही है तो क्यों ना इसके प्रति समय से निर्णय लिया जाए और कुमाऊं और गढ़वाल मण्डलों के साथ-साथ तराई और भावर नाम का मण्डल बनाया जाए। इस मण्डल के साथ-साथ इस प्रदेश में और भी जिले बनाये जाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता की मांग है कि प्रदेश का समग्र संतुलित विकास एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाये जाने हेतु कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल की भाँति प्रदेश का तराई और भावर क्षेत्र का तीसरा मण्डल गठित किया जाए। प्रदेशवासियों की यह भी मांग है कि प्रदेश का पुनर्गठन कर काशीपुर, रानीखेत, कोटद्वार, रुड़की, डीडीहाट नये जनपद बनाये जायें और कोतवाली और तहसीलों का पुनर्गठन किया जाए जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था के प्रति सरकार की पकड़ मजबूत हो सके एवं प्रदेश का संतुलित विकास होना सम्भव हो सके। मान्यवर, देर-सवेर प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों का परिसीमन होना ही है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार यथाशीघ्र निर्णय लेते हुये सम्बन्धित परिसीमन करायेगी जिससे प्रदेश की जनता का जहाँ सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा वहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय भी प्राप्त होगा। अन्त में आपने मुझे अति आवश्यक विषय को विधान सभा में रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

दिनांक 12 मई, 2008 को सदन में घटित हुई घटना के सम्बन्ध में दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं का निस्तारण तथा कतिपय सदस्यों का निलम्बन

श्री अध्यक्ष-

श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 15 मई, 2008 को सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार भंग होने के सम्बन्ध में सूचना दी कि-

"दिनांक 12 मई, 2008 को सदन के अन्दर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा तोड़फोड़ करके तथा बलपूर्वक विधान सभा की कार्यवाही को बाधित किया गया है। सम्पूर्ण घटनाक्रम का तत्समय की सदन की कार्यवाही में उल्लेख है।

माननीय सदस्यों के उपरोक्त कृत्य से जहाँ सदन की घोर अवमानना हुई है, वहीं एक सदस्य के रूप में मेरे विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। इस अशोभनीय व्यवहार

से विधान सभा की गरिमा को गम्भीर चोट पहुँची है तथा सदस्यों के संसदीय अधिकारों का घोर हनन हुआ है।

अतः अनुरोध है कि सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार भंग के इस गम्भीर प्रश्न पर सदन में विचार कर विनिश्चय की माँग करता हूँ।"

उन्होंने अपनी सूचना की ग्राह्यता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विशेषाधिकार की अवहेलना और अवमान का प्रश्न, हमारी प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-65 में है। नियम-65 से लेकर नियम-86 तक के सारे नियम हैं। इससे विशेषाधिकार की अवहेलना और अवमानना के प्रश्न रेग्युलेट होते हैं। वैचारिक स्वतंत्रता, संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद है। संविधान के अनुच्छेद-105 (3) का जो 44वां संविधान संशोधन, 1978 है उसके सेक्शन 15 के द्वारा प्राविधान किया गया है कि सदन की पावर प्रीविलेजेज, इम्यूनिटीज वह सब होंगी जो 20 जून, 1979 से पहले लागू थी। भारत के संसद में एक प्रश्न उठा था कि क्या लोक सभा, राज्य सभा के महासचिव के हाथ से कोई सामग्री छीनना, विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना है या नहीं। इस सम्बन्ध में संसद ने एकमत राय से सुनिश्चित किया कि इस प्रकार के प्रकरण पर सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। दिनांक 12 मई, 2008 को सम्मानित सदन के अंदर जो कुछ घटित हुआ, उसने उन सीमाओं को लांघने का काम किया तथा विधान सभा सचिवालय कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की गई, वह प्रत्यक्ष रूप से सदन का अवमान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-105 में उल्लेख है कि सदन के अन्दर सदस्यों को वाक्-स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अतः दिनांक 12 मई, 2008 को घटित घटना से सम्बन्धित कार्यवाही की असंशोधित प्रति में जिन माननीय सदस्यों का नाम है, उनके विरूद्ध सदन कठोरतम कार्रवाई करे।

इसके अतिरिक्त माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी, माननीय श्री अनिल नौटियाल, श्रीमती आशा नौटियाल, डा० रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री खड़क सिंह बोहरा, श्री गणेश जोशी एवं श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य विधान सभा ने भी इस घटना के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए यह अनुरोध किया गया कि इस घटना के सम्बन्ध में सदन के विचार जान लिये जायं और माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जो भी सदन के समक्ष विचार रख सकें तथा प्रस्ताव कर सकें उसके पश्चात् ही सम्पूर्ण घटना पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट को भी दिनांक 16 मई, 2008 को पढ़कर सुनाया गया और मैंने निवेदन किया कि जिन माननीय सदस्यों का रिपोर्ट में उल्लेख है वे तथा अन्य कोई सदस्य अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। किन्तु किसी भी सदस्य द्वारा विचार रखने के लिए खड़े न होने पर मैंने इस प्रकरण को आज के उपवेशन तक के लिए स्थगित कर दिया था।

इसके अतिरिक्त श्री मनोज तिवारी, श्री रणजीत सिंह रावत, मौ० शहजाद, श्री बलबीर सिंह, श्री केदार सिंह रावत, श्री नारायण पाल तथा श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा हस्ताक्षरित एक अन्य सूचना। नियम–65/66 के अन्तर्गत निम्नवत् प्राप्त हुई है–

"दिनांक 12 मई, 2008 को जब माननीय सदन के उपवेशन के दौरान कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित विधायक गण 'वेल' में आकर अभिव्यक्ति के द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विरोध प्रकट कर रहे थे तो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक श्री गणेश जोशी, श्री अरविन्द पाण्डेय, उत्तेजित होकर, बाहें चढ़ाकर, अपशब्द कहते हुए विपक्ष के विधायकों की ओर मारपीट करने के इरादे से लपके, जिससे 20–25 असामाजिक तत्वों को सदन के अन्दर घुस जाने का अवसर दिया गया व धक्का मुक्की की गयी, जिससे सदन अव्यवस्थित हो गया था। उक्त माननीय सदस्यों का यह कृत्य सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला व सब विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। अतः विशेषाधिकार हनन के दोषी उक्त माननीय सदस्यों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग करते हैं।" यह सूचना भी चूँकि दिनांक 12 मई, 2008 के उपवेशन से सम्बन्धित है। अतः इस सूचना को भी इसके साथ जोड़ रहा हूँ। श्री मुन्ना सिंह चौहान तथा अन्य माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। दिनांक 12 मई, 2008 की घटना से सम्बन्धित माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी एवं अन्य सदस्य, जिन्होंने नियम–65/66 में सूचना दी है, अपनी बात कहना चाहें तो वे भी कह सकते हैं।

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। दिनांक 12 मई को सदन के अन्दर सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक को लाने का प्रयास किया गया और उसके विरोध में माननीय प्रतिपक्ष के नेता तथा बहुजन समाज पार्टी के नेता और सभी माननीय सदस्यों द्वारा उस उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक का विरोध किया गया और 'वेल' में आकर उस विधेयक का, जो विधेयक उच्च शिक्षण संस्थाओं में एक काले अध्याय के रूप में जुड़ रहा था और इस उत्तराखण्ड की देवभूमि में, इस उत्तराखण्ड की उच्च शिक्षण संस्थाओं में सरकार द्वारा जो कुठाराघात करने का प्रयास किया गया और वहां के छात्रों की भावनाओं को, कर्मचारियों की भावनाओं को और साथ–साथ वरिष्ठ अध्यापक चाहे रीडर हों, चाहे लेक्चरर हों, चाहे प्रोफेसर हों, उन सबकी भावनाओं के अनुरूप हमने इस सदन के माध्यम से 'वेल' में आकर उस विधेयक का विरोध किया और मर्यादित तरीके से संवैधानिक परम्पराओं का निर्वहन करके एक अच्छे आचरण के अनुरूप हमने यहां पर सदन में उसका विरोध किया।

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

अगर वह अच्छा आचरण था, तो बुरा आचरण क्या है? (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, लेकिन सरकार के कुछ माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष के सदस्य माननीय विधायक गणेश जोशी जी, माननीय विधायक अरविन्द पाण्डेय जी तथा अन्य सदस्यों द्वारा बाहें चढ़ाकर..............

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक और अवमानना हो गयी है।......

श्री अध्यक्ष–

आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, इस सदन में उत्तेजित होकर यहां पर जो गलत परम्परा डालने का प्रयास किया गया और जिस विधेयक का यहां पर हमारे द्वारा विरोध किया गया, उससे निश्चित रूप से जो हमारी भावनाएं थीं, जो पूरे प्रदेश के शिक्षकों की भावनाएं थीं, जो विधेयक लाया जा रहा था, उस पर संशोधन करने की हमारी जो भावनाएं थीं, उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया गया, उसको दबाने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से यह बहुत ही दुःखद है।....................

मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे आशा करते हैं और इस सदन के अंदर हम सभी आपको न्याय के रूप में मानते हैं और हम सभी को आपका संरक्षण चाहिये। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो हमारी स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया गया हैं और जो हमारे विशेषाधिकार का हनन किया गया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं और करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि निश्चित रूप से इनके ऊपर जो भी कठोर कार्रवाई सदन के माध्यम से हो सकती है, वह निश्चित रूप से होनी चाहिए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

कोई और माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं।

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी की बात से अपने आप को सम्बद्ध करते हुये एक बात पर और प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो 12 तारीख को यह घटना घटित हुई, वह निश्चित ही सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। पर उसमें अन्य जो पहलू हैं कि इस घटना के घटित होने के क्या कारण रहे, उन पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि हम सभी सदस्य आपके संरक्षण में हैं और आप ही हमें इस सदन के अंदर संरक्षण प्रदान करते हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, पीठ का सम्मान करते हैं। परन्तु जिस तरीके से सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने, जब हम लोग 'वेल' में विरोध कर रहे थे, 'वेल' में आकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभिव्यक्ति के द्वारा अपना संवैधानिक विरोध कर रहे थे, उस समय कुछ जो माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, वह लोग जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहे थे, उससे उत्तेजना इस सदन में आई और धमकी भरे हुये शब्दों का प्रयोग वहाँ से किया जा रहा था। जो इससे पहले इस सदन में चर्चा हुई है, अगर उस चर्चा का संज्ञान हम कार्यवाही से लें तो सत्ता पक्ष के ही कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उनके कहने पर जो हमारे सदस्य हैं, उनको रोका गया। यह इस बात का सबूत है कि वहां से बहुत सोची-समझी एक रणनीति के तहत विपक्ष के विधायकों को, माननीय सदस्यों को उकसाया गया। मैं इस बात का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ उन सत्ता के सयानों का, जिन लोगों ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। हालांकि, सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो टिप्पणी की, उन्होंने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने संयम रखने में मदद की और उन्होंने जो अपने आये हुये नये सदस्य हैं या कुछ उत्तेजित सदस्य थे, उनको रोकने का प्रयास किया।

मान्यवर, विपक्ष अपनी गम्भीरता को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए और मैं यह आज कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने या सरकार ने खुद इस बात को माना कि विधेयक में कुछ त्रुटियां थीं और इसको फिर से प्रवर समिति को देकर एक महीने का कार्यकाल दिया गया है, यह अपने आप में ठोस सबूत है कि कहीं न कहीं इस विधेयक का विरोध करना आवश्यक था। उसमें कुछ बिन्दु ऐसे थे, जिसकी वजह से विरोध करना पड़ा। लेकिन जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक हैं, जिन्होंने उत्तेजना को इस सदन में फैलाने का प्रयास किया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके विरूद्ध भी प्रभावी और ठोस कार्रवाई की जाय ताकि सदन में मर्यादा और आने वाले समय में सदन को सुचारू रूप से, जिस तरीके से आज प्रश्नकाल चला, इसी तरीके से चलाया जा सके, धन्यवाद।

*श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर आपका नाम है?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, नोटिस में मेरा नाम नहीं है, लेकिन आपने कहा कि कोई सदस्य बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप अपनी बात रखें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं, जिन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, बहुत ही विद्वान हमारे साथी हैं और सबसे पहले इस सदन को इस पर विचार करना चाहिए कि जो परिपाटी इन्होंने इस सदन में डाली है विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे करके वो भविष्य में हम लोगों को कहां ले जायेगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, कल हम नियम–310 पर कोई सूचना लगाते हैं और अगर हम 'वेल' में आकर अपनी बात कहते हैं तो फिर कोई सदस्य विशेषाधिकार हनन का नोटिस ले आयेगा कि साहब मैंने तो सदन में बोलना था और मुझे बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए मैं विशेषाधिकार हनन का नोटिस ले आया हूँ और उस पर सदन में तीन घंटे की चर्चा होगी। ये किस तरह की परिपाटी और किस तरह की परम्परा हम सदन में डालना चाहते हैं? जिस राज्य को बनाने के लिए जितने लोगों ने कुर्बानी दी है, हम सभी आन्दोलन के छोटे से सिपाही रहे हैं। इस तरह की परिपाटी यदि यहां डाली जायेगी तो वह कितनी उचित है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और क्योंकि उनकी कोई संवेदना नहीं रही है उत्तराखण्ड आन्दोलन के प्रति। इस तरह का चरित्र यहां पर दिखाया जा रहा है। मान्यवर, यहां पर किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। (व्यवधान) मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। (घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, निजी आक्षेप के लिए जो उस घटना से सम्बन्धित नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है (घोर व्यवधान) विशेषाधिकार हनन के नाम पर स्ट्रीट पॉलिटिक्स करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)

मान्यवर, आपके आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो विशेषाधिकार का माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है, उसकी परिधि में अपने विचार रखें। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूँ। जो चुने हुए सदस्य हैं मान्यवर, उनकी अपनी परम्पराएं हैं। मान्यवर, आप सदन में प्रवेश करते हैं तो आप पहले सत्ता पक्ष की तरफ

नहीं देखते, आप पहले अपने बायें तरफ देखते हैं और यह संदेश उसमें होता है कि इस सदन में, चुने हुए सदन में संख्या बल के आधार पर निर्णय नहीं होगा और जो कमजोर हैं, जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है, उनका संरक्षण आप करेंगे। किन शब्दों का उसमें मान्यवर, उपयोग किया गया। जब माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी मान्यवर, मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है मान्यवर, यह सदन में कहा गया कि नेपोलियन ने यह कहा था, तो आप फिर हिटलर को भी यहां ले आईये, फिर मुसोली को भी ले आईये। क्या सदन में मान्यवर, जो तानाशाह रहे हैं, उनके उदाहरण प्रस्तुत किये जायेंगे? मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय किशोर उपाध्याय जी बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हमने उनका पूरा भाषण सुना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, उस पर माननीय सदस्यों ने विचार रखे। यहां से जिन लोगों का नाम इंगित किया गया था, जिनके नामों का उल्लेख मार्शल की रिपोर्ट में और सदन की कार्यवाही में हुआ था, उन्होंने किसी भी तरह से अपने विचार रखने की कोई रूचि नहीं दिखायी, चूँकि रूचि नहीं दिखायी उस पर विनिश्चय आना है। उसी से जुड़ा एक विशेषाधिकार का मामला आया है, उस पर माननीय सदस्य अपना विचार रखना चाहें। अगर आप चाहें तो आपको भी मौका दिया जायेगा। दोनों सूचनाओं का निस्तारण आवश्यक है और दोनों ही एक ही घटना से सम्बन्धित हैं, जो माननीय सदस्य पहली सूचना के सम्बन्ध में अपना विचार नहीं रखना चाह रहे थे, दूसरी सूचना के सम्बन्ध में अपने विचार रख रहे हैं, इसमें आपको भी मौका दिया जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव माननीय सदस्य के द्वारा आया है। आप उसकी ग्राह्यता पर सुन रहे हैं। 12 मई की जो घटना है, इसमें मूलभूत रूप में, मैं कहना चाहता हूँ कि 12 मई का माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी का भाषण का कोई अंश ही नहीं था, उस घटना से उसका कोई लेना–देना नहीं था, वह दूसरे दिन की बात है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आप ग्राह्यता पर सुन रहे हैं तो 12 मई का ही सुनना चाहिए, उसके बाद का नहीं सुनना चाहिए। (व्यवधान)

*श्री गोपाल सिंह–

मानननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष द्वारा पीठ को निर्देशित किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रमेश पोखरियाल जी, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि 12 मई की घटना से सम्बन्धित जो दूसरी सूचना माननीय सदस्य ने दी है, मैं उस पर उनके विचार सुन रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने केवल 12 मई की घटना का उल्लेख किया है। माननीय मुन्ना सिंह जी का जो विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस था, आप उस दिन की कार्यवाही दिखवा लें। उन्होंने उत्तराखण्ड का जिक्र से लेकर, तमाम ऐसी घटनाओं का उल्लेख अपने भाषणों में किया जिनका कि 12 मई से सम्बन्ध नहीं था, तमाम आन्दोलन से लेकर, चीर हरण तक तमाम चीजों का उल्लेख उसमें किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो तमाम हिन्दुस्तान का इतिहास और दुनिया का इतिहास की बातें यहाँ पर करते हैं। जब वहीं माननीय किशोर उपाध्याय जी उत्तराखण्ड आन्दोलन का जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों को पीड़ा हो रही है, [XXX]

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मुझे किसी नेता प्रतिपक्ष या माननीय किशोर उपाध्याय जी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें भी ऐसे मंत्रियों और विधायकों से सर्टीफिकेट नहीं लेना है जो अपराधियों को छुड़वा रहे हैं। [XXXX] हमें ऐसी सरकार के सदस्यों से नैतिकता का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े, होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोगों के चरित्र को देखें वे आपके आदेशों की अवहेलना किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिन शब्दों का चयन उस दिन हुआ है, उससे मैं स्वयं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ। हमारी उन लोगों के साथ तुलना की गई जिन्होंने संसद में घूस लेकर प्रश्न उठाने का काम किया। हमने सदैव सदन के अन्दर जनता की समस्याओं को उठाया है और सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है। हो सकता है कहीं पर हमसे सीमा का उल्लंघन हो गया हो। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा शेम–शेम की ध्वनि)

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य द्वारा आसन पर बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन भी सदन में बात आई थी कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगा रही है। विपक्ष की आवाज को दबा रही है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर टीका–टिप्पणी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। एकदम नीरस भी मत करें। (हँसी)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जिन्होंने घूस लेकर प्रश्न पूछने का काम किया, वह किस दल के लोग थे यह किसी से छिपा नहीं है। उनसे हमारी तुलना होगी?

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि उस दिन 16 तारीख की कार्यवाही में इस तरह के जितने भी शब्द आये हैं, उन्हें कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है और वह भी विशेषाधिकार के प्रश्न पर वे लोग चर्चा शुरू करेंगे जो लोग अपराधियों को छुड़ाने का काम करते हैं, मंत्री होते हुए, विधायक होते हुए अपराधियों को छुड़ाने का काम करते हैं तो मान्यवर, इस तरह के लोगों से चर्चा शुरू करवाई जाएगी वह हम पर टीका–टिप्पणी करेंगे। पहले वे अपने चरित्र को देखें। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा शेम–शेम की ध्वनि) क्या जनप्रतिनिधि का काम जेल में बंद अपराधियों को छुड़ाने के लिए पटवारी के यहाँ जाकर के, एस0डी0एम0 के यहाँ जाकर चोर उच्चकों को छुड़ाने का काम है? यह काम हो गया है इस सरकार के मंत्री और विधायकों का। मान्यवर, इस तरह की घटनाओं से आज पूरा प्रदेश कलंकित हो रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

[XXX] मान्यवर, इन घटनाओं से उत्तराखण्ड का इतिहास कलंकित हो गया। तमाम अपराधियों को छुड़वाया गया। इन तमाम घटनाओं से उत्तरांचल कलंकित हुआ और 12

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तारीख को जो कुछ सदन में घटित हुआ यह उन सभी घटनाओं की परिणति है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बात तो आने दीजिए। कृपया शान्त रहें।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''--

मान्यवर यह गलत है, वर्ग विशेष समुदाय की वहाँ कोई दुकान नहीं लूटी गई है। इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय--

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में अगर संख्या बल पर निर्णय होंगे तो फिर प्रतिपक्ष की क्या आवश्यकता है। संख्या बल के आधार पर सारे निर्णय करवा दीजिए। मान्यवर, यह सत्ता पक्ष का काम है। मैं मानता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी अगर असफलता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की असफलता है, संसदीय कार्य मंत्री जी की असफलता है। जिन्होंने प्रतिपक्ष को विश्वास में लेने का काम नहीं किया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का बहुत अधिक समय नहीं लूँगा यह बहुत ही .....(हँसी)

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, दो शब्दों में, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

''तवारीख की नजरों ने, यह जब भी देखा है,

लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पायी है।''

यह सत्ता इस तरह का आचरण नहीं करे कि इस प्रदेश को ऐसी घटनाओं से सालों--सालों तक भुगतना पड़े। मान्यवर, इन शब्दों में मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।

चौ0 यशवीर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, 12 तारीख की जो घटना हुई निश्चित रूप से वह घटना बड़ी दुखद हुई। (मेज की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बातें उठायी गयीं कि सदन का अपमान किया गया, सदन में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उसके सामने कोई कारण तो होगा और निश्चित रूप से वह कारण सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष जब कोई बात विपक्ष की नहीं मानेगा, तो निश्चित रूप से विपक्ष को 'वैल' में आना ही पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक हाथ, यदि माना वह उठता है तो कोई आवाज नहीं आती है, जब दोनों हाथ आपस में बजते हैं, तो आवाज आती है। अगर यह दोष विपक्ष का है तो इससे ज्यादा दोष सत्ता पक्ष का है। मान्यवर, विश्वविद्यालय की बात चल रही है और विश्वविद्यालय में डिग्री दी जाती है। यहां बी0ए0 की डिग्री हरिराम दास देता है। यहां हर दयाल को एम0ए0 की डिग्री दी गयी। अगर संविधान में कोई संविधान

ज्ञाता को डिग्री दी जाती है तो निश्चित रूप से हमारे श्री चौहान साहब को दी जाय। माननीय अध्यक्ष जी, यह सही बात है कि वे अपनी बात रख सकते हैं। इन्होंने प्रश्न रखा यह ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी, ये कहां का औचित्य है कि ये धारा की बात कर रहे हैं और पीठ को बताते हैं कि इसमें दण्ड भी दे सकते हैं और इसमें आप निष्कासन भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े शर्म की बात है कि ये आप या पीठ पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यहां ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा नियमों का उल्लेख किया जाता है।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यहां जितने भी मैम्बर हैं, जितना भी ज्ञान विधायकों में आपको है, शायद ही इतना ज्ञान यहां किसी भी विधायक को है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और यह पीठ की अवमानना है, सत्ता पक्ष यहां पीठ का अपमान कर रहे हैं। ये पीठ की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप जो भी दण्ड देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। इसमें दो राय नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी, मै अन्त में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि–

"क्षमा बड़न का चाहिए, छोटन को उत्पात,
क्या हरि का बिगड़ गया, जो भृगु ने मारी लात"

(मेज की थपथपाहट)

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, 12 मई की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो कहा जा सकता है। परन्तु जहां तक मेरी यह जानकारी है कि भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की परम्परायें एक अंग बन चुकी हैं। वर्ष 1950 के दशक से 1970 के दशक तक आप उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें, तो वहां का रिकार्ड देखें तो स्व0 राज नारायण जी, लोक सभा में भी इसी तरह का व्यवहार किया करते थे। यह बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना नहीं है। घटनाएं या दुर्घटनाएं होती हैं। दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को जब इसी तरीके से हम लोग पक्ष–विपक्ष में बैठे हुए थे। उस समय का इतिहास बताता है। विधान सभा में अभूतपूर्व मार–पीट, पेपर वेट, गिलास, माईक, जूते, चप्पलें और कुर्सियों को ढूंढकर पीटने की कोशिश की। मान्यवर, मैं उसी में आ रहा हूं। (घोर व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, आप धैर्यपूर्वक बात सुनें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि मूल विषय पर आयें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महँ भाई"–

मैं कहना चाहता हूँ कि उसी प्रकार की घटना, दुर्घटना उत्तराखण्ड आंदोलन में हुई, जब माननीय स्पीकर धनीराम जी की कुर्सी से उनको हटा दिया गया था। मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ ये घटनाएँ हैं, ये दुर्घटनाएँ हैं। ये इस तरह की काला दिन की बात नहीं है, काला इतिहास की बात नहीं है। ये भारतीय संसदीय इतिहास में एक परम्परा बन चुकी है। परन्तु यह इतिहास जगजाहिर है कि इन घटनाओं के बाद किसी सम्मानित सदस्य ने अवमानना का नोटिस नहीं दिया। न ही उत्तर प्रदेश के विधान सभा में दिया न लोक सभा में दिया और सभी दलों की एक बैठक कर एक समिति का गठन किया। मुझे कष्ट हो रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा, इस तरह का वातावरण यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अवमानना की बात कही, आपने संज्ञान लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने अपने विद्वान बहुत बड़े विद्वान सदस्य मुन्ना सिंह जी को भी सुना और सुनते भी आए हैं। जो ज्ञान और प्रज्ञान की व्याख्या में रहते हैं। परन्तु मैं आज यह कह सकता हूँ इस सदन के माध्यम से , माननीय सदस्य ने नर्सरी और के.जी. और प्राइमरी का एजूकेशन नहीं, कालेज और युनिवर्सिटी का एजूकेशन लिया है।

आज परम्परा रही है, इस सदन की भी परम्परा रही है कि जब नेता सदन बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, 'नेता विधान मण्डल बोलते हैं, 'सम्मानित मंत्रिगण बोलते हैं, 'सम्मानित सदस्य बोलते हैं,' उस बीच उठ–उठ करके पीठ को आग्रह नहीं करना चाहिए और मैं अक्सर देख रहा हूँ इस सदन में, सबसे विद्वान और प्रख्यात सदस्य यहाँ पर हैं, वे सदन की दुहाई देते हैं, वे नियमों की दुहाई देते हैं। माननीय चीमा साहब ने सही बात कही कि पट्टी ऐसी नहीं पट्टी ऐसी बांधी जाती है। हमसे गलती हुई कि हमने पट्टी ऐसी बांधी। हमें क्या मालूम की चीमा साहब की पट्टी ऐसी बांधी जाती है। (हँसी) मैं सम्मानित सदस्यों को भी छेड़ना नहीं चाहता हूँ। परन्तु एक आध दाग मेरे उसमें लगा है तो एक आध पम्प ज्यादा दे दिया करो। (हंसी) अतः सदन से निवेदन है गरिमामयी संसदीय परम्परा को बनाये रखने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाय और एक समिति का गठन कर दिया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कुछ कहना चाहता है?

*शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं बोलकर केवल इतना कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूँगा कि कृपया ऐसी भाषा इस्तेमाल न करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं हँसाने के लिए कर रहा था।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी माननीय सदस्य, यह सदन ठीक प्रकार से संचालित हो, इसमें हम आपका सहयोग भी करते हैं और आपके मार्गदर्शन में सदन का संचालन भी होता है।

मान्यवर, वह परम्पराएं जो आप जैसे सीनियर लोगों से हमने लीं और हमसे, जो हमारे नये माननीय सदस्य आये हैं तो वे उन परम्पराओं का निर्वहन हमसे करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज वह परम्पराएं जो हमारे नये माननीय सदस्य आये हैं वे उन परम्पराओं को देखते हुए निश्चित रूप से उनके मन में एक जिज्ञासा जरूर रहेगी कि आखिर क्या सदन में ऐसी भी घटना हो सकती है, क्या ऐसा भी हो सकता है। मान्यवर, मैं रात की एक घटना बताता हूँ, रात को एक मित्र मेरे पास आये उनके दो छोटे–छोटे बच्चे थे, एक बेटी सिक्सथ क्लास में थी और एक बेटा एर्थ क्लास में था। तो वहाँ पर चर्चा हो रही थी कि कल विधान सभा है तो लड़की बोली कि विधान सभा क्या होती है तो एर्थ क्लास का बच्चा कहता है कि [XXX] वे दिल्ली के रहने वाले हैं, यह बिल्कुल सच्ची घटना है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या यह विधान सभा की कार्यवाही में है ?

काजी मो0 निजामुद्दीन –

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

और कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आप कार्यवाही से निकालने को तो कह रहे हैं लेकिन आप दिलों से कैसे निकाल सकते हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, [XXX] इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ये नहीं कहा, यदि यह कहा होगा, तो दिखवा लेंगे, इसमें नाम आया होगा, तो निकलवा देंगे।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम परम्पराओं का हवाला देते हैं, हम परम्पराओं का हवाला देकर सदन में अपनी बात रखते हैं, क्या आने वाले समय में वो परम्परायें, जो 12 तारीख को इस सदन में डाली गयीं, उन परम्पराओं को किस प्रकार आगे बढ़ाया जायेगा। आश्चर्य तो इस चीज का है, दुःख इस चीज का है कि सदन के अन्दर जहाँ आप विराजमान हैं, ये पवित्र पीठ विराजमान है, जहाँ पर माननीय सत्ता–पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्य मौजूद हैं और उसमें विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है इसे यहाँ पर बैठे हुये सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण जानते हैं, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं किसी पर आरोप–प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी ने दिया है, जो नये सदस्य हैं और एक होनहार सदस्य हैं, हो सकता है कि उत्तराखण्ड राज्य का कहाँ तक निर्वहन करें, क्या उन नये सदस्यों को इन परम्पराओं में डालना चाहते हैं, क्या उन नये सदस्यों को यह सिखाना चाहते हैं? मान्यवर, इस सदन में जहाँ पर सत्य बोलना चाहिए, क्या नये माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं कि सदन में असत्य बोलो, कुछ भी बोलो, कोई भी घटना हो उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? मान्यवर, निश्चित रूप से यह इस प्रकार की परम्परायें ठीक नहीं हैं, इस प्रकार की परम्पराओं को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, तमाम साथियों ने, माननीय सदस्यों ने सम्मानित विधायकों ने जिस तरह से यहाँ पर विचार रखे, मैं इसलिए भी इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे सदस्य तिवारी जी और अन्य सदस्यों ने भी इस पर बोला है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि सभी घटना सदन में सभी माननीय सदस्यों के सामने हुई है, मार्शल की रिपोर्ट भी इसमें आ चुकी है, इसलिए आरोप–प्रत्यारोप ज्यादा न लगाते हुए, अपनी बात रखें। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं यह सब नहीं करूँगा। आप मुझसे यह उम्मीद भी न करें। मैं आपका समय नहीं लूँगा। हमारे तमाम साथियों ने यह हवाला दिया है कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के पीछे, मूल अवधारणा क्या थी, इसके लिए कितनी कुर्बानियां दीं और बड़े राज्य में क्या कुछ हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर फिर कभी चर्चा करा लेंगे।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध यह था कि क्योंकि घटना सभी माननीय सदस्यों के सामने हुई है। मार्शल की रिपोर्ट भी इसमें आ चुकी है इसे ज्यादा आरोप–प्रत्यारोप के रूप में न लेते हुए संक्षेप में कहें।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं जो कहना चाहता हूँ। इसमें आपके माध्यम से जो निर्णय आयेगा, इस राज्य के भविष्य को तय करेगा आने वाला समय। पुराने और नये सदस्यों ने विचार रखे हैं। आज एक परम्परा कायम होगी। सदन के सामने जो कुछ भी हुआ है, आपके सामने सारा सदन गवाह है। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ घटित हुई है, वह दुबारा घटित न हो और इस तरह के हालात दुबारा पैदा न हों। मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि चाहे वह विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्य हों जिन्होंने यहाँ पर अपने विचार रखे। मान्यवर, जैसे अभी माहरा जी ने कहा है "उनके भी", तो शायद, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने कोई गलती की है। इसके साथ ही यह बात कुछ और भी माननीय सदस्य भी स्वीकार कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात एक माननीय सदस्य ने यहां पर कही है "क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात।" मान्यवर, वो भी स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं गलती तो हुई है, और जो गलती हुई है, उसकी पुनरावृत्ति न हो यह इस समय चर्चा का विषय है। मैं समझता हूँ कि हम जो यहां पर इधर–उधर और बड़े–बड़े स्टेटों और दुनिया भर का हवाला दे रहे हैं, इससे थोड़ा हट जायें। यह देवभूमि है और छोटा राज्य है। बहुत कम समय में अगर इतनी बड़ी घटना यहां जन्म ले लेती है तो आगे क्या होने वाला है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं बहुत कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, आप जो निर्णय देंगे, आपके सामने सब कुछ हुआ है, आप स्वयं इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, यह सदन गवाह है। इसमें अब आगे कोई बड़ी घटना न हो और माननीय विपक्ष के नेता भी बैठे हैं वे भी इसको स्वीकार करें कि आगे इस तरह की घटना न हो। इन सभी बातों के मद्देनजर जो भी आपका निर्णय हो, वह हमें स्वीकार्य है।

सिंचाई मंत्री (मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम – 298 की बात कर रहा हूँ और इस नियम को यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ। इसके अनुसार "कतिपय परिस्थितियों में सदस्य को निलंबित समझा जाना–यदि कोई सदस्य सदन के किसी उपवेशन में सभा मण्डप के मध्य रिक्त

स्थान में आकर सदन के सेवकों की मेज पर रखे पत्रादि को छीनता है या छीनने का प्रयास करता है अथवा उन्हें फाड़ता है या फाड़ने का प्रयास करता है अथवा कोई कागज, पत्रावली आदि अध्यक्ष पीठ की ओर फेंकने का प्रयास करता है अथवा अध्यक्ष पीठ पर चढ़ता है या चढ़ने का प्रयास करता है तो अध्यक्ष अथवा पीठासीन सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य का नाम पुकारे जाने पर ऐसा सदस्य उक्त उपवेशन के लिए सदन की सेवा से निलंबित समझा जायेगा।''

श्री अध्यक्ष–

मैंने निवेदन किया है कि जो पहली विशेषाधिकार की सूचना आयी थी उस पर माननीय सदस्यों ने विचार रखे थे, कुछ यहां के माननीय सदस्य उस पर अपने विचार नहीं रखना चाह रहे थे तो आज, उसी सूचना के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य तो [XXX] (सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और नियमों का हवाला दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे कार्यवाही से हटा दिया जाये। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसका मतलब यह है कि ये [XXX] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मेरा फिर एक निवेदन है, चूँकि 12 तारीख की जो घटना सदन में हुई, उस समय सभी माननीय सदस्य यहां उपस्थित थे, ''इन्क्लूडिंग मी।'' माननीय सदस्यों के समक्ष यह घटना हुई है, इसमें ज्यादा वाद–विवाद की बात नहीं है। फिर भी कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें तो इसके लिए मैंने आपको अनुमति दी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वाद विवाद की बात क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष–

क्योंकि सबके सामने घटना घटित हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उस समय हम भी तो थे।

श्री अध्यक्ष–

सबके विचार आ गये हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अभी हमारे विचार नहीं आये हैं। हम पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे भी विचार रखने का अनुरोध किया था। (व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध किया था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उस दिन आप इसमें विनिश्चय देते। आपने उस दिन विनिश्चय इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इसमें विपक्ष के विचार नहीं आ पाये थे। सत्ता पक्ष के विचार आ गये हैं, अब आज विपक्ष के विचार आ जाएं।

श्री अध्यक्ष–

आ तो गये हैं, सबके विचार। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आप बताइये।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है, यह देवभूमि है। हम इस देवभूमि से चुन कर आए हैं। आप देवता स्वरूप हैं। आप इतने गरम क्यों हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, आपको जो कुछ कहना है, आप मेरे से कहिए। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहें। ये अन्तिम होंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय केदार सिंह रावत जी अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। माननीय केदार सिंह जी, आप अपनी बात रखें।

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, 12 तारीख को जो घटना इस सदन के अन्दर घटी, वह निश्चित रूप से दुःखदायी है और उसको ठीक नहीं कहा जा सकता है लेकिन उस घटना के पीछे क्या कारण रहे, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं? यह एकाएक सत्तारूढ़ दल के सदस्यों और माननीय मंत्रीगणों के द्वारा विपक्षी सदस्यों पर जो दोषारोपण किया जा

रहा है कि सिर्फ विपक्ष ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ, यह सरासर गलत है। उसी परिपेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष जी, जब 16 तारीख को चर्चा हुई तो हमारे सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के द्वारा और सरकार के कई माननीय मंत्रियों के द्वारा यह विशेष रूप से कोट किया गया है कि हमने सत्ता पक्ष के सदस्यों को संयम बरतने के लिए कहा और वे बधाई के पात्र हैं। जो नोटिस माननीय मनोज तिवारी, मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने दी है, इसके तथ्यों की पुष्टि करता है।

माननीय मंत्री जी का वक्तव्य, विशेष रूप से हमारे चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का वक्तव्य। आखिर वे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि वे बधाई दे रहे हैं सत्ता पक्ष के सदस्यों को और यह कह रहे हैं कि उन्होंने संयम बरता। क्या विपक्ष के माननीय सदस्यगण, जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए विश्वविद्यालय विधेयक को जबरदस्ती सदन के पटल पर लाकर पारित कराने के विरोध में छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में, प्रदेश की जनता के हित में जो 'वेल' में आकर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे थे, क्या उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं था? वे इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्या विपक्ष के सदस्य, सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर मुखातिब होकर कोई इस तरह की कार्यवाही कर रहे थे जो वे उत्तेजित होते? वे संवैधानिक परम्पराओं के अनुसार अपने अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत 'वेल' में आकर विरोध कर रहे थे। माननीय मंत्री जी इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने संयम बरतने को कहा और उनको बधाई दी है। क्या वह यह चाहते थे कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी 'वेल' में आकर के विपक्ष के सदस्यों पर आक्रमण करते? निश्चित रूप से इस बात से क्योंकि यह हमारे मनोज तिवारी जी और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी गई है, यह इस तथ्य से, उनके वक्तव्य से, जो 16 तारीख के वक्तव्य से, बल देता है कि वास्तव में उन दोनों, जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बाहें ठूसकर, अपशब्द कहकर 'वेल' में आने का प्रयास किया। यह नहीं कहा गया है इस नोटिस में कि वह 'वेल' में आये या उन्होंने कोई घटना की। लेकिन प्रयास किया गया और यह माननीय जी के वक्तव्य से स्पष्ट जाहिर है।

मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाह रहा हूँ कि 12 तारीख की घटना, वह दुखदपूर्ण है, मैं यह पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुये हमारे जो वरिष्ठ साथीगण हैं, उनको सहिष्णुता की भावना से, उनको भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मान्यवर, अपराधियों के लिये भी रीफोरमेटिव कानून बनाये जाने की व्यवस्था की जा रही है और दण्ड विधान में यह जो कान्सेप्ट आया था कि यदि किसी ने खून किया है तो उसे फाँसी पर चढ़ा दिया जाय तो अपराध रूक जायेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो रीफोरमेटिव की बात

आ रही है और यहां तो सदन के सम्मानित सदस्य, जो विधायक हैं और जो कानून बनाते हैं, जो पूरे समाज की क्रीम हैं, उसके प्रति जो उत्तरदायी हैं, क्या उनको दण्ड देकर परम्परा को रोका जा सकता है, इससे और भी गलत परम्परा, जो हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं और सरकार के मंत्रीगण हैं, बार–बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इनको दण्डित किया जाय। क्या दण्डित किया जायेगा? फाँसी तो नहीं हो जायेगी? मैं तो आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वह भी सहिष्णुता का, स्वस्थ परम्परा का यहां पर परिपालन करें, स्थापना करें। ठीक है, कोई घटना हो गई, दुखदपूर्ण है। हो गई आवेश में, विरोध की अभिव्यक्ति के प्रदर्शन में हो गई। किसी का आशय नहीं था कि सचिव साहब की मेज को पलटें या उनकी मेज को पलटें, लेकिन किसी तरह से सदन प्रोवेकेशन में हो गया, तो इसका अर्थ यह नहीं है मान्यवर, किसी का आशय नहीं था। (व्यवधान)

मान्यवर, जो हमने नोटिस दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसको असहिष्णुता की भावना से घटना को और आगे बढ़ाया जाय और तूल दिया जाय। इसलिए मान्यवर, जो संसदीय परम्पराओं को, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं को, इस देवभूमि के इतिहास को, हम केवल हल्ला मचाकर यह नहीं कहें कि यह काला दिन हो गया, उसका दुष्प्रचार न करके बात को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिये, धन्यवाद।

*कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 12 मई को जो घटना यहां पर घटित हुई, उसका उल्लेख पहले भी आ चुका है, लेकिन सवाल यह है कि इस देवभूमि की जनता को और देश की जनता को, देवभूमि की विधान सभा क्या संदेश देना चाहती है। मुझे यह लगता था कि जो हमारे प्रतिपक्ष के साथी हैं, वह निश्चित रूप से जो शर्मसार करने वाली घटना विधान सभा के अन्दर हुई, एक संदेश देंगे, प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कि हमें उस घटना पर खेद है। वह शर्म महसूस करते उस पर और एक संदेश जाता कि जैसा अभी हमारे एक पूर्व साथी ने कहा कि यह घटना अकस्मात् हो गई, कोई नियोजित घटना नहीं थी, उत्तेजना में यह घटना हो गई है। तो मैं यह समझता हूँ कि आज यहां पर हमारे विपक्ष के साथी उस पर खेद प्रकट करते, शर्मनाक घटना पर अपना दुःख प्रकट करते तो इस प्रदेश की जनता और देश की जनता को एक बहुत अच्छा संदेश और स्वस्थ संदेश जाता कि हम किस तरह के मानदंड अपनी विधान सभा के अन्दर स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिये मैं बहुत संक्षिप्त बात यहां पर कहना चाहता हूँ और किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ। हम भी विपक्ष में रहे और हमने भी संघर्ष किया, सड़क पर भी संघर्ष किया और विधान सभा के अंदर भी किया। हमारे कुछ साथी उधर बैठे हैं, उनकी तो फितरत है कि उनको करना है, चाहे वह पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें। मेरा कहना यह है कि अभी नेता प्रतिपक्ष को यहाँ पर बोलना है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, और नेता प्रतिपक्ष से मैं यह उम्मीद करता हूँ कि उस दिन की घटना पर वे खेद प्रकट करेंगे और प्रदेश की जनता को संदेश देंगे कि उस दिन की घटना उचित नहीं थी। इस तरह का संदेश नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जायेगा। मैं आपके माध्यम से उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ और उनसे यह अपेक्षा भी करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आपसे अनुरोध है कि आज विशेषाधिकार के जिस नोटिस पर चर्चा हो रही है, कृपया उस पर अपने विचार रखें।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''-

श्रीमन् मैं, आज कहना भी नहीं चाहता था कुछ। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मेरे अनुज केदार सिंह ने कुछ बिन्दुओं को उठाया है श्रीमन्। मैं व्यक्तिगत रूप से केदार सिंह से स्नेह करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ श्रीमन्, मैं केवल कहने मात्र के नहीं उठा हुआ हूँ। क्या सभी सदस्य यह नहीं देख रहे थे श्रीमन् कि क्या स्थिति हो रही थी ? सदस्य ने मेरे से यह जानना चाहा कि मैंने अपने उद्बोधन में सत्ता पक्ष के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने संयमिता को बरत कर, इस बात को गलत तरीके से किया जा रहा था श्रीमन्, जब पीठ पर हमला हो रहा था, कुर्सियां तोड़ी जा रही थीं श्रीमन्, कुर्सियां उठा-उठाकर पटकी जा रहीं थीं, गलत तरीके से सचिव को धक्का दे-दे करके, हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा श्रीमन्, उसके लिए मैं फिर, फिर, फिर उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ श्रीमन्, यह चिंता का विषय है। हम अगल, बगल सामने बैठे हैं। (व्यवधान) हाँ, मैंने कहा न, मैंने दिया, मैं फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं दुबारा इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपको सुन रहा हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''-

आपकी पीठ पर हमला हो और सदस्य देखते ही, वो तो जिस तरीके से उत्तेजना का वातावरण बनाया जा रहा था, सामने जो किया जा रहा था श्रीमन्, सत्ता पक्ष के लोग शालीनता के साथ बैठे रहे, यह अच्छा किसी को नहीं लगा। दूसरी बात जो चिंता का विषय है श्रीमन्, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि कई बार घटती हैं, उत्तेजना भी होती है श्रीमन्, परिस्थितियां आती हैं ऐसी भी, लेकिन श्रीमन्, प्रत्यक्ष को झुठलाने की कोशिश सामने-सामने करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है श्रीमन्। ठीक है एक घटना हो गयी, उसका निस्तारण श्रीमन्, होना चाहिए। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं श्रीमन्, लेकिन मैं सोचता हूँ सारा सदन यहां पर है और हम इस तरीके की सूचनाओं में ऐसी

बातों को लाएं तो यह चिंता का विषय है और इसलिए जो आपके सानिध्य में घटना घट रही हो (व्यवधान) सानिध्य क्या आपके सम्मुख, श्रीमन्, आपके सामने घटना घट रही हो और उसमें यह लिखा जाये कि इतने लोग आ गये और ये हो गया, वो हो गया वो ठीक नहीं है श्रीमन्। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ श्रीमन्, सत्ता पक्ष की ओर से न पहले उत्तेजना के शब्दों को कहा गया और न घटना के समय किसी प्रकार के उत्तेजना के शब्दों को कहा गया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ श्रीमन्, मेरी चिंता का जो विषय है कि गलत तरीके से इन परम्पराओं को कम से कम हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनको भी नहीं करना चाहिए और मैं बहुत विनम्रता से, भगवान को साक्षी रख करके कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस राज्य के लिए, अपने भविष्य के लिए इस सदन में कोई गलत तरीके से झूठ न बोले। मैं आपका आभारी हूँ श्रीमन्।

डा0 हरक सिंह रावत–

मानवीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे उद्बोधन में, सम्बोधन में कोई टीका–टिप्पणी न हो। उनमें भी इतना संयम होना चाहिए, जैसा अभी डा0 पोखरियाल जी कह रहे थे कि हमने संयम का परिचय दिया। मेरे संबोधन के दौरान संयम का परिचय दें तो मैं आपका आभारी रहूँगा। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो क्या बात है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यही दोहरा रहा था कि चूहे किसने खाये। कौन बिल्ली है, कौन चूहे खाकर हज को गई है, यही तो मैं साबित करने की कोशिश करूँगा। माननीय त्रिवेन्द्र जी, माफ करना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, आपने इतने गम्भीर विषय पर जो केवल इस सदन की पीड़ा नहीं पूरे प्रदेश की पीड़ा है, जनमानस की पीड़ा है उस पर मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया। मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। "उनके हाथ भी जरूर जख्मी हुए होंगे, जिन्होंने विपक्ष के राह में कांटे बिछाये हैं।" माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण खम्भे होते हैं, दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है। जिस तरह रेल की दो पटरियाँ होती हैं, रेल दो पटरियों पर चलती है, अगर एक पटरी का पेंच हल्का सा ढीला हो जाय तो बड़ी–बड़ी दुर्घटना हो जाती है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति बनाये रखें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष की ओर से कोई छींटाकसी नहीं हो रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष खुद ही यह कह रहे हैं कि पेंच ढीला हो जाय तो फिर दुर्घटना हो जाती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अच्छा लग रहा है मेरे 'पेंच' शब्द कहने से हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यों के चेहरे पर हँसी आती हो तो मैं दो पंक्तियाँ इनके लिए कहना चाहता हूँ–"दर्द को ढालते हैं नगमों में, साज को सेज में बदलते हैं, दाद दे गयी दुनियां, जख्म खाकर भी फूल उगलते हैं।" माननीय अध्यक्ष जी, हमको तो जख्म मिले हैं। विपक्ष को जख्म मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पर हँसी मजाक का वातावरण पैदा कर रहे हैं। हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के चेहरे पर कितनी रौनक है, माननीय महिला सदस्य तो इतनी तेजी से हंस रही थीं कि लगता है जब भविष्य का सत्र होगा तब तक के लिए उनको ऊर्जा मिल गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि लोकतंत्र की दो पटरियाँ होती हैं, अगर एक पेंच भी ढीला हो गया तो दुर्घटना हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष रेल की दो पटरियाँ हैं, उनमें कोई भी कमजोर होता है तो उस देश और प्रदेश का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब राजनीतिक दल चुनाव में जाते हैं, हम चुनाव में गये।

हमने अपनी बात को जनता के बीच में कहा, हमने अपनी बातों को जनता के बीच में रखा और जनता ने हमें जनादेश दिया और हम इस सम्मानित सदन के सदस्य के रूप में यहाँ आये। जिस राजनीतिक दल से अधिक सदस्य जीतकर आये, जनता का आशीर्वाद जिन्हें मिला, वह सत्ता पक्ष में बैठे। हम कुछ जनता का आशीर्वाद लेने में कमजोर पड़ गये। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जनता ने हमको एक जिम्मेदारी दी है। मुझे याद है जब मैंने पौड़ी में विध ाान सभा का चुनाव जीता, तब पूरे प्रदेश से इस तरह के संकेत आ रहे थे कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थापित हो रही है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी। कभी–कभी ईश्वर वाणी में बैठ जाता है। मैंने पौड़ी में अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की महान जनता ने अगर हमको विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है तो इस प्रदेश के हर गाँव नगर में वृद्ध, विधवा, विकलांग, अल्पसंख्यक और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा प्रतिपक्ष के रूप में हम निर्वहन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोचता हूँ, और यह मेरी प्रबल धारणा है कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में या प्रतिपक्ष के रूप में चाहे कांग्रेस के हमारे सदस्य हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हों, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, प्रतिपक्ष के लोगों को कि आप सब लोगों ने पिछले सवा साल में जो सजग पहरी की भूमिका होती है, एक ऐसे सेवक की भूमिका आपने निभाई है कि अगर पिथौरागढ़, धारचुला में किसी माँ को दर्द हुआ है, या चाहे पेयजल की समस्या हो, जोशीमठ में माननीय फोनिया जी के क्षेत्र में पैदा हो गई, अगर हल्द्वानी में कोई दुर्घटना होती है, कहीं सूखा पड़ता है तो हमारे

विपक्ष के सदस्यों ने, इस प्रदेश के आम जनमानस की पीड़ा को समझते हुए वही आक्रोश, वही दर्द हमारे विपक्ष के सदस्यों के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) ऐसा लग रहा था कि वह दर्द उस पीड़ित व्यक्ति का दर्द न हो, उस धारचुला में रहने वाले व्यक्ति का दर्द न हो, खटीमा में रहने वाले व्यक्ति का दर्द न हो, मंगलौर में रहने वाले का दर्द न हो। ऐसा लग रहा था कि वह निजामुद्दीन जी का दर्द हो, हमारे श्री मनोज तिवारी का दर्द हो, श्री दिनेश अग्रवाल जी का दर्द हो, चौ0 यशवीर जी का दर्द हो।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय विशेषाधिकार हनन के सम्बन्ध में है और सदन इस पर विचार कर रहा है। पूरे साल भर के घटनाक्रम को न जोड़ें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत ही कुशल वक्ता हैं। जो विषय इस समय चल रहा है, वह विशेषाधिकार हनन का है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप और हम सभी लोग विद्यार्थी रहें हैं और समय–समय पर हमने परीक्षायें दी हैं और जब भी हम सवाल का जवाब देते हैं तो सबसे नम्बर वन पर भूमिका बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

भूमिका विषय से ज्यादा न हो जाए। ग्राह्यता पर बोलें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, समय–समय पर उस दर्द को आपके सामने कहते हैं, क्योंकि हम आपको अपना गार्जियन समझते हैं। हरक सिंह रावत की हरबंस कपूर से कोई नाराजगी नहीं है। आप अध्यक्ष के रूप में पीठ को शोभायमान कर रहे हैं। हरबंस कपूर के रूप में आप मेरे बड़े भाई हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और तमाम अन्य सदस्यगण चाहे पेयजल मंत्री के रूप में मातबर सिंह कण्डारी जी हों, मेरे बड़े भाई हैं।

श्री अध्यक्ष–

कण्डारी जी तो आपके साढू भाई हैं। बड़े भाई नहीं हैं। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, साढू भाई बड़े भाई के समान ही होता है।

मान्यवर, यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि समय–समय पर और आपने भी इस बात को महसूस किया कि विपक्ष का वे आक्रोश पीठ पर बैठे व्यक्ति पर नहीं है, यह आक्रोश एक लोकतंत्र के सेवक का, समाज का, जनप्रतिनिधि का अपने गार्जियन से उम्मीद के प्रति है। वो उम्मीद जो जनता हमसे करती है और एक आक्रोश

के रूप में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा संरक्षण करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सरकार को सही रास्ते पर चलने का निर्देश देंगे और जन समस्याओं का निराकरण होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 12 तारीख को घटना घटित हुई, मैं इसे दुर्घटना कहता हूँ और ये वाद विवाद हो सकता है माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सत्ता पक्ष के लोग 12 मई को इसलिए कलंकित कहते हैं कि विपक्ष द्वारा ज्यादा आक्रोश किया गया। हम भी 12 मई की घटना के सम्बन्ध में विपक्ष की ओर से कहना चाहते हैं, कि ये घटना कलंकित घटना है।

माननीय अध्यक्ष जी, ये दो मायने में है, एक तो जो आज आपके सरल स्वभाव के कारण विश्वविद्यालय विधेयक पुनः प्रवर समिति को सौंपा गया। एक इस दृष्टिकोण से, एक ऐसा विधेयक जो उत्तराखण्ड की आने वाली 100 पीढ़ियों तक को अंधकार में धकेलना चाहता था। वह प्रतिवेदन इस सदन के सामने आया, इसलिए वह दिन कलंकित करने वाला दिन था। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, श्री केदार सिंह रावत, श्री सहजाद और तमाम साथियों ने नियम-65 और 66 पर एक नोटिस दिया है ये आपकी सहजता है और आपका यह सरल स्वभाव है कि आपने हमारे विशेषाधिकार हनन को आपने स्वीकार किया और ग्राह्यता पर आप सुन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो चोरी करता है और कत्ल करता है वो निश्चित रूप से अपराधी है। लेकिन कोई उकसाता है और कोई ऐसा वातावरण सदन के अन्दर प्रस्तुत करता है अपनी सीट पर खड़े होकर उत्तेजना फैलाता है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है जिससे कि सदन का वातावरण स्वच्छ न रह सके तथा गरिमामय न रहे, वह कष्टप्रद है, मान्यवर, 12 मई को एक ऐसी घटना हुई, हमारे सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने, जिनका उल्लेख हमारे माननीय सदस्यों ने अपने नोटिस में रखा और सारे सदन ने देखा। यही हम कहना चाहते हैं जैसा माननीय श्री केदार सिंह रावत जी ने कहा और विधान सभा की कार्यवाही में भी है, सारे सदन ने देखा किस तरह उत्तेजित सदस्य को हमारे माननीय निशंक जी, श्री प्रकाश पन्त जी, पीछे मुड़-मुड़कर सदस्यों का समझा रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आक्रोश तो आपके प्रति था, अपने गार्जियन के प्रति था, अपने गार्जियन के माध्यम से सरकार के प्रति था। जनता की पीड़ा हम आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष तक पहुँचाना चाहते थे कि हम इतने पीड़ित हैं, उत्तराखण्ड का जनमानस इतना पीड़ित है, बेरोजगार इतना पीड़ित है, शिक्षक इतना पीड़ित है, कर्मचारी इतना पीड़ित है। लेकिन हमारे आक्रोश को, हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, जो आपके माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहते थे, आपके माध्यम से, तो अगर सत्ता पक्ष उसको अपने खिलाफ उस पीड़ा को समझता है, उस टिप्पणी को समझता है और उसके बाद अपनी सीटों पर खड़े होकर विपक्ष के सदस्यों को धमकाने का प्रयास करता है तो यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड के संसदीय इतिहास में, उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में, हिन्दुस्तान के संसदीय इतिहास में ऐसा कृत्य निंदनीय है, कलंकित

करने वाला है और इसकी मैं घोर आलोचना करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, नैतिकता की दुहाई देने वाले लोग, तमाम पुस्तकें पढ़ी गयीं, अभी माननीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे नैपोलियन का उदाहरण दिया गया। संविधान की धाराओं का उल्लेख किया गया।

चाहे वह संविधान की धारा–105 हो, 194 हो, नियमावली की धारा–165 से लेकर 86 तक हो। 298 का उल्लेख किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने विश्वविद्यालय एक्ट के समय में भी कहा था कि जिनके घरौंदे घास के होते हैं उनको दूसरों के घरौंदे को छिन्न–भिन्न करने का, टीका–टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता है। नैतिकता की बात करने वाले वे लोग जिनका उद्‌भव, जिनका सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिनकी पहचान [XXX] मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था। जब मैंने अखबार में सुबह पढ़ा कि [XXX] आज नैतिकता की बात इस सदन में कर रहे हैं। इस सदन में नैतिकता की बात कर रहे हैं। [XXX] हास्पिटल में माननीय प्रीतम सिंह जी मुझे याद है आप भी उस माननीय सदस्य को देखने के लिए हास्पिटल में गये थे घायल अवस्था में देहरादून के हास्पिटल में एडमिट था। वे लोग नैतिकता की बात करते हैं। वर्ष 1993 की घटना उत्तर प्रदेश की विधान सभा में, माननीय महेन्द्र सिंह माहरा जी ने वर्ष 1996 की घटना उत्तर प्रदेश की विधान सभा की घटना का उल्लेख किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी 1991 में 1993 में और 1996 में उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदन में सदस्य थे। मुझे भी आपके साथ सौभाग्य मिला था और हमने देखा एक दल विशेष के लोगों द्वारा पीठ पर अपनी पार्टी का झण्डा लगाया गया और आज उसी दल के सदस्य यहाँ खड़े होकर संविधान हमको पढ़ाना चाहते हैं, नियमावली हमको पढ़ाना चाहते हैं। जिस दल के लोगों ने उत्तराखण्ड के आंदोलन में, अभी माननीय मंत्री दिवाकर भट्‌ट जी कह रहे थे। हम भी उत्तराखण्ड के सिपाही रहे हैं। हमने उत्तराखण्ड की उस लड़ाई को लड़ा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में, हमने उत्तराखण्ड की उस लड़ाई को लड़ा है। दिवाकर भट्‌ट जी इस बात के गवाह हैं। मैं पौड़ी से विधायक हुआ करता था। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत चीर हरण की बात हुई। उत्तराखण्ड की माटी, उत्तराखण्ड का माथा, हिन्दुस्तान का माथा कलंकित हो गया। अरे कलंकित उस दिन हुआ उत्तराखण्ड का माथा जिस दिन हमारे आज इसी सदन के सदस्य हैं और जो नियमों की बात कर रहे हैं। मान्यवर, [XXX]

श्री अध्यक्ष–

कृपया नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

(शेम शेम की ध्वनि)

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, [XXX] खटीमा की घटना, मसूरी की घटना, श्रीनगर का श्रीयंत्र टापू काण्ड का वह दर्द भी आज हम भूले नहीं हैं, आज वो लोग नैतिकता की बात करते हैं, वो चरित्रता की बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया विषय पर कहें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर, उसी पृष्ठभूमि पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने उस दिन केवल 12 मई की घटना का उल्लेख किया होता, तो आज हम भी अपने सम्बोधन में तमाम उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी खड़ी की गईं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने सम्बोधन में हिटलर–नेपोलियन, उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र किया, पार्लियामेण्ट की घटनाओं का जिक्र किया, उत्तराखण्ड का इतिहास कलंकित हो रहा है, उत्तराखण्ड के आँसू को देखेंगे तो उसके आँसू इसलिए निकले हैं इस माँ के आँसू कि राजस्व पुलिस अपराधियों को पकड़ती है और एक मंत्री, कानून, हिन्दुस्तान के संविधान में चाहे मंत्री हो या संतरी किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बात कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं, संयम से बात कहनी चाहिए। मान्यवर, असत्य बात नहीं कहनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष क्या मौके पर थे? (व्यवधान) यह घटना यहीं पर घटित हुई है, इसे हमने सामने देखा है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आप हमारी बात सुनें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह विधान सभा है, कोई थियेटर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि तथ्यों पर आधारित बात करें तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कृपापूर्वक आपने यहाँ पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि पूरे साल की घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया जाय। (व्यवधान)

नोटः–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो कृत्य किये गये हैं, उनके बारे में उन्हें सुनना चाहिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इन घटनाओं को सदन में नियमों के अन्तर्गत आना चाहिए, तभी इन पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

यहाँ पर जो कुछ हुआ है, बाहर जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में भी तो सुनो। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ जो नियम, परिनियम की बात करते हैं। आपने कई बार पीठ से निर्देश दिये कि जब नेता सदन या नेता प्रतिपक्ष सदन में बोलने के लिए खड़े हों तो बीच में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं खड़ा हुआ हूँ, यदि आप बैठने के लिए कहें तो बैठ जाऊँगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसी सम्मान का आदर करते हुए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को भी उसी सम्मान और गरिमा में रहना चाहिए। यदि नेता प्रतिपक्ष उस सीमा और गरिमा से बाहर चले जायेंगे तो निश्चित रूप से बीच में टीका टिप्पणी होगी। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब पार्लियामेण्ट के 11 सांसदों की घटना का उल्लेख किया जायेगा, तो हम भी उल्लेख कर रहे हैं, इस सदन के सदस्यों के जो कृत्य हैं, उनका। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ग्राह्यता पर बोलने के लिए कोरिलेशन करना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो अनुमति आपको दी गयी है, वह ग्राह्यता पर बोलने के लिए दी गयी है। अपने आप को सीमित रखें। आप ग्राह्यता पर ही बोलें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूँ और जितने बिन्दुओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। ये मेरी बातों को जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर बल देने के लिए मैं अपनी बात को कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया ग्राह्यता पर बोलें, ऐसी घटना का उल्लेख न करें, जिसमें कोई प्रमाण न हो।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर माननीय सत्तापक्ष के द्वारा किसी घटना का उल्लेख होगा तो निश्चित रूप से हमें भी करना होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए प्रमाण चाहिए। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, संवैधानिक तरीके से उल्लेख हुआ है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष उन घटनाओं का लोक सभा से लेकर भारतीय संसद तक को लेकर के उद्धरण करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। मान्यवर, दिक्कत तब है, जब व्यक्तिगत आक्षेप लगने शुरू हो जाते हैं। (घोर व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महॅू भाई''–

मान्यवर, यह कैसी परम्परा है, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, तो सत्तापक्ष के विद्वान सदस्य बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। ये मैंने भारतीय संसद से कोट किया है, इसमें नेता प्रतिपक्ष से अनुमति लेने का मतलब नहीं है। विशेषाधिकार हनन के जितने भी उदाहरण हैं, देश के अंदर होंगे उसको कोट करने का अधिकार है, लेकिन यह विशेषाधिकार हनन से इतर का नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसी कौन सी बात कह रहा हूँ कि जिससे कि किन्हीं माननीय सदस्यों के चेहरे लाल–पीले हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को स्पीकर पद की पावर भी मिल गयी है? माननीय मंत्री जी अपनी सीमाओं में रहें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। कृपया आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यहां पर लड़ते हैं और घर पर एक साथ बैठकर चाय पीते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कुछ घटनाओं का उल्लेख करना, उनको इस सदन के संज्ञान में लाना इसलिए जरूरी है..........।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, क्योंकि आप अपनी घटना को जस्टीफाई करना चाहते हैं, इसलिए जरूरी है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप दिल्ली गये और आपने नेतृत्व किया इसलिए मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के यहां आपकी शिकायत हो गयी है इसलिए आप अपनी पीड़ा को यहां बोलकर नम्बर बढ़ा रहे हैं। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। आपका आक्रोश मुझे जायज लग रहा है, होना भी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अपनी बात कहें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय सदस्य दिल्ली गये थे, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी को मालूम हो गया इसलिए बेचारे जबरदस्ती यहां पर जोर–जोर से बोलकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके भक्त हैं। (व्यवधान) ठीक है, अब उन बेचारों को मंत्री पद मिल जाए, अगर ऐसा बोलकर भला होता है तो अच्छी बात है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, हम तो रोज ही दिल्ली जाते हैं। कोई आज तो दिल्ली नहीं देखा है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कभी हमको भी ले जाइये दिल्ली।

श्री अध्यक्ष–

मेरे विचार से माननीय सदस्य ने जब विचार रखे थे तो किसी भी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं किया था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे सब मालूम है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कृपया वातावरण को सामान्य बनाए रखें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यदि एक बात बोलेंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। मैंने पहले ही कह दिया था आपसे। मेरे पास विधान सभा की कार्यवाही है, जो घटना हुई, उस पर जो कुछ भी कहा गया, सब है। जो भाषण हुए हैं, हमने सब सुने हैं, पूरे सदन ने सुने हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि [XXX] की चर्चा हो सकती है तो [XXX] की भी चर्चा हो सकती है। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी नियमों का हवाला देते हैं और बार-बार नियमों को तोड़ते हैं। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इन्हें बड़ा दर्द हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, यदि आपकी अनुमति हो तो बहुत अच्छी तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। [XXX] लेकिन क्या वह चर्चा आवश्यक है? (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इन्हें केवल अपनी बात कहने की आदत है, सुनने का माद्दा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ऐसी घटनाओं का जिक्र न करें, अन्यथा मुझे माननीय सदस्य को भी बोलने का अवसर देना पड़ेगा। (व्यवधान)

नोट:–[XXX] ये अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गए।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर...

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिन घटनाओं के बारे में, जिन सदस्यों के बारे में आप कह रहे हैं। आपकी बात का जवाब देने के लिए मुझे उनको अवसर देना पड़ेगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर,...

श्री अध्यक्ष–

आपको भी अवसर दिया जायेगा अपनी बात कहने का। परन्तु इस बात को ध्यान में रखें कि विषय की जो गम्भीरता है, सारे सदन के समक्ष जो घटना घटित हुई है उसकी गम्भीरता में कमी नहीं आनी चाहिए।

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस सदन के सम्मुख गरिमा, मर्यादा, परम्परा, नैतिकता जैसे शब्दों का बार–बार उल्लेख हुआ सत्ता पक्ष के द्वारा और विपक्ष को याद दिलाया गया कि नैतिकता होती है, परम्पराएं होती हैं, नियम होते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना सा अर्ज करना चाहते हैं कि नैतिकता केवल सत्ता पक्ष के लोगों में नहीं है, हममें भी नैतिकता है और तमाम जो अनैतिकता और नियमों के खिलाफ की बात माननीय सत्ता पक्ष के लोगों ने की, हम भी उसके सन्दर्भ में कहना चाहते हैं कि यह उत्तराखण्ड का इतिहास क्यों कलंकित हो रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी अधिक है, क्योंकि वे विधायिका के अंग हैं। कार्यपालिका के भी अंग हैं, मंत्रीगण यहाँ पर बैठे हैं, वह कार्यपालिका के भी अंग होते हैं, अपने–अपने विभागों के भी मुखिया होते हैं। इसलिए उनकी अधिक जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि उत्तराखण्ड पीड़ित हो रहा है, उत्तराखण्ड आन्दोलन की जो जनभावना है, उसे दर्द हो रहा है, आज सरकार के क्रियाकलापों से वह भावना कलंकित हो रही है। सदन की जो घटना हुई, जहां उत्तराखण्ड की जो मांग है, वह कलंकित हुई है, वह मां रो रही है, हमारे सत्ता पक्ष के और सरकार के

क्रिया–कलापों से वह माँ रो रही है। इसलिये अपने साथियों से कुछ ऐसी बातें जरूर कहना चाहूँगा कि वह जरूर नैतिकता.....।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि यदि सारे विषय आयेंगे तो मुझे फिर अलग से चर्चा करवानी पड़ेगी और यदि आप किसी माननीय सदस्य के बारे में कहेंगे तो उन्हें भी अवसर देना पड़ेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम पर जो भी आरोप लगे, हमने शांति से सुना और हम आपसे यह उम्मीद करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, कि सत्ता पक्ष के लोगों में भी इतना धैर्य और संयम होना चाहिए। हमको संयम का पाठ पढ़ाने वाले सत्ता पक्ष को खुद संयमित रहने की कोशिश करनी चाहिए। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं एक घंटा नहीं बोला हूँ, यदि आप लोग व्यवधान नहीं करते तो मैं 15–20 मिनट से ज्यादा नहीं बोला हूँ। मान्यवर, हम बहुत पीड़ित हैं कि उत्तराखण्ड के संसदीय इतिहास में इस तरह की घटनायें हो रही हैं। पुलिस के हवाले से अपराधी को छुड़ाया जा रहा है, 302 वाले अपराधी को, ऐसा कृत्य हमारे सम्मानित सदस्य कर रहे हैं और वह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, हमें यह शोभा नहीं देता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि आप किसी ऐसी घटना का उल्लेख करेंगे, जो इस सदन के संज्ञान में नहीं है और किसी माननीय सदस्य से सम्बन्धित है तो उन माननीय सदस्यों को भी अवसर देना पड़ेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी सदस्य का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर माननीय सदस्य स्वयं समझ लें कि उसने अनैतिक काम किया है तो यह उसका बड़प्पन है। अब एस0डी0एम0 पता नहीं कितने रहे चकराता में, न जाने प्रीतम सिंह जी या कितने विधायक हुये चकराता में। यह जरूरी थोड़े है कि [XXX] मैंने तो उल्लेख ही नहीं किया था।

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल एक घटना घटित हुई थी, खाद्य सचिव के साथ, उसका भी उल्लेख हो जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उसका उल्लेख यह कर लें। आप हमें नैतिकता समझायेंगे तो हम आपको नैतिकता समझायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जिस घटना का इससे कोई संबंध नहीं है, उसे मैं....।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब सत्ता पक्ष यहाँ पर बोल रहा था तो हमने कोई टीका–टिप्पणी नहीं की, हम तो मौन साधे रहे थे कि आप बोलते रहो, हममें इतना संयम है, इतना माद्दा है, हमारी परीक्षा लो और स्वयं की परीक्षा दो, हममें बहुत संयम है और आपने उस दिन देख लिया है। हमें प्रदेश की जनता के आक्रोश को व्यक्त करना हो, तो प्रदेश की जनता के भी आक्रोश को व्यक्त करने की क्षमता हममें है। हम दोनों की भूमिका निभा सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, टिहरी में तो एक होटल मालिक को पीटा गया...। (व्यवधान)

*श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ, इस सदन में आपके साथ पूर्व में इसी सदन में बैठे हुये किसी व्यक्ति ने आपके लिये किन शब्दों का प्रयोग किया होगा। रेलवे स्टेशन में, इस सदन मे बोला, बाहर भी बोला। मान्यवर, विषय नहीं हैं, नेताजी विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि अगर विषय से बाहर जायेंगे तो आपको भी अवसर दिया जायेगा बोलने का।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, बार–बार सदस्य व्यवधान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय केदार सिंह जी, कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

मान्यवर, माननीय नेता जी ने टिहरी की बात की है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया अपने आप को सीमित करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इन्हें ग्राह्यता पर बोलना था। ये तो अभी तक के सारे इतिहास को दोहराने लग गये। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मर्यादाएं सबके लिए हैं, विशेषाधिकार भी सबके लिए है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको और कुछ कहना है तो कहें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ अगर यह सदन केवल सत्ता पक्ष की, 'बपौती' शब्द नहीं कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि असंसदीय है माननीय अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं 'बपौती' शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को समझाया जाय कि वे मर्यादा में अपनी बात कहें यहाँ पर। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, या तो आप नेता सदन हो जाओ या नेता प्रतिपक्ष हो जाओ तो पूरी छूट आपको भी होगी बोलने की। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मर्यादा की बात करोगे तो तार–तार हो जाओगे। हमाम में सब, आगे मैं नहीं कहूँगा। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इन्होंने भगवान राम तक को धोखा दिया, इन्हें इन्सान को धोखा देने में कितनी देर लगेगी? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ये परम्पराएं हैं, इनको परम्पराएं समझानी चाहिए सत्ता पक्ष को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप ग्राह्यता पर बोलिये। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, हमने उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में देखा है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अरे संसदीय ज्ञान ज्ञाताओं, यह भी समझ लेना चाहिए था आपको, यह संसदीय इतिहास क्यों नहीं पढ़ा? (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हम नेता प्रतिपक्ष से यह अपेक्षा जरूर करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जो भी बात कहें, नियमों के अन्तर्गत कहें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मंत्रियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह थाने में जाकर शराबियों को छुड़वाते। यह अपेक्षा नहीं की जाती। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि समाचार पत्रों में मेरे बारे में छपा था। (व्यवधान) क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गाँधी पार्क में धरना दिया, मेरे बारे में अखबार में छपा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विनम्र निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, इस पीठ से आप निर्देश देने की कृपा करें [XXX] इसके लिए मैं विनम्र अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन में समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसमें निर्देश दें कि इसकी जाँच कराई जाय, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय। मैंने किस

नोटः–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अपराधी को छुड़ाया है? इसकी जाँच किसी भी एजेंसी से करा लीजिए। मेरा अनुरोध है कि नेता प्रतिपक्ष को भी उस एजेंसी में एक सदस्य रखा जाय। (घोर व्यवधान)

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी सी0बी0आई0 से जाँच करा ली जाय। (घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, किसी भी एजेंसी से जाँच करा ली जाय। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सी0बी0आई0 से जाँच करा ली जाय। आप मुख्यमंत्री से दबाव डालो। मान्यवर, जैसे ही मेरे खिलाफ प्रकरण इस सदन में आया तो मैंने सदन में खड़े होकर स्वयं कहा कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरक सिंह जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की गरिमा को बनाये रखें और किसी ऐसी घटना का उल्लेख न करें जो उनके समक्ष घटित न हुई हो तथा यहाँ पर समाचार–पत्रों का संज्ञान लेकर उल्लेख न करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में जिस प्रश्न के आधार पर चर्चा हो रही है, वह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है और उस विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर नियम–73 के तहत जो दोषारोपित सदस्य हैं उनको अवसर प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपने इसी अवसर को देखते हुए उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया है, लेकिन 12 तारीख को जो विशेषाधिकार का नोटिस जिसके परिप्रेक्ष्य में 16 ता0 को माननीय चौहान जी ने दिया था, जो नोटिस आज आपको प्राप्त हुआ है, उसी नोटिस के सम्बन्ध में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। जब से राज्य बना है, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक की घटनाओं में.......(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन नियमावली के तहत चलता है। नियमों के तहत ही यह व्यवस्था है, नियम 73 के आधार पर दोषारोपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है। यह पक्ष इसलिए नहीं दिया जाता है कि जितने पूरे देशभर में लोग हैं, उनको दोषित कर दिया जाय, श्रीमन्, यह उचित बात नहीं है। श्रीमन्, इसमें आपका संरक्षण चाहिए, इसमें सदन के प्रत्येक सदस्य को संरक्षण चाहिए। उस संरक्षण के आधार पर मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसको समय सीमा में बांधने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप ग्राह्यता पर अपने विचार रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने मौन धारण कर लिया था, सत्ता पक्ष सजा देने के लिए उतावला है। मान्यवर, गढ़वाली शब्द है अब्काणा, जिस तरह बकरे की कोई गलती नहीं होती है वह फिर भी अपनी गर्दन यों कर देता है.....।

माननीय अध्यक्ष जी, हम सत्ता पक्ष के देवताओं के आगे गर्दन आगे कर दे रहे हैं। हम कटी हुई गर्दन लेकर, बहता हुआ खून लेकर पूरे प्रदेश में घूमेंगे और जनता को बतायेंगे कि सत्ता पक्ष ने संख्या बल के आधार पर, सत्ता के मदहोश में.........

श्री अध्यक्ष–

आपको इस बारे में कुछ कहना है या यहीं तक सीमित रखना है अपने आपको? मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आपको कटी गर्दन लेकर जाना है या इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो बताईये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–65 सेलेकर नियम–86 तक बहुत उल्लेख हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी ने और तमाम सदस्यों ने अपनी बात को रखा। उत्तर प्रदेश की घटनाओं का उल्लेख किया गया। मान्यवर, नियम केवल विपक्ष के सदस्यों के लिए ही नहीं होते हैं, यह सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी होते हैं। कोई ककड़ी चोरे या बकरी चोरे, अपराध, अपराध होता है। अगर नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं और टीका टिप्पणी करना भी नियम विरूद्ध है। अब यह परिभाषित करना कि किसने बड़ी गलती की है और किसने छोटी गलती की है, यह एक अलग विषय है। यह वाद–विवाद का विषय हो सकता है। नियम तो बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही नियमावली रही होगी। विशेषाधिकार हनन उत्तर प्रदेश में भी रहा होगा, संसद में भी है। माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी ने जिक्र किया। मैं भी प्रत्यक्ष था और आप भी प्रत्यक्षदर्शी थे घटना के। माननीय पेयजल मंत्री जी भी थे, माननीय फोनिया जी भी थे। हमारे साथी श्री प्रीतम जी थे, श्री कुंजवाल जी थे और भी बहुत सारे लोग थे। उस घटना का जिक्र आया इसलिए घटना का जिक्र कर रहा हूँ। इतनी बड़ी–बड़ी घटना का उल्लेख महेन्द्र सिंह माहरा जी ने किया। उसको मैं पुनः दोहराना नहीं चाहता हूँ, पूरे प्रदेश और हिन्दुस्तान के लोगों ने देखा है। मैं यह कतई नहीं कह रहा हूँ कि वह बहुत अच्छी घटना है। सन् 1996 में उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई। संसद में भी कई बार हुआ और देश की विभिन्न विधान सभाओं में भी बहुत कुछ हुआ। सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके दल के द्वारा विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न विधान सभाओं में, संसद में और राज्य सभा में इस तरह का आचरण नहीं किया जाता हो।

कल माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन ने स्वयं अपने नेताओं की बैठक में घटनाओं का उल्लेख किया था कि वर्ष 1956 में देश की पार्लियामेंट में, राज्य सभा में एक शपथ ली गई कि हम 'वेल' में नहीं आयेंगे। पूरे संसद में दोनों पार्लियामेंट में अपर हाऊस

और लोअर हाउस में शपथ ली कि हम 'वेल' में नहीं जायेंगे। किन्तु छः महीने भी यह शपथ नहीं चली। लोग 'वेल' में जा रहे हैं। ऐसी अनेक उदाहरण पुस्तक में हैं। अपने सम्मानित सदस्य जो अपने को बुद्धिजीवी, शिक्षाविद्, कानून वेत्ता और संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ समझते हैं, उनकी तरह बहुत उल्लेख करके, इस पुस्तक में बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख है, अंग्रेजी में भी और हिन्दी में भी है। संविधान में भी चाहे नियम–105 हो या चाहे धारा–194 का उल्लेख है। अभी पेयजल मंत्री जी ने नियम–298 का उल्लेख किया। अब चूँकि नियम–298 का उल्लेख इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे उस दिन उन्होंने पढ़कर सुनाया और हमने भी उसका भी अध्ययन किया है। जिस तरह से जब विधान सभा चल रही थी, आपके द्वारा कुछ सदस्यों को बाहर जाने के निर्देश दिये गये थे। वह मान्यवर, नियम–298 का संज्ञान माना जाता है, और अब जो कार्यवाही चल रही है यह नियम–298 के तहत नहीं चल रही है और नियम–65 से 86 तक के नियमों में चल रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, दो चीज कहना चाहता हूँ, कोई घटना होती है, मैं अपने ड्राईवर से हमेशा कहता हूँ और ड्राईवर कहता है। 'मैं बीस साल से ड्राईवरी कर रहा हूँ, आज तक कोई घटना नहीं हुई।' मैं जानता हूँ कि अच्छा ड्राईवर वो है जो गाड़ी अपनी दिशा में स्पीड़ कंट्रोल करके चलाये, लेकिन ड्राईवर की कुशलता इस बात पर मानी जाती है माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा वाहन अगर नियमों के तहत नहीं चल रहा है, अगर स्पीड़ कंट्रोल नहीं है और फिर हमारा ड्राईवर खुद गलती नहीं कर रहा हो, ये कारण नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, कहता है, मैं गलत साईड पर नहीं चल रहा हूँ। अगर दूसरा यदि गलत दिशा पर आ रहा है, तब अगर एक्सीडेंट हो जायेगा या मृत्यु हो जायेगी तो कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन सही चल रहा है, कौन गलत चल रहा है। लेकिन मृत्यु तो हो ही जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, जो घटना सदन में घटित हुई थी। पेट में दर्द हो रहा है तो पेनकिलर दे दिया दर्द ठीक हो गया। जैसा कि सत्ता पक्ष के लोग पेनकिलर देना चाहते हैं। इन्हें सजा कर दो दर्द कम हो जायेगा। संसदीय इतिहास का नया सुनहरा इतिहास लिखा जायेगा। "गोल्डन पीस" हमारे बहुत सारे सदस्य अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका अनुवाद भी करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अनुवाद भी करते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बार अंग्रेजी में कहो फिर हिन्दी में बोलो, अनुवाद करो, ये तो पार्लियामेंट नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष चैलेंज कर रहा है कि सजा देकर देखो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि बहुत देर से बोल रहा हूँ। मैं जितना बोला हूँ, अच्छा ही तो बोल रहा हूँ। (हंसी)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आप केवल जोक कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे बड़े भाई, आप हमेशा ब्लड प्रैशर में रहते हैं, इसलिए जोक करके मैं आपका ब्लड प्रैशर कम कर रहा हूँ। (हंसी)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, राम, लक्ष्मण को अच्छी शिक्षा देता है। (हंसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने ऐसी शिक्षा दी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कण्डारी जी, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए आपने यह शिक्षा दी। यहाँ पर कुछ कहते हैं और घर में जाकर ऐसा कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री तब बनूँगा जब तुम कुछ उत्पात करोगे। (हंसी)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, लक्ष्मण जो है सीमा रेखा से बाहर जा रहा है, इसलिए इनको रोका जाय। (हंसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ये लक्ष्मण तब तक राम के साथ है, जब तक सीता को लौटा कर नहीं देता है राम को। ये सीता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी। माननीय अध्यक्ष जी, जब पार्लियामेंट में घटना हुई, मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूँ। हम एक समस्या को लेकर बात कर रहे थे कि दर्द पेट में है। आप हमको पेनकिलर खिला रहे हैं, दर्द निवारक दवाई खिला रहे हो कि इन्हें दण्ड दे दो और उत्तराखण्ड के सदन का इतिहास सुनहरा हो जायेगा। जो घटना घटित हुई तो यह मर्ज क्या है, जब तक मर्ज का निदान नहीं होगा निशंक जी, तो यह एलोपैथिक इलाज से नहीं होगा। आयुर्वेदिक इलाज कराओ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, ऑपरेशन भी कर देंगे और आयुर्वेदिक बूटी भी दे देंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, देखिये न, हम लोग कितने संयमित हैं। हमारे मुँह से जो चीर–फाड़ की तो बात ही नहीं आती है। अब चीर–फाड़ कर दो। अरे ऐसी परिस्थितियाँ को क्यों खड़ा करते हो कि हमारे अंग काटने पड़ें आपको। मान्यवर, हम तो गर्दन काटने को तैयार है। हमने तो शुरू में कह दिया माननीय अध्यक्ष जी, कि हम तो गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन गर्दन काटने से पहले जो नेचुरल जस्टिस है माननीय अध्यक्ष जी, कि जिसकी गर्दन काटी जाए अब उसको बोलने भी नहीं दिया जायेगा। क्यों शहजाद जी, यह कहाँ का नेचुरल जस्टिस है क्या, कि हमारी गर्दन पर तलवार लगा रहे हैं आप, और हम चिल्ला भी न पाएं? माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट की घटना का उल्लेख कर रहा हूँ, हालांकि उस घटना से इस सदन की कार्यवाही को जोड़ना, इस कृत्य से जोड़ना निश्चित रूप से इस सम्मानित सदन का अपमान करना है। हमारे सम्मानित सदस्यों को पीड़ा पहुँचाना है। चूँकि सदन के जिन सदस्यों का जिक्र किया गया उन्होंने सवाल पूछने की एवज में रिश्वत ली और अब उसकी तुलना हमसे की जाए। इससे हमको कष्ट हुआ।

*वन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, इजाजत लेकर तो बोला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

अगर नेता प्रतिपक्ष जी इसकी इजाजत दे दें तो।

डा0 हरक सिंह रावत–

मेरी पीड़ा को यार, मान्यवर, क्षमा चाहता हूँ कि मेरे मुँह से 'यार' निकल गया। माननीय मंत्री जी, इतनी बड़ी पीड़ा हमारे मन में है उसको व्यक्त भी नहीं करने दोगे। माननीय अध्यक्ष जी, उन सम्मानित सदस्यों को जो सदन के सदस्य थे, उनको नोटिस सर्व हुआ। विशेषाधिकार समिति गठित हुई उसने पक्ष सुना, पार्लियामेंट के सामने आया और माननीय आडवाणी जी, जो गाँधीवादी और गाँधी नगर से चुनाव लड़ते हैं उनके नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष, लोक सभा, उनके नेतृत्व में, तमाम पार्लियामेंट के मेम्बरों ने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने मौन साध करके उसका विरोध किया और माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी का दिल देखो, हृदय देखो की अनुशासन समिति की सुनवाई हो गयी, नोटिस हो गए और कार्रवाई के लिए जब अंतिम फैसला होना था तो उन्होंने इतनी दरियादिली दिखाई कि माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी ने नोटिस को वापस ले लिया। ये पार्लियामेंट के इतिहास की बात हो रही है, संसदीय प्रणाली की बात हो रही है। यह ताजा–ताजा उदाहरण इस हिन्दुस्तान की संसदीय प्रणाली का उदाहरण है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, कहना तो बहुत कुछ चाहता था मान्यवर, नैतिकता का पाठ समझाने की हैसियत, क्षमता हममें भी है। तर्क की बात होती है, तार्किक बात होती है, तर्क देने हमें भी आते हैं। आज इस अवसर पर नहीं देना चाहता हूँ, कभी अवसर आयेगा उन तमाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों को उनकी बातों का तर्क दूँगा। जो बहुत सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं, उनको भी समझाऊंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं विनम्र शब्दों में आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप सहृदय हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम अपना आक्रोश अपनी पीड़ा दिखायेंगे। अगर कोई बेटा अपने बाप से कोई पीड़ा व्यक्त करता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह बेटा अपने बाप का अपमान कर रहा है और बाप को भी बेटे के उस आक्रोश को, नौजवानों के उस आक्रोश को अपने अपमान के रूप में नहीं लेना चाहिए। उसको बेटे का प्यार, नौजवानों की तरूणाई के आक्रोश के रूप में लेना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप उस पीठ पर बैठे हैं, जहाँ का विपक्ष तरूणाई लिये हुये है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, चाहे वह काबिल बेटा बाप को गोले ही क्यों न मार रहा हो।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सौभाग्य माननीय अध्यक्ष जी, आपको मिला है, आप कितने धन्य हैं। हम भी यह अपना सपना संजोने लगे हैं कि तरूणाई जैसी विपक्ष, जनता के जज्बातों के लिए आक्रोश, गरीबों के प्रति पीड़ा, विकलाँगों के प्रति सहयोग की भावना जिस विपक्ष में हो और इस तरह का विपक्ष इस सदन में बैठा है और उसकी पीठ पर आप जैसे महान व्यक्ति को बैठने का गौरव मिला हो, तो निश्चित रूप से आप और हम सब का सीना बढ़ा। जब पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी नेता सदन हुआ करते थे, जयपुर के रेलवे स्टेशन पर जब मुझे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी मिले जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा रावत जी, तो मैंने अपना परिचय दिया, मैंने यह नहीं कहा कि मैं उत्तराखण्ड की विधान सभा में राजस्व मंत्री हूँ, मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, श्री गहलोत जी से अपना परिचय कराया कि मैं तिवारी मन्त्रिमण्डल का सदस्य हूँ, जिससे उस समय गौरवान्वित महसूस करते थे कि पण्डित नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, उसी तरह आपकी पीठ पर बैठकर हम सारे सदन के सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।.........(व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, थोड़ा सुधार कर लें कि आपने कहा कि आपकी पीठ पर बैठकर।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने कहा इस पीठ पर बैठे, शब्दों का हेर–फेर हो सकता है। माननीय फोनिया जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं नाम ले रहा हूँ, यह संसदीय मर्यादा है, पर आप हमारे ताऊ जी लगते हैं, यदि आपका आदेश हो तो मैं बैठ जाऊँ।

*श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं एक ही बात कहूँगा कि माननीय नेता विपक्ष ने एक बात कही कि आप दयालु हैं, आप दयालु हैं मान्यवर, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ लोग दया के पात्र भी हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, सवा तीन बजे से शायद यह परिचर्चा प्रारम्भ हुई और मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि नियमावली का नियम–78 यह कहता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना और अवमानना विषयक प्रश्नों पर सभी प्रक्रमों में वाद–विवाद संक्षिप्त होगा। मान्यवर, इस पर 20.30 घण्टे से ऊपर हो गया है। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने विशेषाधिकार का दुरूपयोग न करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय फोनिया जी ने कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, विपक्ष के कुछ सदस्य दया के पात्र हैं, ये निश्चित रूप से हमारी संख्या कम है और निश्चित रूप से विपक्ष तो हमेशा दया का पात्र होता है। हम कमजोर हैं और कमजोर तो निश्चित रूप से दया का पात्र है। यदि हमारी संख्या कम न होती तो हम उधर बैठे होते, तब हम आप पर दया दिखाते। माननीय अध्यक्ष जी, समय बहुत अधिक हो गया है, जिसका उल्लेख माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी किया है, मैं भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में ही अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी मैंने कहा था कि "जब बात आती है तो बात पर बात होती है।" इसलिए हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन जब कोई विषय आ गया, इसलिए अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये हमारा अनुरोध है कि जो कुछ हुआ है, चाहे हमारे पक्ष के द्वारा हुआ हो, उत्तेजना में कोई जनपीड़ा को देखते हुए कोई आक्रोश होता है, मन में। एक दिन मैं यहाँ पर माननीय किशोर उपाध्याय जी को देख रहा था, इनके मन में बहुत पीड़ा थी, जब वे रानीचौरी विश्वविद्यालय का मामला उठा रहे थे। मान्यवर, उत्तेजना होती है, जब आप भी माननीय सदस्य थे, वहाँ बैठे आपकी भी कई बार हमने पीड़ा देखी है, आप जैसे सरल स्वभाव के व्यक्ति को भी उत्तेजित होते हुए देखा है। माननीय आडवाणी जी को भी मैंने उत्तेजित होते हुए देखा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेई जी एक बार जब लखनऊ में धरने पर बैठे थे तो उनको भी उत्तेजित होते हुए देखा है। माननीय पंत जी तो कहते हैं कि रावत जी मैं तो आपकी ही तरह गुस्सा दिखाता हूँ। गुस्सा होता नहीं है, बल्कि दिखाता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर दिखाने के लिए गुस्सा दिखाते हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सचमुच गुस्सा नहीं आना चाहिए। मान्यवर, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। कोई द्वेष नहीं है, चाहे वह विधान सभा सचिवालय

के कर्मचारी हों। ठीक है कभी सुरक्षा कर्मचारी, जब किसी बैरीकेडिंग पर जाते हैं, कोई प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस हमें रोकती है। कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए, बैरीकेडिंग में कूदता है तो इसमें कभी धक्का कार्यकर्ताओं को लगता है तो कभी पुलिस के सिपाहियों को धक्का लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस से हमारी नाराजगी है या हम ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं या इससे हमारा कोई मनमुटाव पुलिस से है। मान्यवर, यह एक व्यवस्था है, अगर व्यवस्था में कुछ गलतियां हुई हैं या हो गयीं, कुछ हमसे हुईं, कुछ सरकार के द्वारा भी हुईं, क्योंकि कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ खड़ी कर दी गयीं। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव प्रवर समिति का आज आया, इसका समय बढ़ गया। यदि यह समय उस दिन बढ़ जाता तो शायद ऐसा होता ही नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी आप निर्णय करेंगे, जो विनिश्चय आपका आयेगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप कोई कठोर दण्ड भी देंगे तो प्रदेश की गरीब जनता के हित में, प्रदेश के नौजवान शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में आपके निर्देश को, आपके द्वारा दिये गये दण्ड को आशीर्वाद समझकर, संजीवनी समझकर उस संजीवनी के द्वारा जो प्राण स्थापित होंगे, जो ऊर्जा हमें मिलेगी, उस ऊर्जा को हम पूरे प्रदेश में ले जाकर आपके उस आदेश को, उस सजा को, उस दण्ड को, उस निर्देश को, उस विनिश्चय को सहर्ष स्वीकार करेंगे। यह मैं आपके प्रति विनम्र शब्दों में अनुरोध करना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आप घोषणा कर चुके हैं, इसलिए मेरा आग्रह है, आपसे,

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, आप घोषणा कर चुके हैं। आपने कहा है....

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय शहजाद जी को बोलने दीजिए।

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आभारी हूँ कि मुझे भी इस विषय पर, इस दुर्घटना पर बोलने का अवसर आपने दिया है। मैं भी सदन में मौजूद था, 'वेल' में हम खड़े थे। कानून व्यवस्था पर हमारा नियम–310 का नोटिस था। विश्वविद्यालय अधिनियम प्रस्तुत करने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात कही जा रही है लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, वह उस वक्त प्रस्तुत नहीं हुआ था। उस पूरी घटना को कहना मैं उचित नहीं समझता। जो उस वक्त सदन में हुआ, जिस तरीके से उकसाने की घटना हुई, इसको दुर्घटना कहना ही उचित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 16 तारीख को इस पर काफी चर्चा हुई और मैं समझता हूँ कि आज तो बहुत ही ज्यादा लम्बी चर्चा इस पर हुई है। कोई भी गतिरोध हो, अवरोध हो, जहां तक मैं समझता हूँ यदि उस पर इतनी बड़ी चर्चा होगी और वाद–विवाद होगा तो उसमें काफी बढ़ोत्तरी आती है। दस बारह घण्टे का यह विषय नहीं था। बार–बार सत्ता पक्ष की तरफ से नैतिकता की दुहाई, देवभूमि की दुहाई दी जाती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 3 साल, पहले और अब मिलाकर इस पक्ष ने राज किया है, उत्तराखण्ड पर और 5 साल उस पक्ष ने किया है।

आज भी जिन क्रांतिकारियों की, आन्दोलनकारियों की बात करते हैं, वे सड़क पर मारे–मारे फिर रहे हैं। लेकिन देवभूमि की दुहाई देना, नैतिकता की दुहाई देना इस सदन में भाषण में तो अच्छा लग सकता है लेकिन मैं समझता हूँ कि वह सदन के बाहर कहीं नजर नहीं आता। अगर पूरी नैतिकता की बात करें तो [XXX] वहां दंगा कराने का काम किया था और लाठीचार्ज हुआ था। क्या यह नैतिकता है ? अभी हल्द्वानी में [XXX] क्या यह नैतिकता है ? अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बच्चों की बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ वे बच्चे उसी स्कूल के होंगे, [XXX]

श्री अध्यक्ष–

शहजाद जी, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर सब विषयों पर चर्चा करनी है, तो आप नियमों के अन्तर्गत प्रश्न दीजिए, हम उस पर पूरी चर्चा करा देंगे। (व्यवधान) पूरे दिन की चर्च करा देंगे। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, सीमा भी होती है झूठ बोलने की। मुझे बताया गया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी उसी बात को कहा है। मैं कहना चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, उस दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। सब जानते हैं, पहाड़ में उस दिन आदमी कोने में बैठता है। आप दोनों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं नेतृत्व कर रहा था। (व्यवधान) झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। (व्यवधान) इन्होंने 'हल्द्वानी में मंत्री जी के नेतृत्व में' उँगुली लगा कर कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय शहजाद जी, मेरा आपसे

नोट–[XXX] ये अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गए।

अनुरोध है कि यदि सभी विषयों पर चर्चा कराना चाहते हैं तो कृपया आप सूचना दीजिए, हम पूरा दिन उस पर चर्चा करा देंगे।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि मैं इस घटना पर बहुत बड़ी चर्चा नहीं चाहता हूँ। अगर मेरी कोई सुनता तो इतनी बड़ी चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, इस घटना पर। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जो उस दिन घटना हुई, उसके बारे में मैंने सदन के बाहर भी कहा कि मैं उसे अच्छा नहीं मानता, सदन के अन्दर भी कह रहा हूँ कि मैं उस घटना को अच्छा नहीं मान रहा हूँ। लेकिन दुर्घटना है और दुर्घटना हुई है, दोनों तरफ से उत्तेजना थी। जो माननीय मनोज तिवारी जी का नोटिस है, उस घटना का भी संज्ञान, निवेदन करूंगा कि आप लें। लेकिन माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो नोटिस दिया है, विशेषाधिकार का, अगर वह सही है तो यह भी सही है। क्योंकि हमने कोई विशेषाधिकार हनन माननीय चौहान जी के प्रति नहीं किया। विरोध सदन में किया है, माननीय पंत जी ने हमें पहले ट्रेनिंग दी है, माननीय कंडारी जी ने भी थोड़ी सी ट्रेनिंग दी है, रावत जी ने भी पहले दी थी। क्योंकि हम यहीं पर बैठे हैं और अदला–बदली इन दोनों पक्षों की हुई है, जो इन्होंने इस वक्त सिखाया है, लगभग उसी का अनुसरण हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन मैं समझता था कि यदि इस सदन में बड़े ज्ञानी मुन्ना सिंह चौहान जी हैं तो वह इस आग पर पानी डालने का काम करेंगे, लेकिन मुझे दुःख है कि चौहान साहब ने इस आग में घी डालने का काम किया।

मान्यवर, स्टडी उनकी अच्छी है, उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है, विद्वान हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन दूसरे माननीय सदस्य फोनिया जी हैं, अभी उन्होंने बड़े प्यार से इस आग पर पानी डालने का काम किया। उधर दूसरी तरफ माननीय आशा नौटियाल जी ने भी बहुत प्यार की बात करी, सही संयम बरता। लेकिन हमें लगता है कि हमें नैतिकता आज इस सदन में सीखनी पड़ेगी, हरभजन सिंह चीमा से, अरविन्द पाण्डे से और गणेश जोशी से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी नैतिकता हमें नहीं सीखनी है, जैसी नैतिकता चीमा सिखाता हो, गणेश जोशी सिखाता हो और अरविन्द पाण्डे सिखाता हो।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, ऐसी नैतिकता से हम दूर–दूर का भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, न ही सीखना चाहते हैं। नैतिकता सिखायें, चुफाल जी, सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अच्छे–भले आदमी हैं, निशंक जी सिखायें, कोई आपत्ति नहीं, पहले भी सिखायी है, पंत जी ने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी अपनी नैतिकता की बात कहीं नहीं हो, तो उससे क्या नैतिकता हम सीखेंगे? (व्यवधान) कौशिक जी के तो हम बचपन के साथी हैं, इनकी नैतिकता का मुझे पता है, लेकिन जो सम्मानित हैं, रावत जी सिखायें, चलिये

दूर के हैं, एक परसेन्ट सीख लेंगे। अगर कंडारी जी सिखायें, फोनिया जी की तो मैं पहले तारीफ कर चुका हूँ, अगर कंडारी जी सिखायें, तो ऐसी नैतिकता की, माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम मेरे दल को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नैतिकता क्या है। नैतिकता भाषण में नहीं, आचरण में भी होनी चाहिए और सदन के बाहर भी होनी चाहिए। उस घटना पर मुझे दुःख है, मुझे उस दिन भी दुःख था, मैंने प्रेस वार्ता में भी कहा था, आज भी दुःख है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जितनी बड़ी चर्चा यहां पर हुई है, उतनी बड़ी चर्चा की आवश्यकता नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष जी, आप संरक्षक हैं विपक्ष के, सत्ता पक्ष के कम हैं, क्योंकि इनके हाथ में आज पावर है, सत्ता है, यह कुछ भी कह सकते हैं और कर भी सकते हैं। हमारे पास में यदि कुछ है तो वह आपका संरक्षण है और वह संरक्षण मैं चाहता हूँ और ज्यादा टाइम न लेते हुये, क्योंकि पहले ही चार घंटे हो चुके हैं, अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह फैरपुर की क्या घटना है, मैं तो नैनीताल से आ रहा था और मुझे चिड़ियापुर में ही अरेस्ट कर लिया गया था। होली खेलने के लिये जा रहा था, चिड़ियापुर में ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया, फैरपुर तो मैं गया भी नहीं। कितना असत्य आरोप लगा दिया आपने मेरे ऊपर।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौहान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से सारा विषय आ गया है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका निर्देश था कि आप अवसर देंगे, इसलिये मैंने गुस्ताखी की खड़े होने की। माननीय अध्यक्ष जी......।

(विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब आप उल्लेख करेंगे, मैं तभी निवेदन कर रहा था, जब आप अपने भाषण में उल्लेख करेंगे किसी घटना का.........।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एक ही सदस्य बोल रहे हैं, आप कार्यवाही में देख लीजिये, तीन–तीन बार यह बोले हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष

माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, ऐसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बात को दो लाईन में कहना चाहते हैं तो कह दीजिये।

(विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ उन्होंने अपनी बात को कहा, हमने अपनी बात को कहा। उन्होंने उस दिन अपनी बात को कहा, हमने अपनी बात को कहा। हाँ, नेता सदन होते, माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल के बोलने के बाद अगर नेता सदन होते तो बोलते। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, यह कहीं परम्परा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष कुछ भी बोल दें और उसके बाद कोई बोल नहीं सकता। (व्यवधान) जब नेता प्रतिपक्ष निजी चीजें कहेंगे तो प्रत्येक माननीय सदस्य को प्रतिउत्तर देने का अधिकार है। (व्यवधान) श्रीमन्, इससे पहले कोई बात मैं कहूँ, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाह रहा हूँ। (व्यवधान) इससे पहले श्रीमन्, मैं कोई बात कहूँ, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं उस पर आपका विनिश्चय चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं उस पर आपका विनिश्चय चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, यह तो ज्यादती है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले उसे सुनने की कृपा करें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमेशा यह सदन अव्यवस्थित होता रहा है। हमेशा व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्थित सदन करते रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं बार बार निवेदन कर रहा था कि आप ऐसी घटना का उल्लेख न करें जिससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत हों। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम भी किसी की दया पर विधायक होकर नहीं आये हैं। हम भी जानते हैं नियमों को माननीय अध्यक्ष जी, हमने भी पुस्तकें पढ़ी हैं। जो सदन को व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्थित करता हो। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यदि नियम नहीं भी मानते हैं तो यह पुस्तक इसीलिए आपको दी गयी है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नैतिकता, नियम वो खुद समझायें अपने आपको, हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, हमें भी समझाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है, हमें भी पढ़ाई–लिखाई के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमें इनके मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। हम भी सदन के नियमों और परम्पराओं से भिज्ञ हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमें भी जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को आभास हो गया है कि मुन्ना सिंह चौहान जी क्या कहना चाहते हैं, ये पहले ही प्रताड़ित हो रहे हैं। इनको मौका दे दिया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय सिर–माथे। आपके माध्यम से इंगित किया है। आपने बुलाया है तो दो मिनट उनकी बात सुन लें। (घोर व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह कार्यवाही में आया है और यह कार्यवाही का हिस्सा बन गया है। .....(घोर व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी दस मिनट पहले नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हममें माद्दा है, अब उनका माद्दा कहाँ गया? (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि एक ही सदस्य चुनकर आया हो, हम भी चुन कर आये हैं। मान्यवर जो व्यक्ति चार–चार बार बोल चुका हो।.... (घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, हमने सड़कों पर गिड़गिड़ा करके दया की भीख नहीं माँगी। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने लड़ करके अपना अधिकार लिया। हम शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, आत्मबल की लड़ाई लड़ते हैं। (घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अभी 12 तारीख की घटना है, कुर्सी तोड़ी गयी, अब फिर कह रहे हैं कि हम शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस व्यक्ति ने हमारी तुलना संसद के ऐसे सांसदों से की हो और जब–जब ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा, विपक्ष ऐसे व्यक्ति की बात को नहीं सुनेगा। हम ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करेंगे। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हम शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हमने पिछली 12 तारीख को देखा कि किस तरह कुर्सियाँ तोड़ी गईं। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने कुर्सियाँ नहीं तोड़ी हैं, आप गलत कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय आना बाकी है। यहाँ पर जबरदस्ती कुर्सियाँ तोड़ी कहा जा रहा है। (घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, वह सदन की कार्यवाही में दर्ज है, सदन की कार्यवाही का हिस्सा है, इसमें हमारे कहने या किसी के कहने का प्रश्न नहीं उठता। यह सदन की कार्यवाही का अंश है आज की तारीख में। सदन में कुर्सियों को तोड़ा गया, किसने तोड़ा यह भी इसमें दर्ज है। (व्यवधान) श्रीमन्, यह किसी अखबार की कटिंग नहीं है, यह सम्मानित सदन की कार्यवाही की पवित्र प्रतिलिपि है, इसमें एक–एक शब्द लिखा है। (घोर व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, कार्यवाही सबके पास है। (घोर व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, कार्यवाही में आ गया है, इसे कार्यवाही से निकाल दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं परीक्षण कर लेता हूँ। (घोर व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नोटिस में नाम है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य और सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने स्थान में खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझसे सम्बन्धित जो व्यक्तिगत बातें कही गई हैं, श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, मैं निश्चित रूप से उनका प्रतिउत्तर देना चाहता हूँ, सफाई देना चाहता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, जो सदन में स्वयं अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करते हों हम ऐसे सदस्यों की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जो कुर्सियाँ तोड़ते हों, मेज पलटते हों, उनकी बातों को भी यहाँ कोई नहीं सुनेगा। जो गुण्डा गर्दी करते हों, उनकी बातों को सुनने वाला भी कोई नहीं है। यदि नैतिक बल है, नैतिक बल की दुहाई देने वाले लोग आरोप लगाते हों हम उनकी बात को सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मत सुनो।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर भी बार–बार टीका–टिप्पणी करते हैं और जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं जोकि नियमों के विरुद्ध है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह आग्रह है कि कार्यवाही का वह अंश दिखवा लिया जाए, जिसमें माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी को इंगित करते हुए किसी घटना का उल्लेख किया हो और यदि उनका जिक्र है चूंकि वह कार्यवाही में आया है तो माननीय सदस्य को अपनी सफाई में स्पष्टीकरण देने का हक है। जिसका विनिश्चय आपने दिया है।

श्री अध्यक्ष–

अगर वह कार्यवाही का अंग है तो कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज किसी सदस्य के नाम का उल्लेख हुआ, अगर उसको कार्यवाही से निकाला जाता है तो उस दिन की कार्यवाही भी देख ली जाए जिस दिन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा है, 16 तारीख की कार्यवाही में, उसमें भी अगर नाम लेकर किसी माननीय सदस्य ने किसी

घटना का उल्लेख किया हो या 12 मई की घटना के अलावा देश की पार्लियामेंट की घटना या उत्तर प्रदेश की घटना या और किसी और घटना का उल्लेख किया हो तो उसको भी निकाल दिया जाए। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वो तो उल्लेख करना पड़ेगा। इसके साथ को-रिलेट तो करना पड़ेगा। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

दोनों में अंतर है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमनें भी उल्लेख किया है माननीय अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दोनों में अंतर है।

(घोर व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, नैतिकता की बात कहने वाले माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने साथियों को उत्तेजित कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इन्होंने अपराधिक घटनाओं का उल्लेख किया है। आपने चकराता का उल्लेख किया है, अन्य बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा राजनीतिक उदय बहुत ही शानदार जगह से हुआ है। मैंने देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्थान डी0आर0डी0ओ0 में अपनी सेवायें दी हैं, जो देश का गौरव है। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि पुराने मुद्दों को खोलें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आप खोलें। (मेज की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी पीठ से निर्देश हो चुका है कि ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय। श्रीमन्, यदि किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख हुआ है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, आपका निर्देश था, इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से जनतांत्रिक आन्दोलन से मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत के किसी कोर्ट–कचहरी में, भारत के किसी थाने में मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ कोई मुकदमा हो, कोई वाद दायर हो, तो निश्चित रूप से उसका सामना करना चाहूँगा, लेकिन जिन लोगों ने (घोर व्यवधान) [XXX] यह हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर लाल–पीले होकर, अगर हमको धमकाने की कोशिश करेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। (घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हमको आपका संरक्षण चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, [XXX] वे आज नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आप पहले ही निर्देश दे चुके हैं। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें तभी ये बातें आयेंगी। मैंने पूर्व में भी कहा है कि अगर किसी माननीय सदस्य से सम्बन्धित किसी भी घटना का उल्लेख किया गया है और उसको सफाई का अवसर नहीं देंगे, तो उसके साथ अन्याय होगा। उस घटना का उल्लेख जिस–जिस कार्यवाही में किया गया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दोनों दिन की कार्यवाही से निकाला जाए।

नोट–[XXX] वे अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गए।

श्री अध्यक्ष–

किसी भी ऐसी घटना का उल्लेख जो 12 तारीख की घटना से सम्बन्धित नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष माननीय सदस्यों का नाम लेकर या उन्हें इंगित करते हुए उसका उल्लेख किया गया हो तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटना का उल्लेख जिसको किसी माननीय सदस्य के नाम से या किसी को इंगित करके उल्लेख किया हो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन हम करेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 12 मई को जो घटना इस सम्मानित सदन ने देखी और उस घटना का साक्षी पूरा सदन, सदन के सभी सम्मानित सदस्य और श्रीमन्, आप रहे। उस घटना पर यहाँ पर आज पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखीं। निश्चित रूप से आज मैं अत्यंत भारी मन से इस वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीमन्, उत्तराखण्ड राज्य, यह उस अखण्ड भारत के अन्दर स्थापित राज्य है, जो उस अखण्ड भारत की विधान सभा और लोक सभा की कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली है, उन्हीं के अनुरूप हमने भी अपनी नियमावली बनायी है। वर्ष 1958 में जो उत्तर प्रदेश की कार्य संचालन नियमावली थी, उसे हमने उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत किया और उसके पश्चात् 30 सितम्बर, 2005 को उत्तराखण्ड की इस विधान सभा ने अपनी नियमावली उसी के अनुरूप बनाई। ये संसदीय कार्य और उसकी प्रक्रिया इस नियमावली के नियमों के तहत तो चलती ही है लेकिन इसके साथ–साथ इसके आठ सौ वर्ष पुरानी लगभग उन मर्यादाओं के तहत, उन परम्पराओं के तहत और परिपाटी के तहत भी चलती है। इसकी कुछ वर्जनाएँ हैं, जिन वर्जनाओं का अनुपालन करने की अपेक्षा सदन के माननीय सदस्यों से की जाती है। नियमावली में भी प्राविधानित है। नियम–282 श्रीमन्, इसीलिए बना कि किस तरह से सदस्यों को आना चाहिए, किस तरह से अपनी बात को कहना चाहिए। उसकी व्यवस्था श्रीमन्, इस नियमावली में की गयी है। लेकिन कतिपय घटनाओं के क्रम में ऐसी अनेक बार घटनाएँ हो जाती हैं, जिन पर विरोध प्रतिपक्ष के साथियों को करना पड़ता है और विरोध स्वरूप ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवित रहे और लोकतंत्र की परिपाटी जीवित रहे मान्यवर, वह हमारी पुरानी परम्परा जीवित रहे, उसको दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था भी इस नियमावली में की गई है।

लेकिन इन विगत 8 वर्षों का अगर हम अपने उत्तराखण्ड विधान सभा का इतिहास उठाकर के देखें तो निश्चित रूप से उसकी घटनायें जो इस प्रकार की घटनायें घटित हुईं तो निश्चित रूप से हम सब को सोचने के लिए मजबूर कर दिया और आज जो कुछ 12 मई को हुआ, प्रतिपक्ष के साथी भी सम्भवतया इस बात को स्वीकार करेंगे कि वह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक के भारतवर्ष के संसदीय इतिहास में प्रति-पक्ष सत्ता-पक्ष के ऊपर आरोप लगाता है और सत्ता-पक्ष को इंगित करके कार्रवाई को अंजाम देता है, यह अनेकों घटनायें हुईं। अनेकों सदनों में इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसका जिक्र समय-समय पर हुआ। प्रतिपक्ष पीठ पर भी आक्षेप लगाता है कि हमारे ऊपर भेद-भाव किया जा रहा है, यह आक्षेप लगाने की घटनायें अनेकों सदनों में देखने को मिली हैं, लेकिन उत्तराखण्ड विधान सभा में 12 मई का इतिहास पहली बार हुआ। संसदीय इतिहास में सम्भवतया पहली घटना होगी, जब इस सम्पूर्ण सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष तरीके से सम्पादित कराने वाले सचिवालय उसके ऊपर इस घटना को अंजाम दिया गया और निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय कहा जा सकता है।

इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूँ और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि जब एक सूचना, जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस इस सम्मानित सदन के सम्मुख भाई श्री मनोज तिवारी ने रखा, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सदन के माननीय सदस्यों को यह समझा जाता है कि हम जब न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ भी अपने पवित्र ग्रन्थ की शपथ खाते हैं कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इस सदन में कोई प्रक्रिया नहीं है यह केवल हमारी परिपाटी है, यह परम्परा है और यह मान्यता है कि इस सदन में जो कुछ भी बोला जाता है वह अक्षरशः सत्य बोला जाता है, उसको कहीं चुनौती भी नहीं दी जाती है लेकिन इसी सदन के अन्दर आज एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस रखा गया और उस सम्पूर्ण घटनाक्रम के साक्षी और दृष्टा यहाँ पर बैठे हैं, जो 12 मई को हुई उस घटनाक्रम में स्वयं साक्षी और स्वयं दृष्टा हैं और वे कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यह तो दुखदाई घटनाक्रम आज विदित हुआ है, वे कह रहे हैं कि सत्ता-पक्ष के माननीय विधायक श्री गणेश जोशी, श्री अरविन्द पाण्डे उत्तेजित होकर बाहें चढ़ाकर अपशब्द कहते हुये विपक्ष के माननीय विधायकों की ओर मार-पीट के इरादे से लपके, जिससे 20-25 असामाजिक तत्वों को सदन के अन्दर घुसने का मौका मिल गया। मान्यवर, कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा, आप भी इसके साक्षी और दृष्टा हैं, आखिर हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं यह विचार करना होगा। मान्यवर, मैं दर्द के साथ यह कहना चाहूँगा कि हमको विचार करना होगा कि हम किस दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह दर्द का विषय इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में, जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाहियों को पलटकर दिशा निर्देश लेते हैं, तो आने वाले समय में कोई कार्यवाही पढ़ेगा तो कहेगा कि आखिर किस प्रकार का कार्यव्यवहार और कैसी परिपाटी इस सदन में पड़ रही है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ, इसी नियमावली में प्राविधान है यह प्राविधान आखिर क्यों बनाया गया होगा, इसमें कहा गया है कि निराधार शिकायत और निराधार शिकायत के लिए दण्ड करने का प्राविधान भी इस नियमावली में बना हुआ है। नियम–76 में हम विचार कर लें कि यह केवल इसलिए बनाया गया ताकि कोई इस प्रकार की गलत तथ्यपूर्ण या सत्य से परे कोई शिकायत न कर पाये। इस विशेषाधिकार हनन की नोटिस के माध्यम से इसको दृष्टिगत रखते हुये निराधार शिकायत का नियम बनाया गया, इसको मैं बहुत विस्तार से उल्लिखित नहीं करना चाहूँगा। सब के पास नियमावली है उसका अध्ययन कर लें। श्रीमन्, मैं तो केवल यह अनुरोध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि जो वर्जनाएं या जो सीमाएं सदन में निर्धारित हैं उन सीमाओं पर हम सबको रहना होगा।

मान्यवर, क्योंकि यहीं इस सदन में जब हम लोग पिछली बार विपक्ष में थे, हमने तो सदन के अन्दर भी कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं किया था। इसी सदन में हमारा पक्ष सुने बिना विशेषाधिकार हनन का नोटिस आया था और उस नोटिस पर हमें दण्ड भी निर्धारित किया गया था और दण्ड दिया भी गया था। आज तो आपकी यह महानता है। आपने इस सदन के अन्दर दोनों पक्षों को सुनने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा और सदन से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इस सम्पूर्ण घटनाक्रम पर पुनर्विचार करें और यह विचार करें कि हम उत्तराखण्ड के उन महान बिन्दुओं की रक्षा करने के लिए कितने समर्थवान हैं। इसलिए यह आवश्यक है और भारी मन से यह प्रस्ताव कर रहा हूँ। यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में, जब हमारी पीढ़ी आकर के इस सदन में बैठेगी और हमारी पुरानी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन को देखेगी तो उसको भी दिशानिर्देश मिलना चाहिए कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां हुईं तो उसके सम्बन्ध में सदन के अधिकार हैं और उन अधिकारों का प्रयोग सदन कर सकता है।

इसलिए यह प्रस्ताव कर रहा हूँ दिनांक 12 मई 2008 को सदन में घटित घटना के सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव करता हूँ कि डा0 हरक सिंह रावत, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री मनोज तिवारी, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री करन मेहरा, श्री शहजाद, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री तिलकराज बेहड़, को सदन की सेवा से, सत्र की शेष कालावधि तक के लिए निलम्बित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(तत्पश्चात् सम्पूर्ण विपक्ष सदन से बाहर चला गया।)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि जिन माननीय सदस्यों का मार्शल की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, को आज सदन द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। इस प्रकरण को, जो हम सभी को अपने आचरण के सम्बन्ध में आत्म मंथन करने के लिए विवश करता है, किन्तु इसके साथ ही मेरा यह भी मत है कि इस दुःखद प्रकरण को जीवित रखना भी इस माननीय सदन तथा माननीय सदस्यों की गरिमा का क्षरण करने में सहायता करेगा। अतः मैं श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना तथा श्री मनोज तिवारी, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री शहजाद, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री केदार सिंह रावत, श्री नारायण पाल तथा श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना अर्थात् दोनों सूचनाओं को निस्तीर्ण घोषित करता हूँ।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री जनपद उत्तरकाशी में विभिन्न सिंचाई गूलों और नहरों के शीर्ष क्षतिग्रस्त होने के कारण मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत तथा प्रदेश में नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् भी अभी तक हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने की स्थिति के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह तथा जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली के अन्तर्गत बाल गंगा रेंज में आवासीय बिजली गिरने से पिन्सावाडगाँव मरवाड़ी व अमुन्डा गाँव तथा जनपद उत्तरकाशी भेड़ पालकों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बलवीर सिंह नेगी की कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अग्राह्य हुईं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिन्धु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाये तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

("राष्ट्रगान" के उपरान्त सदन का उपवेशन 06 बजकर 27 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून,
दिनांक: 19 मई, 2008

महेश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 वि0स0/412–05–02–2013–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।